राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, मंगलवार, दिनांक २७ सितम्बर, १६५५

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर, में ८. ३५ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४९

सरकार द्वारा मोन्टसेरी के आधार पर चलाये जाने वाले स्कूल

श्री जवानसिंह— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान में कितने स्कूल मोन्टसेरी के आधार पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं :

(ख) उपरोक्त स्कूल कितने वर्षों से चल रहे हैं ?

(ग) सिरोही मोन्टसेरी स्कूल के अध्यापकों में से कितने ट्रेण्ड हैं और क्या उन्हें मंजूरशुदा ग्रेड मिल रहे हैं ?

(घ) इस स्कूल के अध्यापकों की कितनी संख्या मंजूरशुदा है और कितनी जगह कब से खाली हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—

(क) राजस्थान में चार स्कूल मोन्टसेरी आधार पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं।

(ख) उपरोक्त स्कूल निम्न लिखित वर्षों से चल रहे हैं:—

१.	गंगा चिल्ड्रन स्कूल, बीकानेर	नवम्बर, १६४१ ई० से
२.	किन्डरगार्टन स्कूल, बांसवाडा	मार्च, १६४६ ई० से

Page No.2

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

३. एन. वी. डी. बालमन्दिर, जयपुर जुलाई, १९४७ ई० से

५. जीत कुंवरबा शिशुशाला, सिरोही १९४८ ई० से

(ग) सिरोही मोन्टसेरी स्कूल में तीन अध्यापक हैं और तीनों ट्रेन्ड हैं। उनको बजट में स्वीकृत ग्रेड दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) इस स्कूल के लिये तीन अध्यापक मंजूरशुदा हैं और तीन कार्य कर रहे हैं। कोई जगह खाली नहीं हैं।

श्री जवानसिंह— इनके ग्रेड्स कब से सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— काफी अर्से से हैं और जल्दी ही तय हो जावेंगे।

श्री जवानसिंह—काफी अर्से से विचाराधीन होने के बाद अब तक नतीजा न निकलने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— उनके पुराने ग्रेड्स पुरानी स्टेटों केथे इसलिये समय लगा, अब महीने भर में तय हो जावेगा।

श्री जवानसिंह— उनके पुराने ग्रेड थे तो अब तो उनको नये ग्रेड्स दे दिये गये ,फिर क्या रह जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)— शिक्षा विभाग में अभी तक इन्टीग्रेशन फाइनल नहीं हुआ है, इसलिये यह बात है।

श्री जवानसिंह— अब निश्चित मास या वर्ष बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—साल १९५५।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश के लिये चार मोन्टसेरी स्कूलों का होना पर्याप्त समझती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— पर्याप्त तो नहीं हैं लेकिन दूसरे प्राइवेट स्कूल भी हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह— ऐसे कितने हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसके लिये अलग प्रश्न पूछें।

कु० श्री जसवन्तसिंह— ग्रान्ट इन एड भी उनको दी जाती है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— किस आधार पर किसको कितनी ग्रान्ट इन एड दी जाती है यह सब रूल्स बने हुए हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह— चारों स्कूलों की मिस्ट्रेसों को सेम ग्रेड मिलते हैं या अलग २ ग्रेड्स हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— जो हेड मिस्ट्रेस है उनके अलग ग्रेड हैं और दूसरी मिस्ट्रेसेज़ के अलग ग्रेडस हैं।

श्री जवानसिंह— क्या सिरोही में ३ की संख्या बताई गई है वह पर्याप्त है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— पर्याप्त है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—उनमें जो टीचर्स हैं उनके ग्रेड्स फिक्स्ड हैं या अलग अलग स्कूलों की हेड मिस्ट्रेसों के अलग अलग ग्रेड्स हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— युनिफिकेशन ऑफ पे स्केल्स से हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह— उन सब को तनख्वाह एक ही मिलती है या अलग अलग हैड मिस्ट्रेसों को अलग अलग तनख्वाह मिल रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— अभी फाइनल इन्टीग्रेशन नहीं होने से अपने अपने युनिटों के ही अलग अलग पे-ग्रेड्स हैं।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५०

टोंक जिले की प्रत्येक तहसील के लिये इस वर्ष तकावी हेतु धन-राशि

श्री सरदार सिंह— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक जिले के लिये इस वर्ष तकावी के लिये कितनी धन-राशि अंकित की गई है ?

(ख) हर तहसील के लिये कितनी कितनी रकम तकावी के लिये दी गई है ?

(ग) तहसील वाईज़ किन किन कार्यों के लिये कितनी कितनी रकम कृषकों को दी गई है?

Page No.4

[श्री सरदारसिंह]

(घ) क्या तकावी की रकम जिन कार्यों के लिये दी गई उन्हीं में लगाई गई उसकी जांच कराई गई है ?

(ङ) यदि हां, तो तहसीलवार, गांववार किन किन व्यक्तियों ने तकावी का कोन कौन कार्य पूरा कर लिया ?

(च) राजस्थान के निर्माण के बाद टोंक जिले में आज तक कितनी तकावी दी गई, उसमें से कितनी वसूल हुई व कितनी बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) —टोंक जिले के लिए इस साल १९५५—५६ में २०,००० रू. साधारण राजस्व तकावी व ६०,०००रु० जी. एम. एप. कुओं की मरम्मत के लिए मंजूर हुई।

ख. साधारण राजस्व तकावी।

तह०	टोंक,	निवाई,	उनियारा,	मालपुरा	टोडा,	दूनी
जी. एम. एप.	४००० रू०	३००० रू०	३००० रू०	४००० रू०	३००० रू०	३००० रू०
कुओं की मरम्मत,	१०००० रू०	१०००० रू०	५००० रू०	२५००० रू०	५००० रू०	५००० रू०

ग. माह अगस्त में —

साधारण राजस्व तकावी—

टोंक	निवाई,	उनियारा	मालपुरा	टोडा	दूनी
२७५० रू०	१००५ रू०	१६०० रू०	२२०० रू०	—	—
जी. एम. एप.				—	—
३००० रू०	१००० रू०	४२५० रू०	११५० रू०		

घ. यह रकम हाल में ही दी गई है अगर जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि जिस काम के लिये रकम दी गई है, इस्तेमाल नहीं की गई तो एक मुश्त वसूल की जायगी।

ड. जवाब की आवश्यकता नहीं रहती।

च. दिनांक ३१. ३. ५५ तक। इसका ब्यौरा इस प्रकार है —

किस्म	तकावी जो दी गई	वसूली	बाकी	रिमार्क
साधारण बकाया		१७३२५५ रू०	१२३६२३ रू०	रकम किश्तों में वसूल हो रही है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

	तकावी	वसूली	बाकी रकम
अकाल	२४२०० रू०	७८७२ रू०	१६३२२८ रू०
ट्रेक्टर्स	४८००० रू०	१८४५० रू०	२९५५५ रू०
पम्पिगं सेट	३६२१५ रू०	१२००८ रू०	२४२०७ रू०
कुओं के लिये	५८२५० रू०	२००० रू०	५६२५० रू०

श्री सरदारसिंह— क्या तकावी वितरण की जाती है उसके लिये कोई तहसीलवाइज़ कमेटी बनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास— जी हां ।

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या कोटा डिविज़न में भी ।

श्री सरदारसिंह—तहसील दूनी में जो कमेटी बनी है उसमें कौन कौन से मेम्बर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास— प्रत्येक तहसील में इस कमेटी में वहां का तहसीलदार, सरपंच, एम. एल. ए. आदि मेम्बर होते हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—इस वितरण कमेटी में रावराजा साहब है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य होंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम उसमें है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—स्थानीय एम. एल. एज़. तकावी वितरण कमेटी के सदस्य हों, ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है ।

श्री जसवन्तसिंह—फिर जांच करने की आवश्यकता क्या है जब कि वे स्वयं ही कह रहे हैं कि वे उस कमेटी के सदस्य नहीं हैं और उनको कोई सूचना नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास —मैं इसकी जांच करूंगा कि वे क्यों नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि भरतपुर के अन्दर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास —यह अलग से प्रश्न है।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या कोटा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि यह सुविधा कोटा वगैरह को न मिलकर केवल मालपुरा और टोंक को ही मिली है ?

(हंसी)

श्री श्रीदाम गोयल—सरकार का सर्कुलर जारी हो चुका है कि स्थानीय एम. एल. एज़. को उस कमेटी में लिया जाय तो कोटा वगैरह से शिकायत है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या जानकारी की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई बात सरकार के समक्ष पहले पेश नहीं हुई थी। ये बातें आज ही पेश हुई हैं। जानकारी करके इस बात का प्रबन्ध किया जायगा कि स्थानीय एम. एल. एज़. को इसमें लिया जाय।

श्री श्रीदाम गोयल—अब तक रेवेन्यू अधिकारियों ने सर्कुलर की जो अवज्ञा की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामदयाल उपाध्याय—दूनी तहसीलदार ने जान-बूझ कर सर्कुलर की अवज्ञा की है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर ऐसा पाया जायगा तो उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१

सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु कार्यवाहियें

श्री जवानसिंह —Will the Minister for Education be pleased to state:

Is it a fact—

(a) That Baptism and christianity are amongst the main subjects taught in the St. Xavier's high school in Jaipur ?

[श्री जवानसिंह]

(b) This school is governed from without, i. e. through padris, receiving directions from abroad ?

(c) The Government or the university of Rajputana has no power over the affairs and management of this school ?

(d) This school has got its own peculiar Rules and Regulations which are contrary to our present methods ?

(e) Does the Government not realise that the minds of the young children are moulded against Hinduism and they are led away from their religion ?

(f) Does the government not realise under the existing circumstances to take the administration and management of this school into its own hands ?

(g) Is the government contemplating to affiliate this school with the University of Rajputana ? If so, when ?

(h) What monetary help, if any, this school is getting from the Goverenment ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल(उप शिक्षा मंत्राणी)—

(a) No.

(b) Yes.

(c) The University has no powers over the affairs of the institution. The Government can exercise control since the Government has been helping it.

(d) There are separate rules bvt they are not contrary to present methods xcept that the medium is English.

(e) It is not so .

(f) Not at present.

(g) It is for the institution to seek University affiliation

(h) The school is not getting any recurring grant. Nonrecurring grant for building has so far been paid amounting to Rs. 2,40,472—2—0.

श्री जसवन्तसिंह— Has the Government made any inquiry with regard to the facts stated in part (e) and (f) ?

श्री अध्यक्ष—The answer is in the negative. Has the Government made any inquiry regarding questions in parts (e) & (f) ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा करने के बाद ही जबाव देने की स्थिति हो सकती है।

श्री जवानसिंह—Will the Government lay on the Table of the House a copy of the findings of enquiries made by it·

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—आपका किस इन्क्वायरी से मतलब है ?

श्री अध्यक्ष —Enquiry about the St· Xavier's High School.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उस मामले में कोई ऐसी बात पायी नहीं गई और रेगुलर इन्क्वायरी की गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री जवानसिंह—इन्क्वायरी करने के बाद यह पाया गया कि धर्म के मामले में ऐसी कोई खास पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है और न धर्म के मामले में हस्तक्षेप ही है, यह जानकारी की गई है और कोई इन्क्वायरी की गई है तो वह रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रख दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कोई रेगुलर इन्क्वायरी नहीं की गई है, जिसकी कि कोई रिपोर्ट हो, जो कि टेबल पर ले (Lay)की जाय। जांच करने की बातें, जो कि इसमें मालूम नहीं हुईं, स्टेटमेन्ट लेकर या रिपोर्ट तैयार करना जिसमें आवश्यक होता है, ये सारी बातें इसमें नहीं है। जो बातें समय समय पर गवर्नमेन्ट के सामने आती रही हैं उन्हीं पर यह जानकारी है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या गवर्नमेन्ट के ध्यान में यह है कि जिस संस्था के द्वारा यह स्कूल चलाया जाता है उस पर यूरोप में प्रतिबन्ध लगा हुआ है और उसके बारे में काफी रहस्य अखबारों में प्रकाशित हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—युरोप में कहां प्रतिबन्ध लगा हुआ है, यह मैं नहीं जानता लेकिन भारतवर्ष में यह संस्था कार्य करती है; यह हमारे ध्यान में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में है कि एक पेम्फलेट आया जिसका नाम "ब्रेक दी डिनर" है। Is the Government aware with the sponsors of this pamphlet under the heading' Back the Dinner' ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— जी नहीं।

Page No.9

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उस पेम्फलेट में प्रेस लाइन भी नहीं है और उस पेम्फलेट में इस प्रकार का प्रश्न किया गया है इन राइटिंग, ब्लेक, एन्ड व्हाइट (Black and white) ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise when the Government have no notice of this pamphlet.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Government must have.

श्री अध्यक्ष—It does not have. You put that pamphle before the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I can put it on the Table of the House just now. I have got a copy

श्री अध्यक्ष—You may have.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने यह जांच करते समय इस इन्स्टीट्यूशन द्वारा प्रति पखवाड़े उनका जो अखबार निकलता है 'एक्सरे', उसकी जांच की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हर एक अखबार प्रति सप्ताह और प्रति पक्ष में निकलता है, सरकार जांच नहीं करती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनके स्कूल द्वारा निकाला जाता है, उनकी गतिविधियों से अवगत कराने के लिए वह निकाला जाता है जिसका नाम 'एक्सरे' है और उसमें स्कूल की कार्यवाहियों का विवरण छपता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मूल प्रश्न से भिन्न है और आप इसकी जानकारी दे रहे हैं, इससे पता लगाया जा सकता है। ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी हमारे सामने कहा गया है कि थोड़ी बहुत जानकारी की गई और ऐसी बात नहीं पायी गई। मैं यह कह रहा था कि उनके द्वारा प्रकाशित, प्रचारित अखबार और पेम्फलेट हैं वे पढ़े गये हैं या नहीं ? गवर्नमेन्ट ने पढ़े हों तो ठीक है और यदि नहीं पढ़े हों तो ऐसा कहा जाय कि नहीं पढ़े हैं और यह जांच में या इन्क्वायरी में नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उनको नहीं देखा है और अब देख कर ही बताया जा सकता है।

Page No.10

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सन् १९५४ में फ्लेग के मामले की जो स्कूल में घटना हुई थी और फ्लेग का जो अपमान करने की कोशिश की गई थी उसकी सी. आई. डी द्वारा इन्क्वायरी की गई थी और वह सरकार के पास पेश हुई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह अलग प्रश्न है कि फ्लेग के बारे में क्या इन्क्वायरी की गई।

श्री अध्यक्ष—You put an independent question.

रावत श्री शंभूसिंह—यह कहा गया कि आपत्तिजनक कोई बात नहीं पायी। तो क्या सरकार ने पुस्तकों को देख लिया है कि कौन कौनसी पुस्तकें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि जो मूलभूत प्रश्न किया गया है और जिसकी जानकारी की गई है वह बहुत स्पष्ट है। जानकारी इस तरीके पर की गई कि जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वह हिन्दू रिलीजियन के खिलाफ है, धर्म परिवर्तन में सहायक होती है; तो उस चीज का जवाब दिया गया कि ऐसी कोई बात जानकारी में नहीं है। रिप्लाई में बता दिया गया कि इंगलिश में पढ़ाई होती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वहां लडकों के नाम ऐसे हैः Tom, Womy, Methews.

श्री अध्यक्ष—It is a different question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a part of the cultural activities that they are imparting.

श्री अध्यक्ष—There are so many other things.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If Ramu becomes Tommy then it is a material quest-on. I want to know whether the Government is aware of any such information ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Instead of becoming Tommy if it could become H. K, then the Hon'ble member would have been satisfied

श्री हरिकृष्ण व्यास—It will be a graceful thing. if Tommy could beco H. K; but unfortunately they become Tommy and that is a material point for the question, because it is the cultural aspect of the education ?

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary?

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार विस्तृत जानकारी की दृष्टि से अब इस इन्स्टीट्यूशन की एक्टीविटीज़ पर पूर्ण रूपेण ध्यान रखेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— जो बातें स्पेसिफिक हों, अगर वे ध्यान में लाई जायं तो सरकार जांच कर सकती है। जहां तक एक्टीविटिज़ पर ध्यान रखने का सवाल है, वहां अगर राष्ट्रीय दृष्टि से अहितकर शिक्षा दी जाती है तो सरकार हमेशा ध्यान रखेगी और रखती है।

श्री हरिदेव जोशी— जब यह बात स्पष्ट है कि जो एलीगेशन्स इस संस्था पर लगाये गये; जैसे एन्टी नेशनल एक्टीविटीज होती है, राष्ट्रियि नेताओं का अपमान किया जाता है और १५ अगस्त, सन् ५४ को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया तो सरकार इस बारे में क्या कर्यवाही कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों के बारे में जांच की गई, जांच में जो स्थिति हमारे सामने आई, उसके ऊपर मैं यहां प्रकाश डालना नहीं चाहता। उस विस्तृत जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि बहुत सी बातें गलत सिद्धता हुई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या सरकार को यह मालूम है कि इस संस्था में बौद्धिक शिक्षा के लिये एक पीरियड है जिसमें क्रिश्चियन रिलीजियन की शिक्षा दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेन सब्जेक्ट में तो यह विषय नहीं है, शायद एक्स्ट्रा पीरियड में ये बातें बतलाते होगें।

श्री हरिकृष्ण व्यास— रेगुलर पीरियड में भी एक ऐसा पीरियड है जो बौद्धिक शिक्षा का पीरियड कहलाता है, क्या उसमें ईसाई मत की शिक्षा दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष — I would advise the Hon'ble Member to table separate questions on this matter.

श्री जगतसिंह झाला— क्या राजस्थान सरकार मध्यभारत और मध्यप्रदेश की तरह यहां भी इस संबन्धी जांच के लिये कमेटी मुकर्रर करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— जब तक कोई निश्चित बातें न बतायी जांय तब तक मैं जांच कमेटी बैठाने की बात को यहां स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री जवानसिंह— तो क्या माननीय मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि अब तक जितनी भी चर्चा इस संबन्ध में सदन में हुई उसमें सब अनिश्चित बातें ही हुई है ?

Page No.12

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं यह तो नहीं कहता कि जो बातें कही गईं वे अनिश्चित हैं, लेकिन, मुझे इस बात के लिये क्षमा किया जाय कि मेरे जवाब देने के बाद जो चर्चायें हो रही हैं वे कुछ अनिश्चित सी हैं ।

श्री जवानसिंह— आखिर आप इस बात को तो मान गये कि असन्तोष तो है ।

श्री जयनारायण व्यास— क्या सरकार को यह पता है कि इस संस्था में अमेरिका की कई संस्थाओं से पैसा आता है इसलिये इस संस्था के अस्तित्व का रहना विवादग्रस्त हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— कुछ लोगों के लिये खास तौर से यह भी वजह हो सकती है (करतल ध्वनि)

श्री कंवरलाल जेलिया— जो कुछ चर्चा सदन में हुई उस आधार पर क्या मुख्यमंत्री जांच-पड़ताल करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे आपको साफ हो जाना चाहिये, हम इसके लिये सतर्क हैं; कोई अराष्ट्रीय कार्य होता होगा तो निश्चित तौर पर रोका जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जितना पैसा आता है, उसके खर्चे के हिसाब की आज तक किसी की जांच की है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— मैं समझता हूं कि यह अलग से सवाल है । लेकिन खर्चे की जांच करने का जहां तक सवाल है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हम इस संस्था को नोन-रेकरिंग एड देते हैं । रेकरिंग एड देते तो अवश्य जांच करवा सकते हैं । हमने बिल्डिंग के लिये रूपया दिया था वह किस तरह खर्च किया गया, यह हमें मालूम है, । यह सेंक्शन भी काफी अर्से पहले की है; सन् ५०, के अन्दर की गई थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या सरकार के यह ध्यान में है कि एक सज्जन गोरखपुर से भागकर यहां आये थे और जिनके लिये भारत सरकार का अरेस्ट करने का हुक्म था, उन सज्जन को इस संस्था में ढाई महिने तक रिफ्यूज दिया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह जानकारी मेरे सामने नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५७.

ग्राम पुसालिया के समीप सूकड़ी नदी पर पुल या कॉजवे का निर्माण कार्य

श्री अर्जुनसिंह— क्या मंत्री, निर्माण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या जिला सिरोही में गांव पुसालिया के पास सूकडी नदी पर पुल या Causeway' (कॉज वे) का काम शुरू होगा ? यदि हां, तो कब तक ? वह कैसा कॉजवे बनेगा और उस पर क्या खर्चा होगा ?

श्री कुम्भाराम—यह कार्य इस साल वर्षा के पश्चात् करीब दिसम्बर मास तक शुरु हो जाने की संभावना है। यह तो लेवल वेन्टेड कॉजवे बनेगा इसमें लगभग १,५२,२६० रुपये खर्च होंगे।

श्री अर्जुन सिंह—क्या इसका कॉन्ट्रेक्ट हो चुका है ?

श्री कुम्भाराम— इसके बाद तो काम शुरू हो जायगा।

श्री अर्जुनसिंह— सुना है कि काम शुरू हो गया है ?

श्री कुम्भाराम— ऐसी बात नहीं।

प्रश्न संख्या ५३.

सुमेपुर एवं शिवगंज के बीच जवाई नदी पर पुल बांधने की शासकीय योजना

श्री अर्जुनसिंह—क्या मंत्री, निर्माण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या सुमेरपुर जिला पाली और शिवगंज जिला सिरोही के बीच जवाई नदी पर पुल बान्धने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कैसा पुल बनेगा, कब तक काम शुरू करने की संभावना है और उस पर कितना खर्चा होगा ?

श्री कुम्भाराम (सर्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री) —सुमेरपुर व शिवगंज के बीच जवाई नदी पर पुल बांधने की योजना है। लो लेवल वेन्टेड कॉजवे बनेगा। कार्य के शुरू करने की दिसम्बर ,१९५५ में संभावना है और अनुमानतः १,०३,००० रुपये का खर्चा होगा।

प्रश्न संख्या ५४

सन् १९५४ में नावां तहसील में बिना लाइसेन्स धान का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री किशनलाल शाह—क्या खाद्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[किशनलाल साह]

(क) क्या यह सत्य है कि नावां तहसील में सन् १९५४ में बिना लाइसेन्स के धान का व्यापार करने वालों के मामले पकड़े गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने मामले पकड़े गये ?

(ग) उन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) मामलों में जब्त हुए माल का क्या हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) एक।

(ग) यह मामला तहसील नावां से पकड़े जाने पर पुलिस मारोठ को उचित कार्यवाही हेतु दिया गया।

(घ) यह मामला जमानत पर जामिन के सुपुर्द किया गया।

श्री किशनलाल शाह—जब यह मामले अदालत में जाने वाले थे तो डिपार्टमेंन्ट ने जमानत पर क्यों छोड़ दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मामला अदालत में गया है।

श्री किशनलाल शाह—अनाज को छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंडया—राजस्थान में अनाज की स्थिति ठीक हो जाने से उस अनाज के बिगड़ जाने का अन्देशा था, इसलिये जमानती के सुपुर्द किया गया।

श्री किशनलाल शाह—क्या केवल इसी मामले में ही यह रवैया अख्तयार किया गया या और किसी में भी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान के अन्य अनेक मामलों में भी यही किया गया।

प्रश्न संख्या ५५

सन् १९५४ में देवली [त: नांवा] में श्री केशवदास महन्त शम्भुपुरा का बिना लाइसेन्स धान पकडा जाना

श्री किशनलाल शाह— क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: क्या यह सच है कि देवली तहसील नावां में सन् १९५४ में श्री केशवदास महन्त शम्भुपुरा का बिना लाइसेन्स का धान पकड़ा गया था ?

[श्री किशनलाल शाह]

(क) यदि हां, तो कितने मन ?

(ख) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

क्या यह सच है कि उक्त मामले में बरामद किया गया धान श्री केशवदास को पुनः लौटा दिया गया ? यदि नहीं, तो धान कहां हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां ।

(ख) ८९७ मण १७ सेर ।

यह मामला एक्स्ट्रा न्यायाधीश नावां के न्यायालय में चल रहा है ।

धान केशवदास को पुनः न लौटा कर धान जमानती को सुपुर्द किया गया ।

श्री किशनलाल शाह—यह किसकी दरख्वास्त पर किया गया ?

श्री भोगीलाल पंडया—प्रार्थी की दरख्वास्त पर ।

श्री किशनलाल शाह—यह क्यों दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसलिये कि धान बिगड़ न जावे ।

श्री किशनलाल शाह—यह अदालत को क्यों न सुपुर्द किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—केस चल रहा है ।

श्री किशनलाल शाह—केस कितने दिन बाद चालान किया गया ?

श्री भोगीलाल पंडया—अगर आप अलग से यह प्रश्न पूछें तो जानकारी प्राप्त कर बता सकता हूं ।

प्रश्न संख्या ५६

भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से राजस्थान के कुछ जिलों को बिजली देना

श्री जवानसिंह—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.16

[श्री जवान सिंह]

(क) भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से राजस्थान के कितने जिलों के भागों को बिजली मिल सकेगी ?

(ख) उपरोक्त बिजली की कुल तादाद क्या होगी ?

(ग) उपरोक्त बिजली कब से मिलना शुरु होगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क) राजस्थान के छः जिलों को भाखरा नांगल योजना से बिजली मिलेगी :

बीकानेर, गंगानगर, चूरु, झुंझुनू, सीकर और नागौर ।

(ख) वर्तमान उत्पादक यन्त्रों के अधिष्ठायक के कार्यक्रमानुसार राजस्थान का भाग १५ हजार किलोवाट होगा ।

(ग) पंजाब के निर्माण विभाग और विद्युत शाला द्वारा किये गये निर्माण कार्यक्रमानुसार राजस्थान को विद्युत शक्ति सन् ५७ के वर्ष के तृतियांश में प्रदान की जावेगी ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह–क्या यह सही है कि पिछले साल भी जब ऐसा सवाल पूछा गया था तो उसके जवाब में कहा गया था कि राजस्थान में बिजली ५६ के मार्च या अप्रेल महीने में मिल जावेगी ?

श्री कुम्भाराम—पहले ऐसी संभावना थी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह–अब उस अवधि को एक साल और बढ़ा देने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम—इसके लिये जो आवश्यक सामान बाहर से मंगाया जाता है वह समय पर नहीं आने से मजबूरी पैदा हो गई ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह–क्या सरकार अब जो यह कह रही है कि ५७ में बिजली मिल जायगी तो क्या यह पंजाब सरकार से पूर्णरुप से तय कर लिया है ?

श्री कुम्भाराम—पंजाब सरकार बहुत कोशिश कर रही है अपने वचन को निभाने के लिये । वह अपने वचन पर कटिबद्ध है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह–सन् ५६ में भी देने का वादा किया था, क्या उसी प्रकार सन् ५७ में भी कटिबद्ध है क्या या उससे कुछ ज्यादा कटिबद्ध है ?

श्री कुम्भाराम—बिजली का सामान जो भारत में नहीं मिलता उसके लिये उनकी मजबूरी है।

श्री जवानसिंह—जहां तक राजस्थान का हिस्सा है बिजली लेने का, क्या राजस्थान सरकार ने बिजली लेने के तमाम इन्तजामात कर लिये हैं ?

श्री कुम्भाराम—प्रयत्न जारी है।

श्री जवानसिंह—मेरा सवाल साफ है, इन्तजाम पूरा हो चुका है या नहीं ?

श्री कुम्भाराम—बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मौजूदा पंचवर्षीय योजना में आप इस स्थिति में हैं क्या कि पूरी बिजली ले सके ?

श्री कुम्भाराम—समय के अन्दर हम लेने की स्थिति में हैं।

श्री भैरोंसिंह—सीकर और झुंझुनू जिले को यह बिजली नहीं मिलेगी, क्या यह सच है ?

श्री कुम्भाराम—मिलेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर का वह हिस्सा जो पेप्सू से लगा हुआ है बिजली से वंचित रहेगा ?

श्री भैरोंसिंह—सीकर जिले के पूरे भाग को बिजली मिलेगी या नहीं ?

श्री कुम्भाराम—दो जने साथ साथ बोल रहे हैं, मैं किसको जवाब दूं ?

श्री भैरोंसिंह—पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री कुम्भाराम—पूरे भाग की परिभाषा क्या है ?

श्री भैरोंसिंह—पूरा सीकर जिला।

श्री कुम्भाराम आर्य—तो इस कोने से उस कोने तक पूरे के पूरे को बिजली देंगे।

श्री भैरोंसिंह—कोने से कोने को पार करने की बात नहीं है। सीकर जिले का कोई भी गांव इस बिजली से महरूम तो नहीं रहेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—सीकर के बीचों बीच में डाल देंगे।

श्री भैरोंसिंह—क्या कोई भी गांव इस बिजली से मुक्त रहेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—गांव के लिए नहीं कहा जा सकता कि एक एक गांव को दी जावेगी।

श्री भैरोंसिंह—सीकर जिले के रामगढ़ से लेकर उधर उस पार तक के गांवों को पूरी बिजली दी जावेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो गांव मांग करेगा उस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि तहसील दांता रामगढ़ को इससे बिलकुल अलग रख दिया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसमें दांता रामगढ़ का तो कोई अस्तित्व नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—इसका अस्तित्व तो आपके और सरकार के दोनों के लिये है, इसलिये निवेदन करूंगा कि अस्तित्व को समझते हुए क्या इसको बिजली देने का सरकार का इरादा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बिजली की दृष्टि से वे मांग करेंगे तो विचार करेंगे, उदारता से विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह—सीकर जिले के किस किस हिस्से ने बिजली की मांग की है ?

श्री जवानसिंह—दांता रामगढ़ का अस्तित्व है या नहीं। माननीय अध्यक्ष, इस तरह के जो जवाब दिये जाते हैं ये गलत जवाब है, इनको रोका जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—निश्चित अस्तित्व है। दांता रामगढ़ के अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं करता, पर आपके कहने का मतलब केवल इतना था कि बिजली पहुँचाने की दृष्टि से दांता रामगढ़ का नाम नहीं है। जो नक्शा बिजली देने का तैयार किया गया है उसमें दांता रामगढ़ नहीं है।

श्री जवानसिंह—तो फिर गलत जवाब दिया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—गलत जवाब नहीं है। जवाब की भाषा के लिए आप कह रहे हैं, भाषा के अन्दर अन्तर हो सकता है। उन्होंने उस ढंग से जवाब दिया।

Page No.19

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपका मतलब यह है कि भाषा को भी समझाने की ट्रेनिंग दी जावेगी।

प्रश्न संख्या ५७

एस. डी. ओ. कपासिन का कार्यालय स्टेशन से कस्बे में स्थानान्तरित करना

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एस. डी. ओ. कपासिन का ऑफिस स्टेशन पर है व दूसरे दफ्तर कस्बे में हैं ?

(ख) क्या सरकार शीघ्र ही एस. डी. ओ. ऑफिस को कस्बे कपासिन में स्थानान्तर करने का विचार करेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) शीघ्र ही।

श्री जगतसिंह—कब तक हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शीघ्र ही।

प्रश्न संख्या ५८

जिला टोंक में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले कार्य

श्री सरदारसिंह—क्या मन्त्री, निर्माण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज क्या क्या कार्य किये गये ?

(ख) सड़कों व इमारतों पर कितना कितना व्यय हुआ ? उनमें से कितनी कहां कहां तैयार हो चुकी है, किस किस का काम चालू है और कितना अब बाकी है ?

(ग) उनके कब तक सम्पूर्ण होने की आशा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसीलवाइज़ निम्न प्रकार कार्य किये गये :

(क) तहसील मालपुरा :

(१) मालपुरा गांव से रेलवे स्टेशन तक का पक्का सड़क का टुकड़ा।

(२) पक्की सड़क टोंक से मालपुरा तक का मील १६ से २६ तक।

(३) खजाने के कमरों में रद्दो-बदल किया जाना।

(४) सब डिविज़न दफ्तर में रद्दो-बदल किया जाना।

तहसील टोंक :

(१) भरना नला मील १६ टोंक देवली सड़क पर पुल का बनाना।

(२) पक्की सड़क टोंक से मालपुरा तक मील १ से १७ तक।

(३) कच्ची सड़क का पक्का बनवाना, लाखेरी से टोंक तक इन्दरगढ़ खातोली उनियारा होती हुई मील १ से ११ तक।

(४) गलोद घाट टोंक पर नांव का बनाया जाना।

(५) डांडोली नदी मील २०-टोंक देवली सड़क पर पुल का बनाया जाना।

(६) जयपुर कोटा सड़क पर बनी हुई मीलों पर डामर किया जाना।

(७) सवाई माधोपुर से टोंक तक पक्की सड़क का बनाया जाना मील १० से २५ तक।

(८) टोंक तहसील के दफ्तर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे के कमरों में लगाया जाना।

(९) खजाने टोंक के कमरों में रद्दो बदल किया जाना।

(१०) नई पुलिस स्टेशन की इमारत पीपलू में बनाया जाना।

(११) पुरानी अधूरी स्कूल इमारत में मजिस्ट्रेट व एस. पी. के दफ्तर के लिए रद्दोबदल किया जाना।

तहसील अलीगढ़ :

(१) कच्ची सड़क को पक्का बनवाना। लाखेरी से टोंक तक इन्दरगढ़ खातोली उनियारा होती हुई।

तहसील टोडा रायसिंह :

(१) टोडा रायसिंह सड़क मील ७५ का पक्का किया जाना।

(२) तहसील दफ्तर की कोठी को खजाने के दफ्तर में तब्दील किया जाना।

Page No.21

(ख) इनमें सडकें व इमारतों में निम्न प्रकार व्यय हो चुका ।

(१) मालपुरा गांव से रेलवे स्टेशन तक का पक्का सड़क का टुकड़ा १६१६० रु०

(शेष के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री वेदपाल त्यागी— It may be placed on the Table of the House.

श्री कुम्भाराम आर्य—अभी तो रुपये में चवन्नी मैंने पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—तो सारा सुनाना चाहते हैं क्या ?

श्री सरदारसिंह—यह जो सारा आपने लिखा है और पढ़ा है, तो किये जाने के लिए मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहां तक सड़कें व मकान आदि तैयार हो चुके हैं और क्या क्या अधूरे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने तो अभी रुपये में चवन्नी बताई है, बारह आने बतलाना बाकी है।

श्री अध्यक्ष—जो काम हो गया उसकी लिस्ट चाहते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—वह भी मेरे पास हैं।

श्री अध्यक्ष—जो तैयार काम हो गया वह बतला दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—इसका नम्बर अब आया है।

श्री अध्यक्ष—यह लम्बा प्रतीत होता है। इसको रख दीजियेगा टेबल पर।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इनका तात्पर्य प्रश्न पूछने का यह था कि उनियारे में क्या क्या काम हुआ ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह वे पहले ही पूछते तो ठीक था।

प्रश्न संख्या ५६

राजस्थान में हानि-लाभ में चलने वाले विभिन्न बिजलीघर

श्री जवानसिंह— क्या मन्त्री निर्माण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[जवानसिंह]

(क) राजस्थान में कौन कौन से बिजली घर नफे व कौन कौन से नुकसान में चलाये जा रहे हैं और वे कहां कहां हैं ?

(ख) यह घाटा क्यों हो रहा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— निम्नलिखित पॉवर हाउस नफे में हैं:—

कोटा

निम्नलिखित पॉवर हाउस नुकसान में चल रहे हैं:—

अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़ जोधपुर, करौली, किशनगढ़, निवाई, शाहपुरा, टोंक, डीग, सागवाडा, हिन्डौन और जयपुर ।

(ख) नफे व नुकसान का सिद्धान्त मानने के माने हैं कि बिजलीघरों का हिसाब-किताब कॉमिर्शियल बेसिस पर रक्खा जावे ।

श्री जवानसिंह— कॉमर्शियल आधार का तो मेरा प्रश्न ही नहीं है ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या कॉमर्शियल आधार पर रखने से घाटा होना लाजिमी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— घाटा तो इसलिए हो रहा है कि मशीनरी पुरानी है ।

श्री तेजमल बापना— क्या भीलवाडा के लिए कह सकते हैं कि वहां पुरानी नहीं, नई मशीन अभी लगी है और काफी मात्रा में बिजली बचत में रहती है, वहां क्यों घाटा होता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— इसके लिए एक नोटिस दे दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह (वि०सं० १६)—इस घाटे में चलने का कारण क्या है ? राजाओं को मुफ्त् में बिजली दी जाती है, यह कारण है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य— राजाओं ने बहुत बड़ा त्याग किया है । अब बिजली देकर आप ऐसा क्या बड़ा अहसान कर रहे हैं उन पर ?

श्री भैरोंसिंह— मेरा प्रश्न सीधा है, उसका डेफिनिट उत्तर मुझे चाहिये कि क्या घाटे का कारण एक यह भी है कि राजाओं को बिजली मुफ्त् में दी जाती है ।

श्री कुम्भाराम आर्य— सभी राजाओं को मुफ्त में नहीं दी जाती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या घाटे का यह भी एक कारण है कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को कन्सेशन रेट पर बिजली दी जाती है; जैसे बिरलाजी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— आप यह बतलाइये कि अभी आपने जो यह बतलाया कि कोटा में नफा है और सब घाटे में हैं; जिसका कारण पुरानी मशीनों का होना आपने बताया। तो क्या कोटा में नई मशीन है क्या ? अगर नई है तो आप यह बतलाइये कि वह कब आई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह जरूरी नहीं कि सभी पुरानी मशीनें घाटा ही दें, पर अधिकतर पुरानी मशीनरी घाटा देती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, माननीय अध्यक्ष। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या घाटे का एक कारण यह भी है कि बड़े बड़े सेठों को कन्सेशन रेट पर बिजली दी जाती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम भी करने पड़ते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इन्डस्ट्रीज़ में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी को कॉस्ट प्राइस से कम में दी जाती है और किसी को ज्यादा पर ?

श्री कुम्भराम आर्य— यह सब पुराने जमाने की बातें है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या नये जमाने में उसके परिवर्तन की आशा की जा सकती है ?

श्री आर्य — गवर्नमेंट अपने वायदे नहीं बदला करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह सही है कि नये से नये जमाने में भी अभी कुछ महीने पहले सादूल टेक्स्टाइल मिल को दो आने से कम करके डेढ़ आने की रेट कर दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष— The question does not arise.

श्री रामदयाल उपाध्याय— क्या यह सही है कि भीलवाड़े के पॉवर हाउस में बिल्कुल नई मशीनरी होते हुए भी घाटा है ?

श्री कुम्भराम आर्य— यह अलग से प्रश्न कीजिये, जांच कराई जायगी।

श्री कंवरलाल जैलिया— कोटा के पॉवर हाउस में मुनाफा है पुरानी मशीनरी होते हुए भी, तो वहां के विकास के लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०

बुनकरों को १ जनवरी, १९५५ के पश्चात सरकार द्वारा दी गई हाथ—करघा की मशीनें

श्री चान्दमल मेहता— क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हाथ कर्घा की कितनी मशीनें १ जनवरी, सन् १९५५ के बाद राज्य सरकार द्वारा बुनकरों को दी गई ?

(२) उक्त मशीनों की सरकारी लागत प्रति मशीन कितनी थी और बुनकरों को किस कीमत पर दी गई ?

(३) उक्त मशीनों के द्वारा प्रति ८ घण्टे कितने गज कपड़ा तैयार किया जा सकता है ?

(४) उक्त मशीनों की जांच किस मेकेनिकल ऑफिसर द्वारा कराई गई ?

(५) ऐसे कितने बुनकर हैं जिन्होंने उक्त मशीनों के खिलाफ शिकायतें की हैं ?

(६) किन किन स्थान के बुनकरों ने स्थानीय कारीगरों से मशीनें बनवाकर आधी रकम सरकार द्वारा दिलाने की मांग की है ?

(७) उक्त मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)— (१) ११ ।

(२) इन मशीनों की सरकारी लागत प्रति मशीन १०० रू० हैं और बुनकरों को ५० रू० प्रति मशीन के हिसाब से दी गई हैं ।

(३) मशीनों की उत्पादन शक्ति सूत के नम्बर पर व बुनकरों की कार्यशीलन पर निर्भर है । इन मशीनों से प्रति आठ घन्टे में १५ गज़ से ४५ गज़ तक कपड़ा बुना जा सकता हैं ।

(४) इन मशीनों की जांच स्वयं हाथ कर्घा विकास अधिकारी ने की है ।

(५) इन मशीनों के खिलाफ किसी भी बुनकर की शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(६) सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के ६ बुनकरों ने स्थानीय कारीगरों से बनवाकर आधी कीमत मिलने की मांग की है । इसी प्रकार जयपुर के एक बुनकर ने कर्घा नया नहीं बनवाकर पुराना कर्घा किसी से खरीदा है और आधी कीमत की मांग की है ।

(८) जिन बुनकरों ने स्थानीय कारीगरों से स्वतः कर्घा मशीनें बनवाई हैं या पुरानी मशीनें खरीदी है उन्हें आधी कीमत देना अखिल भारतीय हेन्ड लूम बोर्ड की योजना के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि उक्त मशीनें ठेके से बनाई गई हैं ?

श्री पंड्या—वह सरकार ने अपना हिसाब निश्चित् करके बनवायी हैं । १०० रू० की कीमत है ।

श्री चांदमल मेहता— ठेके से बनी या नहीं, कृपया यह बतलाइये ? जो इन बुनकरों को दी गयी हैं वे टेके पर बनायी गयी हैं या क्या ?

श्री पंड्या— हां-हां, ठेके पर बनायी हैं। बिल्डिंग्ज, सड़कें या तालाब सभी ठेके पर बनते हैं।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि ठेके पर मशीनें उस व्यक्ति से बनाई गई हैं जो हेन्डलूम इन्सपेक्टर हैं, उनके पिता हैं और इस वजह से मशीनें बड़ी ही डिफेक्टिव (defective) बनी हैं।

श्री पंड्या —डिफेक्टिव बनने की कोई शिकायत नहीं आई है। हेन्डलूम के अधिकारी के पिता का मुझे मालूम नहीं है, मालूम करके बताया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि जो मशीनें बनाई गई हैं वे ४४ इंच से अधिक अर्ज का कपड़ा नहीं बुन सकती हैं?

श्री पंड्या— वह जिस तरह की लोगों की मांग थी उस तरह की बना कर दी गई थीं। जिस जिस अर्ज के कपड़े के बनाने की आवश्यकता होगी तो वैसी बना दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या ४४ इंच से अधिक वाली मशीनों के बारे में शिकायत कोई सरकार के सामने नहीं आई?

श्री पंड्या— नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के बुनकरों ने यह मांग की थी कि जो मशीनें बनाई गई हैं वे डिफेक्टिव हैं, बड़ी खराब हैं और अधिक कीमत की हैं व उससे कम कीमत में किशनगढ में मशीनें बनाई जा सकती हैं?

श्री पंड्या— इस तरह से व्यक्तिगत जो बनाते हैं उनको सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती है। यह जरूरी बात है कि सरकार ऐसा प्रयत्न करती है कि अधिक खर्चा नहीं हो और उपयुक्त मशीनें बनें।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को उपयुक्त मशीनें कम कीमत में बनवाकर कोई दे तो उसका उपयोग सरकार नहीं लेना चाहती हैं?

श्री पंड्या—अमुक आदमी से क्यों बनवाई और उसके पास से क्यों नहीं बनवाई, ऐसी बात नहीं है। सरकार टेन्डर मांग कर सबों से पूछती है और जिसका टेन्डर कम होता है और अच्छा काम करता है उसको देती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ के बुनकरों को यह आश्वासन दिया गया था कि मशीनें अपनी ओर से बनवा लें, उसके बाद में रकम सरकार से दे दी जायगी?

श्री पंड्या—मैं उत्तर दे चुका हूं कि 'नहीं'।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार का आश्वासन देने की बात जब मंत्री महोदय से कही गई थी तो मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि आश्वासन दिया गया है तो उसको कार्य-रूप में परिणित किया जायगा।

श्री पंडया—मैंने उत्तर दे दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो मशीनें बनी हैं वे प्रति ८ घण्टे में १० गज कपड़ा बुनती हैं और उससे ज्यादा उन पर नहीं बुना जा सकता है ?

श्री पंड्या—नहीं, मैं अपने उतर में बता चुका हूं कि उन मशीनों पर १५ गज़ तक कपड़ा बुना जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—कौन २ सी मशीनों पर १५ गज से अधिक कपड़ा प्रति ८ घण्टे में बुना गया है और वे मशीनें कहां कहां दी गई हैं ?

श्री पंड्या—अलग से प्रश्न पूछियेगा तो जहां २ दी गई हैं, जिन जिन स्थानों पर दी गई हैं और जिस तरह से दी गई हैं, वह सारी जानकारी आपको दे दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जो मशीनें......

श्री अध्यक्ष—Order please ! Next.

प्रश्न संख्या ६१

तहसील पिंडवाड़ा में इस वर्ष तकावी के लिए वितरित रकमें

श्री जवान सिंह—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) पिंडवाड़ा तहसील, जिला सिरोही, में तकावी ऋण के लिए इस साल अब तक कितनी रकम बांटी गई ?

(ख) उपरोक्त तहसील में क्या पिंडवाड़ा गांव के चमार काश्तकारों को बैलों के लिए ऋण न मिलने पर कोई शिकायत पेश हुई थी ?

(ग) अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या बी. डी. ओ. साहब, पिंडवाड़ा, चमारों के प्रति भेदभाव का बर्ताव रखते हैं ?

(ङ) अगर नहीं, तो चमारों को ही ऋण देने में देरी क्यों हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास (योजना मंत्री)—तहसील पिंडवाड़ा तकावी के लिए १० हजार रुपये इस वर्ष में बांटे गये हैं ?

(ख) हां।

(ग) उसका उत्तर ऊपर दे दिया गया है।

(घ) नहीं।

(ङ) वहां के चमारों ने ऋण बैलों के लिए मांगा, था लेकिन वह जमानत देने को तैयार नहीं थे। दूसरे वर्ष नहीं लेने के कारण खास एक समस्या बढ़ गई थी।

श्री जवानसिंह—शिकायत होने पर उत्तर दे दिया गया था। प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि क्या कार्यवाही हुई है, उसका उत्तर मिलना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास—आपने पूछा कि क्या कार्यवाही हुई, उसका उत्तर आपको दे दिया गया है।

श्री जवानसिंह—उस पर क्या कार्यवाही हुई, यह बताया जाय सदन में ?

श्री व्यास—जो उत्तर दिया गया वह माननीय सदस्य को मालूम है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न सदन में पूछा गया है इसलिए इसका उत्तर सदन में दिया जाय।

श्री व्यास—उनका पत्र मेरे सामने नहीं आया। उसकी कार्यवाही की आपको सूचना कर दी गई थी।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय मंत्रीजी प्रश्न (घ) का उत्तर दें कि हुई या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या ६२

ठिकाना उनियारा के समय की हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के भवनों का जीर्णोद्धार

राव राजा श्री सरदार सिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ठिकाना उनियारा के अधिग्रहण के समय कितने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी

Page No.28

[श्री सरदार सिंह]

स्कूल सरकार के चार्ज में दिये गये थे ?

(ख) उनके भवनों की क्या स्थिति है ?

(ग) क्या यह सही है कि उनकी मरम्मत और सफेदी के लिये प्रार्थना की गई थी ?

(घ) अगर हां, तो क्या उस प्रार्थना के अनुकूल मरम्मत और सफेदी करवा दी गई ?

(ङ) अगर नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)— (क) ठिकाना उनियारा के अधिग्रहण के समय एक हाई स्कूल, ३ मिडिल स्कूल्स व ६ प्राइमरी स्कूल्स चार्ज में दी गई ।

(ख) मरम्मत योग्य हैं ।

(ग) जी हां । स्कूल नगर, आवां व उनियारा से मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ।

(घ) नगर स्कूल के लिये आवश्यक मरम्मत व सफेदी कराने के लिए स्वीकृति दे दी गई है और शीघ्र ही मरम्मत हो जावेगी । मिडिल स्कूल आवां व हाई स्कूल उनियारा की मरम्मत कराने के लिए पी, डब्लू, डी. टोंक को लिख दिया गया हैं और शीघ्र मरम्मत का कार्य पूरा हो जावेगा ।

(ङ) उत्तर (घ) भाग में दिया जा चुका है ।

श्री सरदारसिंह—क्या उनियारा हाई स्कूल के भवन की मरम्मत की शिकायत पहुंची है; उसकी रिपोर्ट पर क्या किया हैं ?

श्रीमती बेनीवाल—उत्तर में कहा गया है कि कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सरदारसिंह—ऐसी अफवाह हो रही है कि उनियारा के हाई स्कूल के भवन की मरम्मत नहीं कराई जाय, ताकि बिल्डिंग धिसमार हो जाय और वहां से हाई स्कूल को उठाकर दूसरी जगह भिजवा दिया जाय ।

श्रीमती बेनीवाल—अफवाह के आधार पर आप दिल को मत डिगाइये ।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

श्री तेजमल बापना—भवन के बनवाने के बाद क्या ठिकाने ने कभी उसकी मरम्मत करवाई है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या ६३

बाड़मेर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बनाई गई अथवा बनाई जाने वाली सड़के

श्री तनसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर जिलें में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कौन कौन सी सड़के बनाई जा रही हैं अथवा बनाई जावेंगी ?

(ख) इस वर्ष तक उन सड़कों पर कितनी धन–राशि खर्च हुई और अब कितनी होगी ?

(ग) अन्य सडकें बाड़मेर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कब ली जावेंगी और उन पर कितना रुपया खर्च किये जाने की योजना है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)— (क), (ख) और (ग) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें बाडमेर जिले में बनाई जा रही है और उन पर खर्चे का तखमीना हरेक के सामने दर्ज है :

सड़क का नाम	तखमीना
१. बाड़मेर से सिंदड़ी ग्रेवल रोड	१,००,००० रु०
२. बाड़मेर से चीतलवाना ग्रेवल रोड	४,१७,४०० रु०
३. शिव से गडरा रोड़ ग्रेवल रोड	२,००,००० रु०
४. कल्याणपुरा सिंदड़ी ग्रेवल रोड	५२,५०० रु०
५. बालोतरा खेड़ टेम्पल ग्रेवल रोड	२५,००० रु०

(ग] अभी कोई नहीं ।

प्रश्न संख्या ६४

सिंदरी से सांचोर जानेवाली सड़क का निर्माण

श्री तनसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सिंदरी से सांचोर जानेवाली सड़क जिसकी मंजूरी भारत सरकार के सचिव के संख्या ८४।५१ दिनांक १६-५-१९५१ द्वारा दी गई थी अब तक कितनी बन चुकी है ?

(ख) यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

(ग) अब तक पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) यह सड़क पूरी बन चुकी है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह—क्या आप यह अपनी निजी जानकारी से कहते हैं या सरकारी कागजों के आधार पर ?

श्री कुंभाराम आर्य—निजी जानकारी और सरकारी कागजों के आधार, दोनों से कहता हूँ।

श्री तनसिंह—यह सड़क जिसके बारे में अभी कहा गया है यदि बन चुकी है तो किस प्रकार की सड़क बनी है ?

श्री कुंभाराम आर्य—ग्रेवल रोड।

श्री तनसिंह—यदि ग्रेवल रोड का मतलब कंकर वगैरह से हो तो निवेदन है कि मैंने नहीं देखा कि ऐसी सड़क बनी है। सरकारी अफसरों ने और आपने देखी हो तो पता नहीं।

श्री कुंभाराम आर्य—आप देख लेते तो आपको ज्यादा तसल्ली हो जाती।

प्रश्न संख्या ६५

१ जनवरी, १९५५ के बाद तहसीलदारों के स्थानान्तर

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी १९५५, के बाद राजस्थान में कुल कितने तहसीलदारों के तबादले किये गये ?

(ख) उक्त तबादलों में कितने तहसीलदारों के तबादले चार्ज लेने के पहिले ही मंसूख कर दिये गये ?

(ग) ऐसे कितने तहसीलदार हैं जिनके ट्रान्सफर ६ माह के अन्दर अन्दर दुबारा कर दिये गये हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन तहसीलदार हैं जिनके तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहिर किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद राजस्थान में कुल १४४ तहसीलदारों के तबादले किये गये।

(ख) ३७ तहसीलदारों के तबादले ४ महिनों पहले मंसूख किये गये।

(ग) ३१ तहसीलदारों के तबादले ६ महिनों के अन्दर किये गये।

(घ) ३६ तहसीलदार होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर भेजे गये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जिन तहसीलदारों के तबादले हुए उनमें से क्या ऐसे भी तहसीलदार हैं जो नये हेड क्वार्टर पर पहुँचे और वहां पर पहले वाले तहसीरदारों ने उनको चार्ज नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सरकार के ध्यान में नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसी मिसाल सरकार के ध्यान में आई है कि तबादले पर तहसीलदार पहुँचा और उसके १ घंटे बाद ही उसे दूसरी जगह भेज दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या आप इस बारे में इन्क्वायरी कराने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि स्पेसिफिक इन्सटान्स सामने आयगी तो।

श्री अध्यक्ष—आप कॉन्क्रीट उदाहरण दीजिये।

श्री चांदमल मेहता—इतनी बड़ी तादाद में टान्सफर्स करने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नयी तहसीलें बनने के कारण होम डिस्ट्रिक्ट में भेजने के कारण, जागीरों के मुलाजिमों को तहसीलदार बनाने के कारण और कोलोनाइज़ेशन में नये तहसीलदार भेजने के कारण।

श्री चांदमल मेहता—चार्ज लेने से पहले ही तबादले मंसूख करने के क्या कारण हैं ?

Page No.32

श्री दामोदरलाल व्यास—वह खुद बीमार हों, घरवाले बीमार हों या अन्य कोई स्थिति पैदा हो गई हो जिसके कारण तबादला मंसूख करना लाजमी हो गया हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन कारणों के अलावा कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनके कारण संबन्धित अधिकारियों के काम-काज में मन्त्रीजी ने हस्तक्षेप किया हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बिल्कुल गलत है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे किन किन के तबादले हुए है जिनमें बीमारी की वजह को माना गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री चांदमल मेहता—होम डिस्ट्रिक्ट्स से बाहर तबादले करने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में तहसीलदार और नायब तहसीलदार भारी संख्या में होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हो सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६६

गवर्नमेंट होस्टल में विधान सभा के सदस्यों के चढ़े हुए किरायों की वसूली

कुं०श्री जसवन्तसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गवर्नमेंट होस्टल में जो विधान सभा के सदस्य निवास करते हैं, उनके प्रति कितना कितना किराया, कमरों में ठहरने का अभी तक बकाया हैं?

(ख) गवर्नमेन्ट होस्टल की कैन्टीन का किस किस सदस्य के प्रति कितना कितना पैसा बकाया है?

(ग) किस सदस्य के प्रति सबसे ज्यादा रकम सरकार की अभी तक बकाया है?

(घ) सरकार इस रकम को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) राजकीय प्रवास भवन में जो विधान सभा के सदस्य निवास करते हैं उनके प्रति कमरों का किराया अब तक २७३६ रुपये १२ आने बकाया है। इसका विवरण सूचि 'ए' में है जो सदन की टेबल पर उपस्थित है।

(ख)राजकीय प्रवास भवन में खाने के केन्टीन के १०९२ रुपये ९ आने ६ पाई बकाया हैं, इसका विवरण सूचि 'बी' में हैं जो भवन की टेबल पर उपस्थित है।

(ग) सरकार की सबसे अधिक रकम २९१ रुपये श्री बलवीरसिंह, सदस्य, राजस्थान विधान

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

सभा में बकाया हैं। खाने की केन्टीन की सबसे अधिक रकम १४५ रुपये ७ आने श्री घीसासिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा में बकाया है।

(घ) सरकार की बकाया रकम वसूली सचिव, राजस्थान विधान सभा कर रहे हैं। खाने की केन्टीन के बकाया रकम वसूली के लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है क्योंकि यह खानगी व्यवस्था है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

कु० श्री जसवन्तसिंह—सरकारी रकम को वसूल करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने अभी निवेदन किया कि विधान सभा के जो सेक्रेटरी हैं वे अपनी तरफ से वसूली के लिये कोशिश कर रहे हैं। सरकारी रकम को वसूल करना मुश्किल नहीं है, जब चाहेंगे तभी वसूल की जा सकेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इतने दिनों तक इतनी बड़ी रकम का रहना ठीक नहीं है, क्यों कि इससे बेड प्रिसीडेन्ट (bad precedent) शुरु होता है। जब कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसा किया जाता है तो दूसरे अफसरों से हम क्या आशा कर सकते हैं, जब कि हम खुद ऐसा करते हैं? इनसे रुपये वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि आपके सुझाव के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपके कहने के उपरान्त जल्दी से जल्दी अदा कर देंगे, ऐसी आशा करता हूं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि एक महीने में रकम नहीं देंगे तो विधान सभा की तनख्वाह में से काट लिया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि महीने भर बाद ऐसा सोचें।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने फरमाया था कि सूचियें हाउस की टेबल पर रख दी गई हैं, कल भी मैंने इस बारे में कहा था और आज फिर कहता हूं कि इनकी कॉपियें मुझे क्यों नहीं दी गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हम इसकी तीन कॉपीज़ भेजते हैं। मैं पहले देख लूं कि वे यहां पहुंची या नहीं।

श्री भैरुसिंह—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है कि १५ दिन में बकाया जमा नहीं कराई गई तो होस्टल में उनको नहीं रहने दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—Talk is sufficient for the Members.

कुं० श्री जसवन्तसिंह — (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सारी लिस्ट पढ़ी जाय क्या यहां पर ?

एक माननीय सदस्य—यह लिस्ट तो जरूर पढ़ी जाय।

श्री अध्यक्ष—On behalf of the defaulting Members I will not allow the list to be read.

कुं० श्री जसवन्तसिंह –जिनमें ५० रुपये से अधिक बकाया हैं उनके नाम बताये जाँय।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को मालूम है कि दर असल में केन्टीनवाले को टाइम से पैसे नहीं देने के कारण दूसरे लोगों को भी वेजिटेबल घी खाना पडता है ?

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि केन्टीन के ठेकेदार ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन से यह सवाल पुछवाया है, उसकी वजह से उनको कुछ कन्सेशन दिये हैं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लीडर ऑफ दी अपोजिशन इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन न देता।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—This is not a fair supplementary.

श्री अध्यक्ष—If it is so then the concession may be given to the Memb (Shri Khetsingh) also.

प्रश्न संख्या ६७

आर. ए. एस, ऑफिसरों की आइ.-ए. एस. के लिये सिफारिश करने सम्बन्धी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) चालू वर्ष में किन किन आर. ए. एस. कर्मचारियों की आइ. ए. एस के लिए सिफारिश की गई ?

(ख) उक्त कर्मचारियों का सिनियोरिटी की दृष्टि से कौन कौन सा नम्बर किस किस लिस्ट में है ?

(ग) आई. ए. एस. के सिलेक्शन में कौन कौन पदाधिकारी चुने गये हैं.

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) आई. ए. एस. के सिलेक्शन बोर्ड में कौन कौन अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा मुकर्रर किये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—(क) (ख) और (ग) इनसे संबंधित बातें गोपनीय होने के कारण जन हित में इनका बताना ठीक नहीं।

(घ) १. अध्यक्ष. संघीय लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामजद सदस्य . सभापति

२. मुख्य सचिव सदस्य

३. अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य

४. अध्यक्ष, राजस्व मंडल सदस्य

५. दो ज्येष्ठतम स्थाई आयुक्त (कमिश्नर) सदस्य

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर. ए. एस. से आइ. ए. एस. में प्रॉमोशन का सवाल है या और किसी के प्रॉमोशन का सवाल है वह गोपनीय विषय नहीं होता। ऐसे विषय की जानकारी देनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इसके लिए निवेदन करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा फाइनेलाइज़ नहीं हो जाता तब तक गोपनीय समझी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—जो नाम सरकार की तरफ से दिये गये हैं उन नामों को बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्योंकि इसको फाइनेलाइज़ करना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के हाथ में है इसलिये अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इत्मिनान कर लिया है कि सिफारिश करने में कोई पक्षपात तो नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब लिस्ट की चर्चा करना ही उचित नहीं है तो नामों के उचित होने और अनुचित होने के बारे में क्या कहा जा सकता है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं नाम नहीं पूछता हूं, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो सिफारिश की गई है उसमें सिफारिशों का तो आधार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—This is presumed ?

Page No.36

श्री हरिकृष्ण व्यास—On the contrary I am convinced that they are there and so I want to know whether the Government are aware of it.

श्री मानसिंह महार—क्या मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनके नाम की सिफारिश की गई है उनमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं और अंधे के माफिक ही हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—आपकी जानकारी में लाया जायगा तो क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— मेरे ख्याल से जैसी बात आप कहते है, आंख के अंधे की, वैसी बात तो मेरी जानकारी में नहीं है । शायद ऐसा व्यक्ति सर्विस में भी नहीं होगा ।

श्री मानसिंह महार— वे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के छोटे भाई हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया— कौन हैं, कौन नहीं हैं; इसकी चर्चा अभी नहीं है ।

श्री मानसिंह महार— मैं नाम बताता हूं, क्या आप इन्क्वायरी करने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, क्वेश्चन ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— एक सप्लीमेन्टरी प्रश्न और है । अभी सरकार ने नाम बताये हैं कि ये सज्जन सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं । क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जो रिकमन्डेशन की गई है उसमें सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों के निकटतम रिश्तेदार भी शामिल हैं ? The nearest relatives of the Selection Committee Members have been recommended. Is the Government aware of this ?

श्री अध्यक्ष— When the list is out, the member can discuss.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then it will be too late to discuss.

श्री अध्यक्ष— But then the House has no jurisdiction over that.

प्रश्न संख्या ६८.

बाडमेर के डाक बंगले के निर्माण का ठेका

श्री तनसिंह— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री तनसिंह]

(क) बाडमेर के डाक बंगले के निर्माण का ठेका किसको दिया गया और कितने में दिया गया ?

(ख) इस पर कुल कितना रूपया खर्च हुआ ?

(ग) ठेका देने की विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र के किस अंक में निकाली गई थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य— (क) बाडमेर डाक बंगले के निर्माण का ठेका निम्नलिखित ठेकेदारों को दिया गया :

१. लकड़ी का काम रघुनाथ शर्मा को १११ प्रतिशत पुरानी शिड्यूल के ऊपर।

२. पेंटिंग का काम जांगीड़ ब्राँदर्स को सवा ६ प्रतिशत पुरानी शिड्यूल से कम।

३. बाकी का (पत्थर का) काम जांगीड़ कम्पनी को १५० प्रतिशत पुरानी शिडयूल से ऊपर।

(ख) कुल रूपया २८२६८ व्यय हुआ।

(ग) किसी भी अंक में नहीं।

श्री तनसिंह— इसके ठेके की विज्ञप्ति न निकालने का क्या कारण है ?

श्री कम्भाराम आर्य— इसकी विज्ञप्ति स्थानीय पत्रों में निकल चुकी है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— बाडमेर में कौन सा पत्र निकलता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— जोधपुर का ज्वाला, जोधपुर का प्रजा सेवक और उदयपुर का नवजीवन।

श्री जवानसिंह— बाडमेर से उदयपुर बहुत दूर है।

श्री कुम्भाराम आर्य— मगर बाडमेर से ज्वाला की लपटें तो वहां पहुंचती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— नवजीवन में किसलिये निकाला गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य— जनता की जानकारी के लिये पत्रों में प्रकाशित किया गया।

श्री हरि कृष्ण व्यास— क्या सरकार को मालूम है कि नवजीवन की एक भी कॉपी कहीं नहीं जाती ?

श्री कुम्भाराम आर्य— जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या सरकार जानती है कि उसकी सारी की सारी कम्पलीमेंट्री कॉपीज़ दी जाती हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य— माननीय सदस्य को इसका पूरा ज्ञान मालूम नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास— जिस एरिया के लिये एडवरटाइजमेंट होता है उस एरिय का पहले ध्यान रखा जाना होता है। इसलिये वहां के पत्रों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री कुंभाराम आर्य— पहला नम्बर प्रजा सेवक का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आप डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको मालूम होगा कि नवजीवन को एडवर्टाइजमेंट के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया था, फिर भी उसने छाप दिया ?

कु. श्री जसवन्त सिंह— क्या नये राजस्थान में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, इसलिये यह शिकायत है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह आप पहले से ही इत्मीनान रखें कि पहले से ही हमने तो शपथ ले रखी है। मगर यह शिकायत इसलिये की जा रही है कि जनता का पैसा जो है वह इधर-उधर नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष— Order !

श्री तनसिंह— क्या इसको गजट में छापा करना आवश्यक नहीं था ?

श्री कुम्भाराम आर्य— आवश्यक था, तभी तो पत्रों में छापा गया।

श्री तनसिंह— इसको गजट में क्यों नहीं छापा गया ?

श्री कुंभाराम आर्य—गजट में छपवाना इतना जरूरी नहीं था जितना अखबारों में छपवाना जरूरी था।

श्री अध्यक्ष—अब समझ में आया।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्रीमती यशोदा देवी ने विधान सभा की बैठकों से, दिनांक २६ सितम्बर से दिनांक ३० सितम्बर, ५५ तक, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

प्रश्नों और सम्बन्ध में सदन की मेज पर रखी जाने वाली प्रतियों सम्बन्धी

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और वह यह कि जो प्रश्न कल और आज रह गये हैं उनके उत्तर सदन की मेज पर रख दिये जावें क्योंकि माननीय सदस्य आकर पूछते हैं; जैसा इस संबन्ध में रूल है वैसा किया जावे।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट टेबल पर रखी गई है ·····

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी कह दिया है कि अब से रख दिये जावें और अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो देखा जावेगा।

कु० श्री जसवन्त सिंह—प्रश्नों के उत्तर जो माननीय मन्त्री देते हैं और जो टेबल पर रखे जाते हैं उनकी एडवान्स कॉपी देने का प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा अच्छा यह होगा कि जो उत्तरों की कॉपीज़ एसेम्बली सेक्रेटेरिएट को भेजी जाती हैं उसके साथ एक अतिरिक्त कॉपी भेज दी जावे।

श्री अध्यक्ष—उसमें यह इन्डीकेट किया जावे कि यह कॉपी सदस्य को दे दी जावे, वरना ऑफिस को कुछ पता नहीं चलेगा कि यह कॉपी दी जाने को है।

श्री नन्दसिंह की पुलिस निरोध में हुई मृत्यु पर के स्थगन प्रस्ताव पर श्री गृहमन्त्री का वक्तव्य

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, कल एक काम रोको प्रस्ताव श्री नन्दसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में आया था। उस सम्बन्ध में मैंने आज के लिए कुछ कहने को कहा था। श्री नन्दसिंह को, २७ जून १९५५ को जयपुर शहर में भू-स्वामी संघ के आन्दोलन के समय लगाई गई धारा १४४ को तोड़ने और भंग करने के आरोप में पकड़ा गया, उनको पकड कर थाना मानकचौक में रखा गया। २८ तारीख को सायंकाल उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने यह अफवाह फैलादी की पुलिस ने उसको मारा इसलिये उनकी मृत्यु हो गई। उसकी उसी वक्त सिटी मेजिस्ट्रेट को सूचना दी। उन्होंने कानून के माफिक कार्यवाही की। इसके अलावा एक मेडिकल बोर्ड ३ आदमियों का मुकर्रर कर दिया गया और डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया। उसके बाद भी बहुत से लोगों की यह मांग रही कि उनकी मृत्यु मार-पीट के कारण हुई, इसलिये जुडिशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिये, हालां

[श्री रामकिशोर व्यास]

कि गवर्नमेंट को पूरा इत्मिनान था कि उनकी मृत्यु पुलिस की मारपीट के कारण नहीं बल्कि और कारण से हुई, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने पब्लिक की मांग को स्वीकार करके श्री ए. एन. कॉल जो जयपुर के डिस्ट्रिक्ट जज है, इसके लिये मुकर्रर किया । उन्होंने पूरी तहकीकात करके और २५ गवाहों के बयान लेने के बाद रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री नन्दसिंह की मृत्यु पुलिस की मारपीट से नहीं बल्कि उनके हृदय के पास रक्त की धमनी फटने से हुई, यह ब्लड प्रेशर के कारण हुई । इससे यह स्पष्ट है कि श्री नन्दसिंह की मृत्यु ब्लड प्रेशर से रक्त की धमनी फट जाने से हुई । इसलिये श्री नन्दसिंह की मृत्यु पुलिस की मारपीट से नहीं हुई ।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

श्री **अध्यक्ष**—No.

समय पर सम्बन्धित मंत्री के उपस्थित न रहने पर वाद-विवाद

Now we come to the Leiislative Business, Shri Damoder lal vyas, Revenue Minister,

(अनुपस्थित)

श्री **बृज सुन्दर शर्मा** (वित्त मन्त्री)—कल का बाकी है ।

श्री **अध्यक्ष**—Next, Shri Amrit lal yadav.

श्री **बृज सुन्दर शर्मा**—कल का बाकी है ।

श्री **अध्यक्ष**—कल कर दीजिये ।

(श्री अमृतलाल यादव बोलने के लिये खड़े हुए)

कु. श्री **जसवन्तसिंह**—On a point of order, Sir, the point is not that it should be taken today or tomorrow, but if on the agenda a particular Minister's name is there and if he is absent at the moment, I will say it is discourtesy to the House; and if you, Sir, would be good enough to see to the procedure of the House of the People and parliament, it is the practice in the Parliament that Ministers are supposed to be present when work in regard to their portfolias appear on the agenda.

श्री **दामोदरलाल व्यास**-(सदन में प्रवेश करके) I am very sorry, extremely sorry...

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर 'हियर' की ध्वनियाँ)

.........for only a minute's absence, but certain items should have been taken earlier according to the agenda.

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Damodar Lal Vyas:

सदन की मेज पर रखा गया राजस्थान निष्कासन निरोधक अधिकारियों की कार्यवाहियों एवं निर्णय (वैधकरण) अध्यादेश, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान एन्टी इजेक्शन ऑफीसरों की कार्यवाहियों और निर्णय (वैधकरण) अध्यादेश, १९५५ (अध्यादेश संख्या १४, जून सन् १९५५) सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव :

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री भोगीलाल पण्डया—बद्री प्रसादजी का है।

राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—२७, २८, और २९ की जो कार्यसूची सर्कुलेट की गई है उसमें राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) विधेयक, १९५५ है।

श्री दामोदरलाल व्यास— अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—Yes, next. Shri Damodar Lal Vyas.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूँ।

Page No.42

राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १६५५ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—श्री अमृत लाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १६५५ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १६५५, (पुरःस्थापन)

श्री बद्री प्रसाद गुप्त (स्वायत शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १६५५ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

जोधपुर संशोधन म्युनिसिपल विधेयक १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री बद्री प्रसाद गुप्त (स्वायत शासन मन्त्री)-माननीय अध्यक्ष, मैं जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) विधेयक, १६५५ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष— श्री बृज सुन्दर शर्मा ।

अतिरिक्त अनुदानों की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष—अतिरिक्त अनुदानों की प्रस्तुति ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—पेश तो हो चुकी हैं साहब, इन पर तो मतदान होंगे ।

श्री अध्यक्ष–An explanatory speech if the Hon'ble Minister wants to make ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—३१ मार्च, १६५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में जो रकम घटी और बढ़ी है और जिनके लिये उस साल मतदान हो चुका लेकिन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के बाद भी कुछ वेरिएशन्स हुए हैं, जिनकी स्वीकृति सदन से लेना आवश्यक है; इसलिये इन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के लिये ये ३, ४, आइटम्स जो हैं मतदान के लिये प्रस्तुत हैं और इन पर मत लिया जाय।

कु० श्री जसवन्त सिंह—They ars not supplementary grants, if I am correct. They are excess grants

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—एक्सेस ग्रान्ट्स, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के बाद ६ महीने की अवधि होती है । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, या ऑडिट विभाग जो उनमें खामियां निकालते हैं, उन्हीं खामियों की पूर्ति के लिये सदन से ग्रान्ट की स्वीकृति ली जाती है । इसलिये इन्हें सदन के सम्मुख पेश किया है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, यह ऐसा विषय है जिस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, पर माननीय वित्त मन्त्रीजी ने ऐसे विचार प्रकट किये जिनकी वजह से कहना आवश्यक पड़ गया है। मैं फाइनेन्स का इतना विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। आपने यह फरमाया कि चूंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, फोर्मेलिटी पूरी कर दी जाय, इसलिये इस पर स्वीकृति ली जाय, यह ठीक नहीं है। वे कृपा करके भारत का जो संविधान है उसके आर्टीकल को देखने की तकलीफ करेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि उन पर लाज़िमी है कि एक्सेस एक्सपेन्डीचर जो हो जाता है उसको स्वतः सदन के सामने मन्जूरी के लिये लावें। सन् १६५२ को ३१ मार्च तक जो खर्च हो चुका, एक्सेस एक्सपेन्डीचर होता है तो सरकार, अगर वह सरकार की तरह काम करती है तो एक साल के अन्दर २ एकाउन्ट्स क्लियर हो जाने चाहिये। अगर एकाउंट्स तैयार हो गये हैं तो ४ साल तक सदन के सामने उनको क्यों नहीं लाया गया? ४ साल हो गये हैं ५२ के बाद में और आज इसको यहां क्यों लाया गया, एकाउन्ट्स की कार्यवाही पूरी होते ही उसको सदन के समक्ष क्यों नहीं लाया गया?

दूसरी बात जो यहां वित्त मन्त्रीजी से जानना चाहूँगा वह यह है कि एक्सेस एक्सपेन्डीचर होता है, पर अगर सरकार सतर्क रहे और खर्च को कन्ट्रोल में रखे तो एक्सेस एक्सपेन्डीचर होना, यह फाइनेन्स के प्रिन्सिपल के बिल्कुल विरूद्ध है और जहां कहीं भी एक्सेस एक्सपेन्डीचर हो जाता है तो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के ये माने हैं कि उसकी अच्छी तरह से जांच करके फिर सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स लें और यदि फिर भी एक्सेस एक्सपेन्डीचर हो जाता है तो मैं यह वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का क्या कन्ट्रोल है? एक्सेस एक्सपेन्डीचर का ट्रेज़री द्वारा, यदि फाइनेन्स डिपार्टमेंट रोक रखता है, पेमेंट न हो, ताकि गलती फौरन पकड़ी जाय और कायदे मुआफिक कार्यवाही की जाय।

ये तीन–चार एतराजात हैं। इसका मतदान देना तो लाजमी बन जाता हैं लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट की सराहना नहीं की जा सकती कि इतने से काम में इतने वर्ष की ढील हो। यदि सतर्कता फाइनेन्स महकमे की देखी जाय तो में यह अर्ज करूं, माननीय अध्यक्ष, कि यदि कोई ८० वर्ष की बेवा हो और यदि उसको पांच रुपया पेन्शन का देना हैं और यदि उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाय तो वह चाहे मर जाय और उसका वारिस भी मर जाय, तो भी पेन्शन नहीं दी जाती। मैं माननीय अध्यक्ष, ऐसे उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ, यदि वित मन्त्रीजी जानना चाहें तो कि गरीब बेवाओं को निर्वाह करने के लिये जो पांच रुपये की पेन्शन की रकम है वह भी वर्षों नहीं दी जाती और इधर लाखों रुपयों की रकम सरकार की लापरवाही से खर्च की जा सकती है और उसके लिए केवल एक फोर्मेलिटी के तौर पर सदन में कह दिया कि ऐसा हो गया इसलिये मत इस पर दे दिया जाय। तो यह तो विधान सभा में होना है जो होगा, वह तो मंजूर कर दिया जायगा। लेकिन इस एक्सेस एक्सपेन्डीचर (अतिरिक्त व्यय) का ट्रेज़री द्वारा क्यों पेमेंट हुआ और इसकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद पेमेंट किया गया या नहीं? दूसरा, जब कि एक्सेस एक्सपेन्डीचर चार वर्ष पहले हो चुका है और जिसके एक्चुअल अकाउन्ट्स हैं और जो एक वर्ष में तैयार हो जाते हैं; अब तक मंजूरी क्यों नहीं ली

[श्री जसवन्तसिंह]

सदन से ? तीसरा पांइन्ट यह है कि क्या जब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाय तब ही मंजूरी के लिये सदन में लाया जाय ? उसके ध्यान में लाने पर ही सदन में लाया जाय तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रॉविजन है, फिर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को बीच में क्यों लाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—इस बारे में शायद बहुत बड़ी रकम दिखाई देती है इस वजह से मेरे माननीय सदस्य को एतराज है। यह तो कुछ माइनर एडजस्टमेन्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या जनरल डिस्कशन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष— Some explanations on certain points.

श्री हरिकृष्ण व्यास— मेरा खयाल है कि जो मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, इस प्रकार का डिस्कशन तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Member has raised certain suspicions and......

श्री हरिकृष्ण व्यास— मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है, कि जनरल डिस्कशन वैसे भी हो सकता है। रिप्लाई देने से तो फिर हमारे राइट्स खत्म हो जावेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—कॉस्टीट्युशनल पॉइन्ट्स का क्लेरीफिकेशन हो जाय और फिर जनरल डिस्कशन हो तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष— If any other Memler wants to take part in the discussion I have no objection to allow him.

कु० श्री जसवन्त सिंह — Genral discussion may take place now.

श्री अध्यक्ष— यह एक्सेस डिमान्ड का मामला है तो जनरल डिस्कशन का स्कोप क्या होगा ? या तो एक्सेस डिमान्ड पर ऑब्जेक्शन्स हों और जहां थोड़ी रकम स्वीकृत है जैसे १ हजार है और ५०० बढ़ कर १५०० हो गई तो फिर वह जनरल डिस्कशन का स्कोप नहीं। एक्सेस पर ऑब्जेक्शन हो और यदि कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन है तो उसका फाइनेन्स मिनिस्टर जवाब देंगे और जनरल डिस्कशन के स्कोप में वह नहीं आयगा।

कु० श्री जसवन्त सिंह—The pcint is this, Sir, चाहे बजट पेश किया जाय या सप्लीमेन्टरी या एक्सेस डिमान्ड्स के लिये मतदान लिया जाय रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार तीनों का प्रोसिजर एक है।

श्री अध्यक्ष— But then it is post-mortem.

कु० श्री जसवन्तसिंह— पोस्टमार्टम के लिए सरकार का ध्यान तो आकर्षित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष— We have very important matters to do. Then the supplementary grants will be taken or if the Hon'ble Memers have to say anything, the demands will be put before the House and then discussion can take place.

श्री हरिकृष्ण व्यास— We can have either way. We may have the demands or we may have general discussion; because apart from each particular demand the fact that such excesses occur is itself a very material point on which certain general discussion is called for. So as you order we are having discussion, that is all right. We can then have individual demands taken up.

श्री अध्यक्ष— Individual demands may be taken up.

श्री हरिकृष्ण व्यास— इन्डिविजुअल ग्रान्ट की क्या आवश्यकता है। बजटरी ग्रान्ट पर ही :

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्लेरिफिकेशन कर देता तो ठीक होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाद में हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री बृजसुन्दर शर्मा—विधान के अन्तर्गत सम्मिलित निधि में से बिना मंजूरी के सदन की रकम खर्च नहीं की जा सकी। कोई टेक्निकल और माइनर मिस्टेक्स हों तो उनके लिए एडजस्टमेन्ट करना पड़ता है। यदि किसी एक मद में आइटम लगाना चाहिए था और यदि दूसरी मद में वह लग जाता है तो पहले आइटम में से घटाना पड़ता है और उसको दूसरे आइटम में जोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ यह है कि कई टेक्निकल खामियां रह जाती हैं और अकाउन्ट्स के समय ध्यान में याद में आती है जिनको उचित समझ कर ठीक किया जाता है। इसमें हम ऑवर ड्राफ्ट डिमान्ड करते हैं, यह बड़ा इसमें आइटम है और ज्यादा बड़ा दिखाई भी देता है; उसके लिए निवेदन करूंगा कि पहले ऐसा करते थे कि अन्त में जाकर ऑवर ड्राफ्ट रह जाता तो उसकी स्वीकृति लेते। इसमें यह बताया गया है कि जितना ऑवर ड्राफ्ट करें जितना जमा करें, उसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसके लिये आज ७८,७८३,९९,५७२ का जो बड़ा सा आइटम दिखाई देता है वह इस वजह से है कि ऑवर ड्राफ्ट की फेसिलिटीज़ हमको इम्पीरियल बैंक से है और १०॥ करोड़ तक हम ऑवर ड्राफ्ट कर सकते हैं। जितना वक्त वक्त पर लिया जाय उसकी स्वीकृति होना आवश्यक है; तो इस प्रकार इन सब बातों को देखते हुए, टेक्निकल डिफिकल्टीज़ को देखते हुए इसकी मंजूरी लेना आवश्यक है।

Page No.46

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

अब जो इनडिविजुअल डिमान्ड्स हैं उनका स्पष्टीकरण होगा तो सब मामला साफ हो जायगा। कोई आइटम माइनर इर्रिगेशन के हैड में जाना चाहिए था तो वह चला गया रूरल डेवलपेमेन्ट में।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—That is not a reply to my objections.

श्री अध्यक्ष—These are technical matters.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—As far as sanction is concerned; but serious thing as far as the item is concerned.

श्री अध्यक्ष—एडजस्टमेन्ट के हिसाब से है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि सदन के पहले सत्र में यह चीज आयी थी। पहले बिजनेस ज्यादा होने की वजह से यह चीज ली नहीं जा सकी।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—पांच-छः महीने पहले ही।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऑडिट हो जाने के बाद भी अकाउन्ट्स ऑडिट होकर आते रहते हैं। उसके बाद ही यह आयी।

श्री अध्यक्ष—We proceed to take particular demands one by one.

अतिरिक्त मांग संख्या ४१, विद्युत योजनाऐं-कार्यवाहक व्यय

श्री कुंभाराम आर्य (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग संख्या ४१, विद्युत योजनायें कार्य-वाहक व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ३,९२,७८६ रु० तक की राशि प्रदान की जावे

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत की हुई।

इस अतिरिक्त मांग के लिये, जो कि ३,९२,७८६ रू० की है, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं।

श्री कुम्भाराम— अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया; इसके अतिरिक्त नये स्टाफ के रखे जाने के कारण और विद्युत योजनाओं के कार्यवाहक व्यय के लिये इस अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय अध्यक्ष, मुझे आप मेरा कटमोशन प्रस्तुत करने की इजाजत देंगे, हालांकि मैं उसको समय पर नहीं दे सका; लेकिन कल मैंने दे दिया था।

श्री अध्यक्ष— नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— एक विशेष स्थिति यह है, इसलिये मैं relaxation चाहता हूं कि मुझे अपना कटमोशन रखने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—These cut-motions have already been rejected,

श्री हरिकृष्ण व्यास— लेकिन वह चीज शायद ख्याल नहीं आई हो। जब आप मुझे कटमोशन पेश करने की इजाजत नहीं देते हैं तो मैं वैसे ही बोल दूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी सदन के सामने ३,६२,७८६ रूपये तक की राशि प्रदान करने के लिये प्रस्ताव किया गया है और इस संबन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी द्वारा यह मांगी क्यों की गई, इसके समर्थन में बिचारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को घुसेड़ा है। जहां तक सिद्धान्त का बात है, जहां पी० ए० सी० के संबन्ध में कहने-सुनने का सवाल है उसका उल्लेख वे न करते तो ज्याद अच्छा होता क्योंकि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इस संबन्ध में जो कुछ कहा है, उसको सुनने के बाद इतना पसन्द न आयेगा जितना कि आपने उल्लेख करते समय तसल्ली कर ली। मैं, माननीय अध्यक्ष, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ५४-५५ की सेकन्ड रिपोर्ट के पेज ४ पेरा ५की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके जरिये, इस सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं; उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्थान में जितनी मद की मन्जूरी हुई है, उससे कहीं ज़्यादा इस मद पर खर्च हुआ है। इस खर्चे पर पी० ए० सी० ने यह कहा है,

"Indeed an excess vote has been described as a type of Financial sin and experts in public finance have oonsidered it as the height of irregularity, "

जहां तक पी० ए० सी० कमेटी की राय का सवाल है उसका तो यह कहना है कि इस प्रकार की मद में जितनी रकम स्वीकृत हुई उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाना यह, न केवल भयंकर अनियमितता है किन्तु आर्थिक मामलों में, पैसे के मामलों में यह पाप के बराबर है। इतना सब कहने के बाद भी सारी खामियों पर लम्बा-चौड़ा प्रकाश डालने के बाद आखिर में पब्लिक अकान्उट्स कमेटी ने यह कहा है कि इस भयंकर अनियमितता को रोका जा सकता था और आज भी इसे रोका जाना चाहिये; इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। पहले जो गलती कर दी उसको रेगुलराइज़ करने के लिये विधान के मुताबिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सब से पहले में इस बात पर एतराज करता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के नाम का इसमें जो दुपयोग किया गया वह अवान्छनीय है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री और वित्त मन्त्री को सदन के सामने आकर इस बात को स्वीकार करना चाहिये और यह कहना चाहिये कि यह गलती अनजाने में या नासमझी से हो गई है, आयन्दा नहीं होगी और जो हो गई है उसको रेगुलराइज़ करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसके लिये सदन अनुमति दे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, माननीय अध्यक्ष, कि सप्लीमेंटरी डिमान्डस की तरह ही यह नोर्मल चीज हो। वित्त मंत्री जी का यह ख्याल है कि एक्सेस डिमान्ड्स भी उसी प्रकार की चीज़ है। जैसे पहले बजट बना लेते है, फिर यदि कमी ज्यादा हुई तो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स से मांग लेते हैं और फिर भी कमी ज्यादा हुई तो एक्सेस डिमान्ड्स की ओर मांग कर लेगें। मेरा यह मानना है कि यह भयंकर स्वरूप की इरेगुलेरिटी है। ऐसा होना किसी राज्य के लिये शोभास्पद चीज नहीं कही जा सकती। अगर हम इन एक्सेस डिमान्ड्स के मूलकरण में जांय, जो कि हमें सक्युलेट किया गया है, तो उसको देखने से पता चलेगा कि विद्युत योजनाओं के कार्यवाहक व्यय में अधिक खर्चे के कारण यह हो, ऐसी बात नहीं। उसमें यह दिया गया है माननीय अध्यक्ष, कि कोयले के अधिक प्रयोग के कारण, वास्तविक व्यय ३७ लाख ३,६१३ रु० हुआ इसलिये ये आंकड़े अधिक हुए। तो मद में जो स्वीकृत रकम थी उससे ज्यादा खर्चे का कारण यह बताया गया है कि कोयले की खरीद में जितने रुपये का अनुमान था उससे कहीं अधिक खर्च हुआ। मैं भी यह मानता हूँ कि कभी २ ऐसा हो भी जाता है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा मानकर कभी नहीं चलेगा कि जितना अनुमान किया जाय बिल्कुल उतना ही खर्च हर समय और हर स्थिति में होना चाहिये। यह आम प्रश्न सदन की स्वीकृति के लिए है। आज सदन की स्वीकृति के लिये जो विशेष प्रश्न है वह यह कि सन् ५१–५२ के सिलसिले में यह मांग प्रस्तुत की जा रही है। सन् ५१–५२ में कोयले के सिलसिले में ज्यादा खर्च हुआ। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में कोयले की खरीद जस्टिफाएबल गिनी जा सकती है या नहीं ? मैं इस बारे में, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन का ध्यान दो विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उस बड़े काण्ड का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसका उल्लेख सारे राजस्थान में हो रहा है। जयपुर में जो बिजली घर है उसमें कोयले की खरीद के सिलसिले में बहुत बड़ी घटना हुई है। कोयले की खरीद के सिलसिले में जो आंकड़े हैं वास्तव में उतना कोयला आया ही नहीं, बिना माल आये ही पेमेंट कर दिया गया। कोयला विभाग का जो रजिस्टर है वह ठीक से रखा नही गया, उस पर किसी के दस्तखत नहीं है। उस रजिस्टर के हर पेज के ऊपर काट–छांट की गई है; ५० की जगह १०० कर दिये गये हैं, पेज की टोटल मिलती ही नहीं, जबरदस्ती मिलाई गई है। इस तरह से और रजिस्टर में एन्ट्री के लाखों रुपयों का पेमेंट हो गया। आज आपको भले ही यह खर्चा छोटा मालूम पड़े लेकिन वास्तव में यह बहुत लम्बा–चौड़ा घोटाले का कारण है और अव्यवस्था के कारण यह है। बदइन्तजामी का कारण है जो इतना बढ़ा–चढ़ा खर्चा बताया गया है।

आज हम अगर इस एक्सेस डिमान्ड को मन्जूर कर लेते हैं तो हम एक गलत परम्परा डालेंगे, बदइन्तजामी और अव्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे। आज हमें यह करना है कि हम सही परम्परा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डालें और इस मांग को मन्जूर न करें ताकि इस प्रकार जो अव्यवस्था चलती रही है वह आयन्दा न चले और इस प्रकार की बदइन्तजामी न हो पाये। इस सिलसिले में राजस्थान की अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के पेज ३३ की ओर आपका ध्यान खींचते हुए कुछ निवेदन करूंगा, क्योंकि इसका सम्बन्ध इस कोयले के खर्चे से है। हमें यह बार बार कहा गया है कि अन्दाज से ज्यादा खर्चा कोयले का हो गया। पर मैं पूछता हूँ यह क्यों हो गया, क्यों होता है बार बार और क्यों हुआ ? वह इसलिए है माननीय अध्यक्ष, मैं कहूँ, कि कोयले का ठेका देने का मामला जब आता है तो कायदे-कानून को रद्दी की टोकरी में फैंक कर, सरकार के हितों को ताक में रख कर अपने अपनों को, अपने खास खास को प्रोत्साहन देना, अपने किसी के स्वार्थ-साधन के लिये अजीब अजीब सी चीजें की जाती हैं, और यह बात मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूँ, यह बात मैं संविधान सभा द्वारा मुकर्ररशुदा जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसकी जबानी सरकार के सामने और सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष, पेज ३४ पर उसने अपनी मुकम्मिल राय लिखी है। कोयले की खरीद के बारे में राज्य सरकार ने जो रुख अपनाया है उसके बारे में उसने राय लिखी है :

"Each one of the facts stated in the preceding paragraph would be sufficient to raise suspicions. But all these put together hardly leave any doubt as to the possible reasons for the conduct of officers dealing with these matters. We have come to the definite conclusion that during this whole transaction the officers concerned exhibited a flagrant disregard of the interests of the Government and all this, for reasons which could not be considered bonafide, "

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कौनसे साल की रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पी. ए. सी. की ५४-५५ की सेकिंड रिपोर्ट ओन दी एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १९५१-५२, पैराग्राफ ३७, पेज ३४ की टॉप लाइन को पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह इससे सम्बन्धित है जो डिमान्ड चल रही है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जी हां। कोयले में एक्सेस खर्चा हुआ उस कोयले की खरीद के सिलसिले में क्या पद्धति चल रही है, इस बारे में सार्वजनिक लेखा समिति ने लिखा है; जो मैं पढ़ रहा हूं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय के अभी तक खयाल में न आने से मैं सिर्फ आखिरी सेन्टेन्स और दुहरा देता हूं ;

"We have come to the definite conclusion that during this whole transaction the offcers concerned exhibited a flagrant disregard......"

श्री अध्यक्ष—No repitition.

Page No.50

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरा निवेदन करना यह है कि जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की जा चुकी है और उसे सब जान चुके है; फिर पेश करने के बाद दुबारा रीड करना और इसमें इतना समय लेना, यह तो सदन का समय बेकार गंवाना है । यह सब माननीय सदस्यों की जानकारी में है । माननीय अध्यक्ष, वे सिर्फ वही पढ़ें जो पोइन्ट वे स्ट्रेस करना चाहते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही, वही तो मैं कर रहा हूं । सारी रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाने में तो सारा दिन भी नाकाफी होगा । बीच बीच में जहां जहां जरूरी है वहीं से उद्धरण में आपको सुनाना चाहूंगा, ताकि सरकार उस पर सोचे समझे और आगे से उन गलतियों को न होने दे, उस पर सही कार्यवाही करे और अगर सरकार इस पर कोई गौर करने को तैयार नहीं और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है तो माननीय अध्यक्ष, मैं कह दूं कि उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं दस बार सुनना पड़ेगा और हम बार बार सुनावेंगे जब तक कि वे उचित कार्यवाही न करें । पर मुद्दा यह है माननीय अध्यक्ष, कि आज हमें यह कहा जा रहा है कि अनुमान से ज्यादा कोयले का खर्चा हो गया और जिस साल में यह खर्च हुआ उसके तीन साल बाद आप अपना मत दें । हम यह चाहते हैं कि इस पर मत नहीं हो । यदि हम अपना मत दें तो मजबूरी से दें । ऐसी स्थिति आइन्दा से इस प्रकार से वोट मांगने की, मत मांगने की नहीं आये इसलिए जो कारण बताया जाता है उसकी छानबीन में जाना विधान सभा के लिए आवश्यक है । कोयले में अनुमान से अधिक खर्च हुआ, इसका कोई देवी कारण था, मानवीय कारण था या मनुष्य लिए अन्दाज न कर सकने लायक कारण था ? अगर ऐसा कोई कारण होता तो हम भी अपना मत मजबूरी से दे देते । पर इसका कारण विभाग की अव्यवस्था से, सरकार की बदइन्तजामी से सम्बन्ध रखता है; तो वह मद और उस मद से ज्यादा खर्च कभी भी मत देने योग्य नहीं गिना जा सकता, और मैं आपके जरिये माननीय अध्यक्ष, वित्त मन्त्रीजी का और सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ । वैसे वित्त मन्त्री होने के नाते फाइनेन्स की बातों से जानकारी तो उनकी ज्यादा होनी चाहिये, पर मैं उनका ध्यान फिर भी आकर्षित करना चाहता हूं, चाहे वे भले ही ध्यान न रखते हों कि हिन्दुस्तान के कन्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ने यह सुझाव दिया है कि अब से अकाउन्ट मेन्टेन करने का काम जो है वह अकाउन्टेन्ट जनरल से अलग कर दिया जावे और अगर अलग कर दिया जावेगा तो वहां फिर दूसरी पद्धति होगी । वह पद्धति वह प्रणाली नई होगी । उसका जो विभागीय आधार है वह कन्ट्रोलिंग आधार हो जावेगा । इससे जब पूरी की पूरी मांग का रुपया खत्म हो जावेगा तो ट्रेजरी बिल पास करना बन्द कर देगी । इस प्रकार की चीज को लागू करने की कोशिश चल रही है लोक सभा में और इसके बाद में अलग अलग राज्यों में और इसके विपरीत हम आज उस पुराने जमाने की एक्सैस डिमान्ड को इस सहूलियत से पास करना चाहते हैं । कहते है टेक्निकल गलती हो गई, कोई इधर-उधर की गलती से, टेक्निकल गलती से एडजस्टमेन्ट नहीं हुआ । बात ऐसी नहीं हैं । अगर वाकई मनुष्य की कमजोरी से ऐसी कोई टैक्निकल गलती होती या किसी भूल से यह एडजस्टमेन्ट नहीं हो सका होता तो कोई बात नहीं थी, क्षन्तव्य हो सकती थी यह बात; पर माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में आंखें मूदकर विधान सभा के आदेशों का उल्लंघन किया गया है । अतः यह जो मांग प्रस्तुत की गई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है मैं इसको बिल्कुल वाजिब नहीं मानता । मैं नहीं मानता कि यह होना आवश्यक था, इसको ठीक नहीं किया जा सकता था ।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गैरजिम्मेदारी की बातें फिर न की जा सकें, भविष्य में इस प्रकार की बदइंतजामी फिर हमें न देखनी पड़े इसलिए मैं इस मांग का विरोध करता हूं और माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पूरी की पूरी मांग को अस्वीकार न करें तो कम से कम इस गलती को माननीय वित्त मन्त्री महोदय और सम्बन्धित मन्त्री महोदय के ध्यान मे लाने के लिए इसमें एक रुपये की कटौती तो अवश्य कर दें । अगर ऐसा न कर देंगे तो उनके दिमाग में यह चीज आ जावेगी । इन्हीं शब्दों के साथ इस मांग का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा— यह जो मांग पेश की है इसके मुतल्लिक मुझे भी कहना है । अभी प्रश्न के उत्तर में भी बताया गया कि सिवाय कोटा के दूसरे सारे बिजली घर नुकसान में चलते हैं । इसके लिए मैं खास जोधपुर का दृष्टान्त आपके सामने रखूंगा कि इस नुकसान का खास कारण क्या है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— इसका तो कोई सम्बन्ध यहां नहीं है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा— यह सब एक्सैस डिमान्ड के अन्दर ही आवेगा । तो मतलब यह है कि जो अभी कोयले के मुतल्लिक बताया गया श्री एच. के व्यास द्वारा उसमें एक बात मैं और जोड दूं कि अन्दाज ही गलत नहीं होता, पर कोयले की रेटों के लिए जो टेन्डर मांगे जाते हैं और जो नमूना मांगा जाता है वह माल सप्लाई के वक्त नहीं मिलता है, पैसा ज्यादा दिया जाता है और माल हल्का मिलता है । दूसरी बात, कोयला जो होता है वह लापरवाही से या और किसी कारण से कच्चा ही बॉयलर से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉयलर पूरा जलता ही नहीं । इन सब का परिणाम यह होता है कि कोयले पर खर्चा ज्यादा पड़ता है ।

दूसरी बात यह है कि पॉवर हाउस पुराने जमाने का है और उसमें उस समय जितने कन्ज्यूमर्स थे उनके बिल वगैरह बनाने के लिए दस बारह क्लर्क होते थे और वे काफी भी थे, पर आज जब कि कन्ज्यूमर्स कई गुना पहले से बढ़ गये और आज करीब करीब ११ हजार कन्ज्यूमर्स हो गये हैं तब भी स्टाफ उतना ही रक्खा गया है । यही नहीं स्टाफ में तो पहले से भी कमी कर दी गई है । चार चार महीने के बाद तो बिल मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष— इसका तो यहां कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— यह तो आप तीन साल पहले की बात कह रहे हैं।

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा— एक्सैस पर आ रहा हूं। डिमान्ड की बात हो रही है। माननीय अध्यक्ष, मैं उस पर आ रहा हूं। डिमान्ड की बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष— डिमान्ड की बात नहीं है।

(श्री सन्तोष सिंह कछवाहा के बैठ जाने पर)

(श्री बृजसुन्दरशर्मा से) आप थोड़ा इसके बारे में स्पष्ट बतला दें तो इसके डिसकशन में जो दूसरी बातें चाही जाती हैं वे न हों।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— स्पष्टीकरण अनुदान में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष— अनुदान में नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— मैं बतला देता हूं, ५१—५२ में ....

श्री संतोष सिंह कछवाहा—५१-५२ से ही शुरू होता है। राजाओं के जमाने में कोई पॉवर हाउसें घाटे में नहीं चल रहा था। घाटा तो अभी आने लगा है और उसी के कारण मैं बतला रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जितने, अध्यक्ष महोदय, बिजलीघर राजस्थान में चलते हैं ..

श्री अध्यक्ष—जवाब दे रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— जवाब भी दे रहा हूं और सारी की सारी चीज़ भी सामने रख देता हूं। उनके कोयले के लिए ३०,३८,०००रू० की रकम मन्जूर की गई थी। साल के आखीर के जब एकाउन्ट्स का चेकिंग हुआ और प्रोपर्ली उसको देखा गया तो यह मालूम पड़ा है कि ३७, ०३, ६१३ रू० का कुल खर्चा हुआ। उस वक्त प्रोपर रिकन्सीलियेशन, मैं नहीं कहता, होता था। कमर्शियल एकाउन्ट्स पॉवर हाउसेज़ में नहीं रखे जाते थे, यह मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है। जिन २ पावर हाउसेज़ का प्रश्न उठाया गया है उनमें कई चीजें गलत टेक्निकली इस तरह की पाई जाती हैं तो उनके लिए प्रोपर इन्क्वायरीं पॉवर हाउसेज में इनिशियेट कर दी गई हैं, स्पेशल ऑफिसर वहां के लिए नियुक्त कर दिये हैं, आवश्यक कार्यावही हो रही है। कॉमर्शियल एकाउन्ट्स वहां पर रखे जाने लगे हैं। तो ३७, ०३, ६१३ रू० साल के आखीर में मालूम हुए कि इतना खर्चा

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

ज्यादा हुआ तो फिर वहां पर और मदों में कुछ बचत थी तो उसको एप्रोप्रियेट करने के बाद में वास्तविक ३,६२ ७८६) रू० की रकम ऐसी रही कि जिसकी मन्जूरी लेना बहुत आवश्यक है। तो यह ऐक्सेस डिमान्ड, कोयले की खरीद में जो ज्यादा खर्चा हुआ है, उसके बारे में है। ५१-५२ में कोयले के ठीक तौर से एकाउन्ट्स नहीं रखे जाते थे, यह सत्य है। इसके बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपना निर्णय दिया है और वह सदन के सामने भी आ चुका है। भविष्य में जो एकाउन्ट्स रखे जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। कोयले के बारे में टेन्डर्स वगैरह की जो भी सिफारिश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने की है, उसके बारे में जो निर्णय दिया है; ऐसा नहीं हो सकता है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो निर्णय दिया है वह हमें मान्य नहीं है, उसका विरोध करते हैं, उसकी अवहेलना करना चाहते हैं। जो कुछ भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस बारे में सुझाव दिये हैं वे वास्तव में अच्छे सुझाव हैं। पुराने वक्त में जो एकाउन्ट्स रखे जाते थे उसमें यह चीज होती थी। ५१-५२ और आज के मामले में बहुत फर्क है। आज की बात को लेकर इस प्रकार दुबारा होंगे आगे तो यह चीज आवश्यक है कि ५१-५२ में वास्तविक रूप में जो खर्चा हुआ है किसी की गलती से; उसकी इन्क्वायरी की बात अलग है। मगर एक रकम निकलती है तो यह हो सकता है कि प्रापर्ली जब तक एकाउन्ट्स शुरू नहीं हो जाते थे रिकन्सीलियेशन नहीं हो पाता उस वक्त तक हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते थे। आज की सूरत दूसरी है। सब बातें साफ हैं।

एकाउन्ट्स का सिलसिला काफी जमता जा रहा है। पॉवर हाउस में कमर्शियल एकाउन्ट्स अब रखे जायेंगे और पहले हमें जिन चीजों का तजुर्बा हुआ है उस तजुर्बे से फायदा उठायेंगे। तो मैं तो सदन से यही अनुरोध करूंगा कि ५१-५२ में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इसके बारे में जो निर्णय दे दिया है और रकम वास्तविक रूप में खर्च हुई है, तो अनुदान को स्वीकार किये बगैर काम नहीं चल सकता है। वहां पर हिसाब हुए, हिसाब की जांच के बाद में जो डिफेक्ट्स पाये जाते हैं तो उनको रेग्युलेराइज करना आवश्यक है और वे रेग्युलेराइज होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है, कि अनुदान के लिए मांग संख्या ४१-विद्युत योजनाएं-कार्यवाहक व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९५२, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ३,६२, ७८६ रू० की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

आतिरीक्त मांग संख्या ३१-जन-स्वास्थ्य १९५१

श्री अध्यक्ष— श्री बद्रीप्रसाद गुप्त।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त (जनस्वास्थ्य विभाग मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि अतिरिक्त अनुदान के लिए मांग संख्या ३९-जनस्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९५२, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रू० २,२७, ४९७ तक की राशि प्रदान की जावे। उक्त वर्ष में इसके लिए २८ लाख रूपये मन्जूर हुए थे, लेकिन उसमें काम समाप्त नहीं हो सका था और उस समय तक कुछ ज्यादा खर्चा हुआ था। उसमें २,२७, ४९७) रू० ज्यादा खर्चा हुये थे इसलिए यह मांग रखी गई।

श्री अध्यक्ष— मांग रखी गई। (श्री हरिकृष्ण व्यास से) आप बोलेंगे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, एक ही पॉइन्ट पर बोलूंगा। जो आम एतराज मैंने प्रस्तुत किया उसे तो दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, अलबत्ता इतना जरूर कहूँगा कि शायद बीच में एक बार और दोहराना पड़े, क्योंकि मंत्रीजी के अभी भी पूरे तौर से ख्याल में बैठा नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। लेकिन इस समय में एक दूसरे ही प्रश्न की और आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह प्रश्न यह है कि यह जो अतिरिक्त मांग यहां रखी गई है उसका कारण यह बताया गया है कि जगह जगह कार्य शुरू करने के कारण उसमें खर्चा अनुमान से कहीं अधिक हो गया है, और इस वजह से कमी पड़ गई दो लाख सत्ताईस हजार रुपये की। उसको पूरा करने के लिए यह अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की गई है। दरअसल में यह सारा का सारा प्रश्न एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स जब होते हैं पूरे साल के अन्त में और उनके ऊपर जब ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसमें इसके लिए लिखा होता है और इस सिलसिले में एप्रोप्रियेशन एकाउंट्स सन् ५१-५२ के पेज ९६ पर अलग अलग मदों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें जो वर्क्स से सम्बन्ध रखने वाला आइटम 'ई' है उस वर्क्स से सम्बन्ध रखने वाले आइटम 'ई' में ओरिजिनल मांग जो थी वह २७,२४, ५६७) रु० की थी और सप्लीमेन्ट्री मांग ली गई १,६५,०००) की। इस प्रकार कुल मिलाकर फाइनल ग्रांट होगई २८ ,८९, ५६७) रु०, और खर्चा हुआ ३२, ९२, ४८९) रु०। अब माननीय मन्त्री महोदय ने केवल एक बात का भी संतोषजनक उत्तर दे दिया तो इस एक्सेस डिमान्ड के पक्ष में कम से कम मैं अपना मत देने के लिए तैयार हूँ और अगर उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मेरे खयाल से सदन में उनको इस प्रकार का मत मांगना भी नहीं चाहिये और वह यह है कि एक साल के दौरान में ऐसे जब वर्क्स की तादाद बढ़ा दें और अगर वाटर वर्क्स ३ या ५ की जगह १० खोलने का निश्चय कर लें तो मन्त्री महोदय या वित्त मन्त्री महोदय यह बतायें कि यह जो मार्च में सप्लीमेंट्री १, ६५,०००) रु० लिए गये थे, साल के अन्त में, मार्च में, और जहां तक मुझे याद है ५१-५२ का वर्ष होने के नाते, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि ३१ मार्च, सन् १९५२, को सप्लीमेंन्ट्री डिमान्ड राजप्रमुख के ऑर्डिनन्स के द्वारा ली गई थी। साल खत्म हो गया और साल की आखिरी तारीख को सप्लिमेन्ट्री डिमान्ड ली जा रही है और इस तरह यह कहा जा रहा है कि काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इसकी वजह से अब कमी पड़ गई, तो उस वक्त सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड पूरी क्यों नहीं ली गई ३१ मार्च, सन् १९५२ को ? फिर यह कमी क्यों रखी गई ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इससे साफ जाहिर होता है कि साल के दौरान में कमी पड़ी जिसके कारण एक्सेस ग्रान्ट लेनी पड़ रही है। इस एक्सेस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हिसाब की कमजोरी हो या मुमकिन है विभाग के खर्चे के बीच में और ए. जी. के खर्चे के बीच में रीकंसीलिएशन नहीं होता है या मुमकिन है विभाग के अधिकारियों द्वारा साल के दौरान में जो जो खर्च हुआ है उसकी कल्पना पहले नहीं हो या मुमकिन है फाइनेन्स डिपार्टमेंट इधर-उधर कटौती कर देता हो या इसके बारे में न्यायसंगत कार्य प्रणाली लागू नहीं की गई हो; लेकिन कुछ भी हो, यह हकीकत है कि ३१ मार्च, सन् १६५२ को सप्लीमेंट्री डिमान्ड दी गई और उसके बावजूद भी २ लाख ४५ हजार की डिमान्ड सामने आई है। इसलिए में मिस्टेक्स में न जाता हुआ, सेंक्शन ली गई या नहीं इस पर नहीं जाता हुआ, सेंक्शन नहीं ली गई यह अलग प्रश्न है इसका स्पष्टीकरण तो फिर कमी चाहूँगा, में यह जानना चाहता हूँ कि पहले जब सप्लीमेंटी ग्रान्ट ली गई तो कम क्यों ली गई, यदि कम ली गई तो या तो विभागीय गलती होना आवश्यक है; यदि इस गलती को कुबूल कर लिया जायगा तो मैं इसके पक्ष में मत दूंगा और यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो यह अच्छा नहीं होगा। इससे आयन्दा फिर गलती छिपाने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गलती छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इस डिमान्ड का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वित मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ आपत्ति उठी है उसका कारण यह है कि एक्सेस खर्च हुआ है। रिकंसीलिएशन वक्त पर मालूम नहीं होने की वजह से यह एक्सेस हुआ है। जब सब जगह के आंकड़े आते हैं तभी मालूम होता है कि कितने रुपये खर्च हुए। उस समय कई ऑथोरिटीज खर्च करनेवाली थीं, कमिश्नरों को भी प्लानिंग में खर्च करने का अधिकार था। उन सब के पास से जब पूरे अकाउन्ट्स आये तब मालूम हुआ कि इतने रुपये खर्च हुए हैं। रिकंसीलिएशन नहीं होने की सूरत में ३,४ लाख रुपये की गलती होना इतने बड़े अकाउन्ट्स में मामूली बात थी। अब क्योंकि रिकंसीलिएशन हो रहा है इसलिए अब गलती को दोहराने की संभावना मालूम नहीं होती। ऐसी गलती होना अब संभव नहीं है। उस जमाने में जब रिकंसीलिएशन नहीं होता था तब ऐसी गलती हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष—Satisfied.

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अतिरिक्त अनुदान के लिए मांग संख्या ३६—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्रीमन् राजप्रमुख को २, ६७, ४६७ रु० तक की राशि प्रदान की जावे"।

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें और जो विपक्ष में हैं वे ना कहें।

(मतदान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता ?

कु० श्री जसवन्तसिंह--"ना" की अवाज बुलन्द है, इसलिये "ना" पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—Then my ears are defective.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Only your right ear is defective.

श्री हरिकृष्ण व्यास—लाखों रुपये लेनेवालों को एक बार जोर से बोलने का तो कहें।

श्री अध्यक्ष—मैं फिर पूछता हूँ जो इसके पक्ष में हैं वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हैं वे "ना" कहें।

(मतदान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—ना पक्ष जीता। Noes have it, Sir

श्री अध्यक्ष—Division desired ?

श्री जसवन्तसिंह—Yes Sir

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है, "कि अतिरिक्त अनुदान के लिए मांग संख्या ३६-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन्, १६५२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्रीमन् राजप्रमुख को २, २७, ४६७ रु० की राशि प्रदान की जावे"।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता

कु० श्री जसवन्तसिंह—अवाज "नो" पक्ष की ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—जो इस प्रश्न के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विरोध में हैं वे 'ना' कहें।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता। The Demand is passed.

Page No.57

अतिरिक्त मांग संख्या ४०—ग्राम विकास व सामाजिक सेवाएं

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं कि अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग संख्या४०-- ग्राम विकास व सामाजिक सेवाओं के संबंध में ३१ मार्च, सन् १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के हेतु श्रीमन् राजप्रमुख को ११,६४६ रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, असल में दूसरे विभाग के काम में वह राशि व्यय हुई है लेकिन यह इस मद में आ जाने से इस अनुदान की मांग पेश की गई है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

कु० श्री जसवन्तसिंह--मिस्टर चेअरमेन, सर, माननीय मंत्रीजी को यह भली भांति विदित है कि क्यों एक्सेस मांग हुई, क्यों नहीं हुई, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई लेकिन हम लोग डिटेल्स से वाकफियत नहीं रखते हैं और न हमारे पास ऐसा कोई साधन ही है कि जिसके द्वारा जानकारी कर सकें कि यह एक्सेस मांग क्यों मांगी जा रही है। अपने बहुमत के बल पर एक मालूली सा एक्सप्लेनेशन देकर हमको यह नहीं समझाया जाय कि यह एक्सेस मांग क्यों पेश की जा रही है और हम से मत चाहे जा रहे हैं तो यह सदन के लिये उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये चेअरमेन, सर, मैं निवेदन करूंगा कि जो मंत्रीजो एक्सेस मांग को स्वीकार कराना चाहें उनके लिये यह जरूरी है कि वे हमें बतलावें कि किन कारणों से यह एक्सेस खर्च किया गया और अब उनको यहां लाने का कारण इन वजुहात की वजह से है और इसलिये यह अधिक मांग मांगना चाहते है। यह कहना मेरी समझ में काफी नहीं है कि एक्सेस खर्च हो गया इसलिये अतिरिक्त मांग लेना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आयन्दा अच्छी तरह से प्रकाश डाला जायगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल— कारण, आपने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में देख लिये होंगे ?

कु० श्री जसवन्तसिंह— What I know as a Member of the Public Accounts Committee I am not supposed to know here because there are many others who are not the members of the Public Accounts Committee.

श्री कपिलदेव— सारे मेम्बर्स के पास रिपोर्ट जाती है।

श्री सभापति—स्पीकर महोदय पहले आदेश दे चुके हैं कि मंत्रीजी जो मांग पेश करें उसका एक्स्प्लेनेशन दें, ताकि मालूम हो कि किस कारण से मांग पेश की जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)— माइनर इर्रिगेशन के लिये जो रकम मंजूर थी उस माइनर इर्रिगेशन की रकम का एडजस्टमेन्ट इस हेड में गलती से हो गया ...

श्री हरिकृष्ण व्यास— कितनी रकम की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— ३ लाख की रकम । इस मद में जो मंजूरशुदा रकम थी उससे ज्यादा रूपये खर्च हुए, इस वजह से एक्सेस रूपये इस मद में शामिल होने से ज्यादा बढ़ा, उसकी यह अतिरिक्त मांग है । गलती से एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट होने से यह मांग पेश हुई है । ऑडिट होने के बाद ही गलती का पता लगता है वरना ऑडिट का महत्व ही क्या है ? यह सिर्फ रेगुलराइज करने की वजह से है । तो यह सिर्फ रेगुलराइज करने के लिये है, इस मद में कोई ज्यादा रकम नहीं मांगी गई है । एक हैड की रकम दूसरे हैड में एडजस्ट हो जाने की वजह से ऐसा हुआ है । उसे रेगुलराइज करने के लिये ही यह किया जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय चैअरमेन, मुझे सख्त अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस चीज के पक्ष में वोट देने की हमको कभी कभी इच्छा होती है, उसको भी गलत बयानी की वजह से राय बदलने को मजबूर होना पड़ता है । वित्त मंत्री धड़ाके के साथ बोल गये कि ३ लाख की रकम इधर से उधर हो गई, मेरे कहने में गलती हुई हो तो वे बोल दें । मैंने यही सुना था कि ३ लाख की रकम इधर से उधर हो गई ।

अब मैं चाहूंगा कि वे एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स एन्ड ऑडिट रिपोर्ट के पेज ६६ पर गोर फरमायें । इसमें ४८ रूरल डेवेलपमेंट में नीचे जो नोट लिखा है, कालम नं० ४, उसमें लिखा है कि इर्रिगेशन के सब हैड जी में १,८७,७५० रूपया एक्सेस दर्ज हो गया और इस मांग में चूंकि १,७५,८०४ रुपया लग चुका था इसलिये केवल ११ हजार रुपया एक्सेस हुआ । सेविंग के लिये अभी जो ३ लाख रुपये का फरमाया, वह कैसे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा — I am soury. मैंने जुबानी ही मेरी इन्फोर्मेशन पर ही यह रकम बता दी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It was a responsible man's reply.

श्री बृजसुन्दर शर्मा— I am very sorry, Sir.

श्री बृजसुन्दर शर्मा— १,८७,००० रु० है ।

श्री सभापति— May be a slip.

कुं० श्री जसवन्तसिंह— Many a slips.

श्री अध्यक्ष— ~~may be a slip Kr. Shri Jaswantsingh, Many a slips.~~

श्री हरिकृष्ण व्यास— अब शुरूआत हो गई हैं, इसलिये मैं यह उम्मीद करूंगा कि दूसरी बात भी इसी धड़ाके से मंजूर कर लेंगे ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शुरू में १,५५,०८० का था और सप्लीमेंट्री ९,५५,००० की, उसमें से माइनस १,०५,००० की; इसतरह ११ लाख ५ हजार की आई है, इसका सन्तोषजनक उत्तर दे दें, इस बात को बिना किसी सफाई के, बिना किसी शर्त के मंजूर कर लें तो इस मांग पर समय बचेगा और आने वाली मांगों पर भी समय बचेगा। इसलिये दूसरी बात भी स्वीकार कर लें। यह न सिर्फ मिसक्लासिफिकेशन हुआ है बल्कि रिकॉन्सिलियेशन नहीं होने की वजह से जैसे साल चलता रहा, यह चलता रहा। भयंकर दुर्लक्ष्य की स्थिति थी और नतीजा यह हुआ कि कागजों में टाइप करके इमेजिनरी आंकड़े टाइप करके, इसके लिये अगर यह कहूं कि यह any body's guess work है तो यह शायद, रीज़नेबल होगा। कल्पना के आधार पर आंकड़ेबाजी करके साल के आखिर में सप्लीमेंटरी डिमांड्स ले ली जाती थीं। इसलिये उनका आश्वासन होना चाहिये कि उन वर्षों में शायद स्थिति ऐसी थी इसलिये ऐसा हो गया होगा, पर आयन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। इस भूल को स्वीकार कर लेंगे तो मेरे और मेरे माननीय मित्रों के मत पाने के हकदार होंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— एक्सेस डिमान्ड्स पेश हुई हैं, उनकी एक वजह तो मैं यह बता रहा हुँ कि रिकॉन्सिलियेशन हो नहीं रहा था, प्रोपर कन्ट्रोल एक्सपेन्डिंग डिपार्टमेंट का नहीं था, मिसएडजस्टमेंट हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह गलती थी न ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— यह कौन नहीं मानता कि गलती नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-- प्रश्न यह है, कि अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग संख्या ४० का, ग्राम विकास तथा सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ११,९४६ तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

डिमान्ड नं० ६६, श्री कुंभाराम आर्य।

अतिरिक्त मांग संख्या ८० विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री कुंभाराम आर्य (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)-अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग संख्या ८० का, विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रू० ३,६२,४३६ तक की राशि प्रदान की जावे। सदस्यों की जानकारी के लिये मैं इसका थोडा ब्यौरा देना चाहूंगा। भूतपूर्व रियासत जयपुर में ढाई लाख का एक अमेरिकन प्लान्ट मंगाया गया था, जिसकी रकम बजट में दर्ज नहीं की जा सकी और उस मशीन के अमेरिका से आ जाने के कारण ढाई लाख देना पड़े। जोधपुर शहर में एक लाख रूपया बिजली की लाइन बढ़ाने के लिये व्यय, सरकार से आगे प्राप्त हो जाने की आशा पर किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास— एक लाख का व्यय कौनसी तारीख को किया गया, बताने की कृपा करें।

श्री कुंभाराम आर्य— तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, इस मांग को तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं किया जाना चाहिये। बिल्कुल ही, इसलिये कि आज मंजूर कर लिया तो साल भर बाद दस, बीस और ऐसी एक्सेस हो जायेंगी, उनको मंजूर करना पडेगा। एक तो ढाई लाख की मशीन आ गई, यह नहीं बताया कि वह मशीन कहां लगी; दौसा=कौसा में शायद लगी हो। एक यह बताया गया कि एन्टीसिपेशन सेंक्शन के आधार पर नई बिजली की लाइन जोधपुर में लगाने के लिये खर्च हो गया। शायद जोधपुर में वाटर-वर्क्स और बिजली विभाग एक साथ चलते हैं, इसका उल्लेख यहां नहीं किया पर ५१-५२ का खर्चा है। और जब मैने तारीख पूछी तो मेरे माननीय मित्र कहने लगे कि तारीख तो उनको इस समय याद नहीं है। मैं इनको सूचना देता हूं तारीख की, वे इसकी जांच करा लें और जांच कराने पर उनको पता चलेगा कि यह खर्च नवम्बर १९५१ से होना शुरू हुआ और नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी की ४ तारीख से पोलिंग शुरू हो गया था. ४ जनवरी १९५२, को आम चुनावों के मतदान हुए थे और ये खर्चे उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री जयनारायण व्यास जो थे, उन्होंने अपने चुनाव के अन्दर गैर वाजिब तौर पर फायदा उठाने के लिये और उठाने की नीयत से उन अधिकारियों पर अनाधिकृत रूप से दबाव डाल कर बगैर मंजूरी के एन्टीसिपेशन संक्शन के आधार पर, वोट के लिये गली गली में बिजलियें लगाई स्कूलों और मोहल्लों में बिजलियें लगवाई, नल लगवाये। बिजली की बत्तियों से वोटों का सौदा किया गया।

श्री मथुरादास माथुर—Absolutely wrong.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कहते हैं कि एब्सोल्यूटली रोंग. इसीलिये मैं पूछना चाहता था कि किस महीने में यह खर्च किया गया और अगर आप एब्सोल्यूटली रोंग बतलाते हैं तो मैं एक एक आइटम अगर आप बतावें तो साबित कर सकता हूं कि कौन कौन से मोहल्ले में यह रकम खर्च की गई। मेरा यह दावा है कि यह रकम जोधपुर की (बी) कोन्स्टीट्युएन्सी में खर्च की गई।

श्री कुम्भाराम आर्य—(अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं उस पर भी जीत कर आया तो वह तो लोगों की अकलबन्दी और मेरी शोभा है। लेकिन इससे आपकी गल्ती कम नहीं हो सकती। बत्तियें और पानी के नल लगाये और इससे वोटों का सौदा किया गया।

श्री मथुरादास माथुर—बत्तियें और नल तो म्युनिसिपेलटी लगाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मुझे मालूम है कि म्युनिसिपेलिटी बत्तियें और नल लगाती है, लेकिन वह भी बिजली विभाग को लिखने के बाद। अनभिज्ञ सदन के सदस्य इस बात पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन मेरा भी संबन्ध जोधपुर से है और वहां की विभागीय कार्यवाहियों से मैं भी जानकारी रखता हूं। बिजली और नल लगने में साल-साल, दो-दो साल और आठ-आठ साल बीत जाते हैं लेकिन बिजली नहीं लगती क्योंकि बिजली घर में उसके लिये प्रोविजन नहीं होता और सेंक्शन आती है उसमें देर लगती है। बजट में गुंजायश नहीं है। सेंक्शन तो हो ही कहां से ?

श्री सभापति—Come to the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मगर इन्टरप्ट करते हैं उसका भी जवाब देना होता है।

श्री मथुरादास माथुर—आपका कहना गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपको अगर अपनी बात का इतना यकीन है तो आप मेरा छोटा सा चैलेंज मंजूर कर लीजिये और इसकी पूरी तफतीश करा लीजिये। तो मैं यह कहूंगा कि जो मैंने कहा है कि नवम्बर, दिसबंर और थोडा सा जनवरी, इन महीनों में यह एक लाख रुपया खर्च हुआ है। मोहल्लों में, वाचनालयों में या किसी मन्दिर में क्या ये रुपये खर्च नहीं हुए ? इतना ही नहीं कि ये रुपये खर्च हुए, जिन जिन मोहल्ले और जिन जिन लोगों के जरिये यह काम हुआ उन लोगों ने तीन तीन दिनों में, एक एक दिन में और तीन तीन घंटों में कागज निकलवाये। अगर आप इस बात को साबित कर देंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी भूल स्वीकार करूंगा. भूल ही स्वीकार नहीं करूंगा बल्कि यह कहूँगा कि दंड दिया जावे और अगर यह मेरा कथन सही निकले तो जांच कराने वाले जिम्मेदारी से वायदा सदन में करें कि जिनकी गलती पाई जावे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अगर यह हिम्मत हो तो मेरा भी यह चैलेंज स्वीकार कर लें। मेरा यह, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को कहना है कि आप सब इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर यह कह रहा हूं। यदि इस सिलसिले में कोई उलझन नहीं है तो मैं वहां के एग्ज़िक्युटिव इंजीनियर, जिनका नाम उस जमाने में हुकमलालजी राय थे, उसने बिचारे ने दबाव में आकर, क्योंकि उसकी सब तरह से मुश्किल थी, अगर न करे तो मुश्किल और करे तो मुश्किल, उसने नवम्बर ११ की तारीख को एक डी. ओ, लिखा है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि ऐसी स्थिति में मंजूरी तो है नहीं, फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है ? यदि वह डी. ओ. लेटर भी सदन को टेबल पर पेश कर दिया जावे तो पता लग जावेगा। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो खर्च है वह सरकार के अर्थ की वजह से नहीं है, यह चुनाव जीतने का खर्च है; इसलिये मैं यह नहीं चाहता कि एक साल के बाद फिर कोई इसी प्रकार के रकम को मंजूर करने की नौबत आवे। उस समय के चीफ मिनिस्टर ने वैसा किया, आज के चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्सटीटुएन्सी में करेंगे और इसी प्रकार हर एक मिनिस्टर ऐसा करेंगे और फिर उसके नजदीक वाले दौसा की लाइन चलावेंगे। उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन चलावेंगे। इन सब बातों की छान-बीन तभी होगी जब पैसा रोका जावेगा, काट लिया जावेगा या किसी से वसूल किया जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन इस मांग को मंजूर करने की अनुमति नहीं दे। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा कि वे सारी बातों को मान कर इस मांग को किसी भी हालत में मंजूर न करें।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेअरमैन......

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इस सम्बन्ध में सफाई चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र मेरे भाषण का उत्तर दे रहे हैं...

श्री मथुरादास माथुर — आपने जो चैलेन्ज दिया है उसको मैं मंजूर करने के लिये तैयार हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि उत्तर देने के लिये खड़े होते हैं तो पहले श्री सुखाड़ियाजी को राजी कर लीजिये मंत्री बनाने के लिये, बाद में उत्तर देने का काम है।

श्री सभापति—इजाजत देने का ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एतराज कर रहा हूं।

श्री सभापति—So you join the debate.

श्री मथुरादास माथुर—Yes. The Hon'ble Minister will give the reply.

माननीय चैअरमेन, जोधपुर से तशरीफ लाये हुए माननीय मित्र ने अभी इस मांग के विषय में चर्चा करते हुए जो बातें सदन के समक्ष कहीं और सदन के सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की उसको साफ करने के लिये कुछ शब्द कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और मुझे इस बात का पूरा इल्म है, जो कुछ वहां पर हुआ। यह बात ठीक है कि उस वक्त जोधपुर शहर के अन्दर काफी रोशनी के पॉइन्ट्स व नल लगे। कई अर्से से राजस्थान बनने के बाद में जोधपुर शहर में जो पहले लाइट का एरेन्जमेंट था वह ठीक नहीं था और दो या ३ वर्षों से

[श्री मथुरादास माथुर]

कम था और जोधपुर की जनता की मांग रही कि हमारे यहां आबादी ज्यादा होने से हमको एक्स्ट्रा लाइट मिलनी चाहिये और लगानी पड़ेगी और इसके अलावा जो एरिया पहले डेवलप्ड नहीं था वह डेवलप्ड हो गया था। इसके लिये बीसियों अर्जियें आईं। उस पर राजस्थान सरकार ने उनको म्युनिसिपल बोर्ड के पास भेज दिया। म्युनिसिपल बोर्ड के पास भी काफी तादाद में अर्जियें आई थीं और राजस्थान सरकार के पास जो अर्जियें आई थीं वे भी उसके पास भेज दीं। यह कहना गलत है कि बिजली और नल लगाये गये क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड जोधपुर ने यह सब काम किया जिसका बजट एक जुदागाना बजट है और उन लोगों ने अपने शहर की बहतरी के लिए सेंक्शन की है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लाइन किसने लगाई ?

श्री मथुरादास माथुर—मैं इस पर आ रहा हूँ, सब बता दूंगा। खर्चा सब जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड देता है। ज्यादा डेवलप्ड एरिया में उस वक्त १०० या १२५, नम्बर पूरा तो याद नहीं, पोइन्ट्स एक्सीड किये। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि नवम्बर में लगाये, मैं अर्ज करूं कि नवम्बर में ही नहीं उससे पहले सितम्बर, अक्तूबर में लगे, नवम्बर में लगे, दिसम्बर में लगते रहे। ज्यों ज्यों राजस्थान सरकार का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट सेन्क्शन करता रहा वे लगाते रहे। यह ठीक है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट ने लगाये, लेकिन उसकी रिपेयरिंग, एक्स्पेन्डीचर का सारा पैसा म्युनिसिपल बोर्ड देता है। इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि राजस्थान सरकार ने चुनाव के लिए ही सेन्क्शन किया, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने, जो जनता की मांग थी उसके अनुसार, उसको सेन्क्शन करके राजस्थान सरकार के विभाग को लिखा जो कि सिर्फ एक टेक्निकल आँथोरिटी है और जिसका पैसा मय व्याज के जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड से लिया जाता है। लेकिन यह कह देना कि श्री जयनारायणजी व्यास के चुनाव के लिए लगाये गये, बिल्कुल गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्या—Sixty percent in 1 is constituency.

श्री मथुरादास माथुर—मैं अर्ज करूं। दो कोन्स्टिटुएन्सीज़ थीं, 'ए' और 'बी'। इनके लिए दरख्वास्तें पड़ी हुई थीं। 'बी' में ज्यादा लगे क्योंकि डेवलप्मेन्ट एरिया पूरा का पूरा 'बी' कोन्स्टियुएन्सी में आ जाता है जिसको कि सरदारपुरा कहते है और जिसे बाहर का हिस्सा भी कहते है। इसलिए वहां ६० पर्सेन्ट लगे। बिजली को कन्ज्यूम करने के लिहाज से भी 'ए' से 'बी' कोन्स्ट्युएन्सी में कन्ज्यूमर्स ज्यादा रहते हैं लेकिन यह कहना कि केवल चुनाव के दृष्टि कोण से यह किया गया. गलत है और श्री हरिकृष्णजी व्यास को सिवाय 'चुनाव' शब्द के अलावा जैसा कि उनका स्वभाव हो गया है, कहने में आता नहीं है।

माननीय चेयरमेन, मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि यह रकम खर्च हो चुकी है, रोशनी लग चुकी है, श्री जयनारायणजी व्यास और श्री द्वारकादासजी पुरोहित चुनाव में लड़े. जो

[श्री मथुरादास माथुर]

नतीजा हुआ, उसका फायदा हुआ श्री एच. के. व्यास को; जो आज इस सदन में है उस नतीजे से। मुझे दुख है यह सुनकर कि जिस शख्स को फायदा हो और वह शुक्रिया तो अदा नहीं करे और यह कहे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जनवरी में कुदरती कैसे बन्द हो गये, क्या वोट पड़ते ही ?

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जनवरी में लगे। जनवरी के अन्त तक ५० पाइन्ट और बढ़े होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आप बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री सभापति—No Interruption please.

श्री मथुरादास माथुर—मैं जनवरी के बारे में भी आ रहा हूं, फरवरी के बारे में आ रहा हूँ। मार्च का महीना बजट का अन्तिम महीना होता है। हर एक सरकारी विभाग, आपने भी तजुर्बा किया होगा, सदन के सदस्यों ने भी तजुर्बा किया होगा, मार्च में, फरवरी में और जनवरी में, पिछले पांच छः महीनों में, रकम ज्यादा खर्च होती है क्योंकि यह खयाल रहता है कि कहीं रकम लेप्स न हो जाय। नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में ज्यादा खर्चा हुआ. उसके बाद भी लाइट्स लगी हैं और उनका एक्सटेन्शन भी हुआ है। आप तो जनवरी की ही बात कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके बाद भी पोइन्टस लगे हैं। बन्द क्यों हुए, उसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड के पास रकम नहीं रही। लाखों रुपयों का राजस्थान सरकार का कर्जा हो गया और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी वालों को मालूम हुआ होगा कि लाखों रुपयों के बिजली और पानी के बिल पड़े हुए है। आप कहेंगे कि टैक्स लगाओ, लेकिन हरिकृष्ण व्यास उसके खिलाफ वकालत करेंगे, करते हैं, फिर सदन के अन्दर इस प्रकार के जो कार्य किये जा चुके है, उनकी निन्दा की जाय जब कि दूसरे चुनावों की तैयारी हो रही है, उसको मंगल कामना नहीं कहा जा सकता।

(हंसी)

अतः यह रकम पास कर देनी चाहिए और श्री एच. के व्यास ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है उससे गुमराह नहीं होना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आपने मेरा चैलेन्ज तो स्वीकार ही नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर—चेलेन्ज स्वीकार किया है। मैंने कहा कि इलेक्शन पोइन्ट से बिजली के पोइन्ट्स नहीं लगाये गये थे लेकिन जनता के हित की दृष्टि से वे लगाये गये थे। यही मेरा चेलेन्ज है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— इलेक्शन की अवधि में ऐसी मांग को पूरा कर देना अच्छा होता है।

श्री मथुरादास माथुर— उस वक्त अच्छा होता। सब ही कोशिश करते हैं अपने हक में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— ज्यादा तो जवाब देना नहीं है। रिकॉन्सीलियेशन अकाउन्ट्स के नहीं होने से यह नहीं हो पाया और प्रोपर एस्टीमेट्स नहीं लगने से जैसा कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एस्टीमेट्स तैयार नहीं किये गये, यह ऐसा हुआ है। उसके लिए तो गलती है ही।"

श्री हरिकृष्ण व्यास— एन्टीसिपेटिंग के लिए क्या जवाब है ?

श्री सभापति— डिमान्ड नं० ६६। प्रश्न यह है" कि अतिरिक्त डिमान्ड के लिए. मांग संख्या ८१—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३,६२,४३९ रूपयों की रशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

डिमान्ड नं० ~~६१~~ ५७, श्री बृज सुन्दर शर्मा।

अतिरिक्त मांग संख्या ~~६५~~ ५७ विविध

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)— माननीय चैयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अतिरिक्त अनुदान की मांग संख्या ५७—विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १४,२३,४२६ तक की राशि प्रदान की जाय।

निवेदन यह है इस सम्बन्ध में कि जो एक्सेस हुआ है वह निम्न लिखित कारणों से हुआ है :

श्री हरिकृष्ण व्यास— मांग कितनी रकम की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा — १४,२३,४२६ रुपयों की।

श्री हरिकृष्ण व्यास — तो फिर साफ साफ १४ लाख कहिये न।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— यह सदन के समक्ष भी डिटेल्स आ चुकी हैं।

पहला कारण यह है कि पुरानी लाएबिलिटीज थीं उनको वापिस रकम देने के लिए यह रकम खर्च हुई, दूसरा गवर्नमेन्ट आँफ इन्डिया से सहायता तथा पुनर्वास विभाग पर जो भी खर्च किया गया वह भारत सरकार से वसूल नहीं किया जा सका, उस पर भी है और अधिकांश व्यय लेखा परीक्षा में नहीं किया और लेखा खाते अग्रिम बाकी रहा। वहां से आया नहीं और पहले एडजस्टमेन्ट नहीं होने से उस साल में यह रहा, पर्सनल डिपोजिट अकाउन्ट आँफ दी कस्टोडियन इवेक्युई प्रोपर्टी में। कस्टोडियन आँफ इवेक्युई प्रोपर्टी और रिहेबिलिटेशन अकाउन्ट्स फाइनेलाइज़ नहीं हुए उसकी वजह से भी यह मांग एक्सेस हुई है। तीसरा कारण यह है कि रिकोन्सिलियेशन नहीं हुआ था; भारत सरकार से रकम नहीं आयी। अगले साल तक रकम खर्च हुई।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय चेयरमेन, अभी मेरे पुराने मित्र, वित मन्त्री साहब ने इस मांग को सदन के सामने रखा और उन्होंने यह बतलाया कि यह मांग बहुत मामूली सी है। यह एक जाब्ते की जो मांग है उसे सदन पास कर दे। इस रकम को अगर देखा जाय तो यह जो १४ लाख रुपये की रकम है वह बहुत ज्यादा रकम है। इस विषय में चेयरमेन, सर, मैं माननीय वित मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अच्छा होता कि वे खुद ही यह बतला देते कि यह खर्चा एक्सेस जो हुआ है वह किस प्रकार का खर्चा है। अगर हम इसके अन्दर निष्पक्ष रूप से जायं तो इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि यह सरकार अपने आपको डेमोक्रेसी की सरकार कहलाने का हक नहीं रख सकती, अगर यह इस प्रकार का खर्चा करने को तैयार हो सकती है तो। ज्यादा न कहकर मैं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की दूसरी रिपोर्ट के पेज १६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह खर्चा इस मद में रिहेबिलिटेशन की मद के नीचे हुआ है जिसमें कुछ सोसाइटीज़ को, बिल्डिंग सोसाइटीज़ को रुपया दिया गया है। सब से पहले उदयपुर की भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ मैं वित मंत्रीजी का ध्यान और सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर वे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ताज्जुब होगा कि आज इस जनतन्त्रवाद के अन्दर, जिसमें कांग्रेस की सरकार काम कर रही है. कांग्रेस के सिद्धांत जो इतने ऊंचे हैं, जिसमें शायद युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति भी कांग्रेस के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों को देखकर फिर से यदि जन्म लें तो उनको भी शर्म आने लगेगी कि इस सिद्धांत के मानने वाले लोगों की सरकार में इस तरह का खर्चा किस प्रकार हो सकता है।

माननीय चेयरमेन, यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है। इस वक्त इसका हिन्दी अनुवाद करना मुश्किल है इसलिए मैं भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी को रुपया दिया गया उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा है पेज नं० १६ पर, थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहूंगा एक पैरा ;

श्री वृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, जिस भोपाल कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह सन् १९४८ में मन्जूर हुआ था, जब कि राजस्थान बना ही नहीं था। उसके पहले ही निर्णय हो चुका था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पेमेंट तो बाद तक होते रहे हैं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—जिस समय रुपया दिया गया उस समय फोर्मर राजस्थान था। यह रुपया देना ४८ में शुरू हुआ और सन् ५३ तक रुपया दिया गया और उसके बाद तक पेमेंट होता रहा। गवर्नमेंट ने समय समय पर हिदायतें कर दी थीं कि सोसाइटी का काम बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, उनको रुपया एडवांस नहीं दिया जाय, इस प्रकार के हुक्म के बावजूद भी रुपया दिया गया और दिया जाता रहा है। रुपया देने के बाद में किस प्रकार का काम हुआ वह इस पेराग्राफ में, जो पैरेग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता है, है ?

"These payments were made in bulk amounts at very quick intervals and without any safeguard as to their proper utilisation. The result was that this society with barely three hundred members, out of which probably a few score or may be even a dozen, monopolised the management, and went on spending money freely. A power house, a bus service and a school were started and maintained at a heavy loss. and machines and buses costing lacs of rupees were purchased, notwithstanding the fact that these activities were outside the scope of the loan. Excessive staff was entertained at high rates of pay."

इस सोसाइटी ने यह काम किये "Excessive staff was entertained at high rates of pay. Even the Chairman and the joint Secretary drew an unjustifeid remuneration of Rs. 500/- per annum each. A single firm in which the architect shri Hingorani was personally interested, was appointed as purchasing agent of the society in Bombay and was allowed commission at 3% plus Rs. 300 - per month. Huge quantities of materials were purchased through this firm without inviting tenders and materials worth about Rs. 7 lacs were purchased which were not required for the construction of houses. The costiest of meterials were purchased"

लाखों रूपयों का सामान खरीदा गया जिसके टेन्डर्स तक नहीं मांगे गये। हम इस ऐक्सेस डिमान्डस को पास करें उससे पहले हमें यह देखना है कि यह रुपया किस प्रकार खर्च किया गया; सुनिये।

यह रूपया हाउसेज बनाने के लिये दिया गया था। उन सात लाख रुपयों के मकान बनाने के काम में नहीं लिया गया बल्कि Luxurious furnishings were ordered. राजा-महाराजा कभी किसी जमाने में अपने महल बनाने के लिये दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें मंगाया करते थे, उसी प्रकार इस सोसाइटी ने शरणार्थियों के मकान के लिये जो रुपया दिया था उन रूपयों से हमारे

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

देश में मिलने वाली सब से अधिक कीमती सामान को मंगाया और उनकी परिवरश के लिये दुनियां में सबसे ज्यादा ऐशो आराम की चीजें मंगाई जानी चाहिये, वे मंगाई गई उन रुपयों से And in every way money was lavishly spent for purposes other than those for which this loan was advanced, no wonder that in a period of ten months the entire amount of about Rupees Twentyfive lacs was spent by the Society,

इस प्रकार १० महीने के समय में इस सोसाइटी ने २५ लाख रुपया खर्च कर दिया A considerable part of which was wasted and mis-applied. while the society was working as stated above, payments were being made to it without enquiry and almost on order by them. This is the irresistible conclusion drawn from the details and the manner of payments made to the Society from time to time.

इसके अलावा इस प्रकार के मेनेजमेन्ट को रोकने के लिये जब कि राजस्थान सरकार की स्थापना हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी को रद्द कर दिया जाय, बाकी का पेमेन्ट जो है वह बन्द कर दिया जाय, लेकिन इस ओर कोई तवज्जुह नहीं दी गई। इसके लिये एक इन्क्वायरी कमेटी जांच के लिये तैनात की। उसकी रिकमन्डेशन्स पर भी ध्यान नहीं दिया गया और आयन्दा भी इस सोसाइटी को इस प्रकार का पेमेन्ट दिया जाता रहा है। यह तो उदयपुर की सोसाइटी का हाल है।

इसके अलावा दूसरी हाउसिंह सोसाइटीज़ थीं, उनको भी इस प्रकार रुपया दिया गया और उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया। केवल यही नहीं, इस प्रकार की बहुत कुछ और बातें हैं। मैं एक ताज्जुब की बात कह कर, जो एक दुख का विषय है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इधर बैठने वाले सदस्य भी राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम इस प्रकार जो सरसरी तौर से मांग पास करवाना चाहते हैं तो हमें इस बात के लिये दुःख होता है।

माननाय चेयरमेन, मैं निवेदन करूं कि हमारा रिहैबीलिटेशन का जो महकमा था उसका क्या हाल था? एक दिन डेपुटी डाइरेक्टर रिहैबीलिटेशन का हमने इन्स्पेक्शन करना चाहा। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन डिप्टी डाइरेक्टर के आने से पहले ही दफ्तर में आग लग जाती है। जिसमें लाखों रुपये के ओरीजनल वाउचर्स थे वे भी जल गये; वह सब रेकर्ड जल गया, जिसमें यह था कि ये रुपये सही मायने में खर्च किये गये या नहीं।

और यह कहा जाता है कि उनकी डॉवर में हजारों रुपया रक्खा हुआ था, वह रुपया भी जल गया। जो अधिकारी इसमें गुनाहगार थे उनकी एन्क्वायरी की गई और उस एन्क्वायरी से यह साबित हुआ कि यह जो आग लगी है वह उन अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर लगाई गई है ताकि वे लाखों रुपयों के वाउचर्स, लेजर्स अकाउन्ट बुक्स, केश बुक्स आदि उनके हाथ में न पड़ें और जो घोटाला हुआ है वह रोशनी में न आवे। तो इसके लिए भी आपकी आज्ञा से मैं एक छोटा सा

Page No.69

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

पेराग्राफ सुनाना चाहता हूं जिससे कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जावेगा कि हम जिस ग्रान्ट के लिये............

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए यह बतला दूं कि इस मद से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो गवर्नमेन्ट ग्रोफ इण्डिया के बिहाफ (behalf) पर रुपया हमने खर्च किया था। उसकी रिकवरी उस साल में नहीं हो कर आगे ही जावेगी। फिर भोपाल कोआँपरेटिव सोसायटी का भी यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो इससे क्या मैं यह समझूं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट केन्द्रीय सरकार से लाखों की तादाद में रुपया लेती हैं वह अकाउन्टेबल नहीं है, किसी तरह से भी गलत-सलत खर्च कर सकते हों। मैं तो समझता हूं कि वह रुपयां ज्यादा पवित्र है, बजाय उस रुपये के कि जिसके हम मालिक हैं। यही नहीं...........

श्री वेदपाल त्यागी—ओन ए पोइन्ट ऑफ एन्क्वायरी, सर, यह जो रुपया खर्च हुआ है क्या वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से हमें मिल गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यहां के अकाउन्ट्स मन्जूर हो जाते हैं तो वह उनके बिहाफ (belhalf) पर यहां रुपया देते हैं। रिलीफ पर्पजेज के लिये जो रुपया दिया जाता है, वह जितना रुपया हम इस साल देते हैं वह आडिट हो जाने के बाद में मजूंर होकर वहां से मिलता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके अकाउन्ट मन्जूर हुए या नहीं, इसकी जानकारो तो जरा दे दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कौन से साल के ?

श्री वेदपाल त्यागी—भोपाल कोआँपरेटिव सोसाइटी का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसी भी साल का, पिछले चार-पांच सालों का।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अगर भारत सरकार का रुपया निर्दयता से खर्च करना कोई बुरा नहीं है, तो यह दूसरी बात है। तो मैं सिर्फ एक पोइन्ट का अब जिक्र करना चाहता हूं और वह यह कि वह जो जान बूझकर आग लगाई गई, राज्य के वाउचर्स लाखों रुपयों के हिसाब के जलाये गये, उसका हिसाब, चैक बुक्स आदि जलाये गये, उसका नतीजा क्या निकला ? यह तो सीधी बात हैं कि यह लाखों रुपयों के वाउचर्स गायब हो जावें, जला दिये जावें, नोट गायब हो जावें, जला दिये जावें और इन्क्वायरी से साबित हो जावे और फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे। इस विषय का एक पैरेग्राफ मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूं :

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

"loss by fire-A fire broke out in the office of the Deputy Director of Rehabilitation at Udaipur, on 2nd December, 1951, "

यह तब हुआ जब कि यह हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान पर सत्तारूढ़ थी। यह तब की बात है। The date on which the head of the Department was to inspect the office, resulting in destruction of vouchers, cash books, cheque books etc. of the Department."

ताकि चैक बुकों की काउन्टर फॉइल भी हाथ में न पड़े, जिससे पता लग सके कि किसको कितना रुपया दिया गया।

"Since the books and papers were thus destroyed, expenditure amounting to Rs. I, 89, 427/ incurred by the Department during the period from Ist April, 1951, to Ist December, 1951, could not be audited." अब आप देखिये कि एप्रिल, ५१ से १ दिसम्बर, ५१ तक करीब छः-सात महीनों में जो करीब करीब दो लाख रुपया खर्च हुआ उसका पता नहीं लगा। वाउचर्स, कैश बुक्स, लेजर्स, चैक बुक्स की काउन्टर फॉइलें सब के सब जला दिये।

"On the Ist December, 1951 the date proceding the occurrence, the cashier is reported to have left Rs. 1800/-in the drawer and kept a further sum of Rs. 4000/- at his house.

कैशियर साहब, जिनकी डिपोजिट जमानत ५०८) रुपये थी उन्होंने १८००) रुपये ड्रावर में रक्खे थे और चार हजार रुपये वे अपने मकान पर रख रहे थे।

"This amount of Rs. 1800/-reported to have been kept in the drawer was also supposed to have been burnt by this mysterious fire."

कि जिसमें १८००) रुपये के लिए कैशियर साहब कहते हैं कि डॉवर में रक्खे थे वे भी गायब हो गये।

A departmental committee which conducted an enquiry in this case came to the conclusion that the fire was deliberately planned and that it was the result of some chemical action." डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी की गई इसमें यह साबित हो गया कि यह जो आग लगाई गई है वह जानबूझकर लगाई गई हैं और इस मतलब से लगाई गई है कि कई लाख रुपयों के वाउचर्स, चैक बुक्स, कैश बुक्स सबके सब जल जावें और फिर सरकार किसी को कुछ पकड़ नहीं सके।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

Strangely enough this Committee could not lay responsibility of the act on particular individuals- फिर यह भी एक ताज्जुब है कि जांच कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया और अधिकारियों पर व्यक्ति रूप में दोषारोपण नहीं कर सकी, पर सरकार यही कह रही है कि यह दोष किसका है, यह हम नहीं कह सकते।

Sometime in the middle of 1953' the Government entrusted the whole enquiry to the Commissioner, Udaipur, but the case has not yet been finalized by the Government. अब सन् ५३ में यह इन्क्वायरी कमिश्नर साहब को दी गई, लेकिन आज तक उस एन्क्वायरी का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं और हमारी सरकार कितनी सतर्क है यह इससे साफ जाहिर है कि राज्य का इतना बेशकीमती रुपया, जनता की गाढ़ी कमाइ का पैसा जो बड़ी मुश्किल से राजस्थान सरकार के पास आता है, इतनी बडी तादाद में ऐसा रुपया इस तरह से गायब हो जाता है और गायब ही नहीं होता है पर कर दिया जाता है और जानबूझकर आग तक लगा दी जाती है, इसकी इन्क्वायरी के लिए सन् ५३ में कमिश्नर साहब, उदयपुर, को मुकर्र किया गया पर आज तक यह हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, कुछ पता नहीं। इसकी तो परवाह किसको अच्छी लग सकती है क्योंकि किसी के घर का पैसा अगर लगे तो फिक्र हो सकती है, यह तो जनता का पैसा है, ऐसे ही आता है और फिर यह भी गारन्टी नहीं कि जो सरकार आज है कल वह रहेगी या नहीं। कल के जनरल इलेक्शन में क्या होगा, कौन क्या कह सकता है ? तो ऐसी सूरत में किसी को इस जनता के पैसे की फिक्र तो है नहीं। तो माननीय चैयरमेन, में यह कहूंगा कि यह जो मिस्लेनियस डिपार्टमेन्ट है और जिसमें इस प्रकार की मदें और खर्च रक्खा गया है, मैं काफी बोल चुका हूं तथा और भी कह सकता हूं पर समय का अभाव है, फिर भी दो एक बातें और कहकर समाप्त करता हूं। तो यह जो खर्च रक्खा गया है इसके अलावा भी और बहुत सी बातें पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की जानकारी में आई हैं और उधर सरकार का ध्यान अकर्षित किया है। पर ताज्जुब की बात है कि एक कांग्रेस जैसी सरकार' जिसके इतने ऊंचे आदर्श हैं, वह भी अगर ऐसी बातों के बारे में चुप्पी साधले तो यह तो एक वाकई बडे ताज्जुब की बात हो जाती है। जो हमारे ऑडिटर हैं उन्होंने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस विषय में बहुत लम्बी-चौडी रिपोर्ट लिखी है। पर इसका भी आगे हुआ क्या है ? हमारी सरकार को तो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसी बात सरकार के सामने जब आ सकती है और जिस बात को सरकार एक सरसरी तौर पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ले सकती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की मांग को यह सदन इतना लाइट हार्टेडली पास कर दे तो यह भी एक ताज्जुब ही होगा। फिर मेरा निजी खयाल जहां तक है और जहां तक ऑपोजीशन का खयाल है, हमारी तो यही मान्यता है कि हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे, अगर इस प्रकार के खर्चे की मांग को हम मन्जूर करेंगे तो। और अगर सरकार व्हिप इश्यू करके अपने बहुमत के जोर पर इस मांग को पास कराना चाहे तो जरूर करा सकेगी, लेकिन उधर की तरफ बैठने वाले सदस्य भी यहां से जाने के बाद जब इस पर सोचेंगे तो उनकी आत्मा भी इस पर अत्यन्त दुखित होगी कि ऐसे एक पाप के विषय में, सिर्फ पार्टी के इन्टरेस्ट के खातिर, देशहित को भी तिलान्जलि देकर अपना सपोर्ट

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

दिया, उन्होंने देश के हित को भी पार्टी के हित से नीचा समझा और हम भी इससे तो यही समझेंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी के स्वार्थ के खातिर देश-हित को भी कुछ नहीं समझा, उन्होंने यही सोचा कि पार्टी का हित रहे, अपने हल्के स्वार्थों की पूर्ति हो, फिर देशहित भले ही जहन्नुम में जाए।

श्री कुम्भाराम आर्य— क्या बद्रीनारायण जी जाते हैं इसलिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—बद्रीनारायण ही नहीं, आपको तो कैलाश की यात्रा मिले तो और भी अच्छा है और उनका जवाब यद्यपि उन्हें बतलाया जायगा, लेकिन यह बहुमत से अगर व्हिप इश्यू करके वह पास करवायेंगे तो यह सिद्ध हो जायगा कि अपनी पार्टी का इन्ट्रेस्ट, हित, उनके लिए बड़ी चीज है और देश का हित और जनहित, लोकहितकारिणी जो संस्था कहलाती है उसके सामने सिर्फ कहने की चीज है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन......

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा से) वह (श्री हरिकृष्ण व्यास) भी बोलना चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—और भी बोलना चाहेंगे, इसलिये जल्दी नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन करना यह है कि यह बहुत दफा बातें हो चुकी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर सारी बातें तथा पहले जब डिमान्ड्स आई थीं उस वक्त भी ये बातें आई हैं और सारी की सारी चीजें दुबारा इस सदन के सामने लाना है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी इस पर बहुत काफी प्रकाश डाला और दुबारा फिर सारी की सारी चीजें आ रही हैं तो मैं समझता हूं कि समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है और मैं पूरा स्पष्ट करना चाहूंगा। जिस डिमान्ड के बारे में जो कुछ भी एन्क्वायरी करनी है उसके बारे में सेपेरेट कट मोशन रखते तो ज्यादा उपयुक्त होता..

श्री अध्यक्ष—उनका अधिकार है बोलने का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, दरअसल इस सदन का यदि कोई काम है तो वह यह है कि उधर बैठने वाले मेरे मित्रों को थोड़ी बहुत परेशानी हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कार्य थोड़ा बहुत सही मायने में इस सदन में हुआ है, क्योंकि परेशानी लग रही है। नहीं तो समय की उपयोगिता करते ही क्या हैं। परेशानी लगे तो समय की सबसे ज्यादा उपयोगिता है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब रही बात यह कि मेरे माननीय मित्रों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मांग का विरोध क्यों किया जा रहा है ? और समझ में आना उनको चाहिए , यह हमारा प्रयत्न हो; क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया तो बाकी की एक्सेस डिमान्ड्स थीं उन पर तो माननीय अध्यक्ष ने ऐसा कहा कि यह पोस्टमार्टम है और दरअसल पोस्टमार्टम था भी यह, परन्तु इस एक्सेस डिमान्ड में यह संदेह है अभी भी और यह पता लगता है कि वे छुपाते रहे हैं; तो कम से कम उस समय तो एक मिनिट के लिए रुकना चाहिए कि क्या मांगा जा रहा है; इसमें गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से लाखों रुपये लिये । उन्होंने कहा कि भाई आधा हिस्सा एडवान्स ले जाओ और जितना हिसाब पेश करोगे उतना तुम्हारे खाते में मुजरा दे देंगे । करोड़ों रुपया ले लिया, माननीय चेयरमेन, और हिसाब पेश करने की नौबत आई तो बोले, वाऊचर नहीं है, हिसाब नहीं है, रजिस्टर नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने कहा कि फिर तो पैसा भी नहीं है; हिसाब नहीं पेश करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, और अनुमान लगा लिया कि आधा उधर का हिस्सा मिल जायगा । लेकिन हिसाब पेश नहीं किया है इसलिये वह रुपया नहीं मिला, और अब यह करीब करीब १४ लाख एक्सेस खर्च हुआ, तो इस बात की मन्जूरी ली जा रही है । एक साल की बात होती तो आंख भी मूंदते, लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी यह बताएं कि आज भी लगभग कितना करोड़ रुपया हिन्दुस्तान की सरकार से लेना बाकी है हिसाब पेश नहीं करने की वजह से । इधर तो इम्पीरियल बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं, उधर आठ करोड़ नो करोड़ इम्पीरियल बैंक से उधार लिया हुआ पड़ा है और उनके ऊपर सवा तीन,साढ़े तीन पर्सेन्ट व्याज के देते हैं और उधर हिसाब पेश नहीं करने की वजह से करोड़ों रुपया हमारा अटका पड़ा हुआ है और उसके बाद मेरे मित्र कहते हैं कि उसकी सदन में चर्चा नहीं हो । तो सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी ? पूरे पांच साल से हिसाब पेश नहीं करते हुए मेरे माननीय मित्र एक साल और बिता देंगे और राजस्थान का नुकसान पैदा करने की स्थिति में होंगे, इसलिए सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

अब यह हिसाब क्यों नहीं है ? वाऊचर्स पेश क्यों नहीं होते हैं ? उसका एक कारण तो लूणकरनसर से आये हुए मेरे माननीय मित्र और सदन के विरोधी दल के नेता ने बताया कि हिसाब इसलिए पेश नहीं होता कि ऐसी ऐसी कलाबाज़ियां जिस सरकार के मातहत हो सकती हैं कि जिस दिन हिसाब की जांच करने के लिए कोई अफसर आये तो उस दफ्तर में आग लग जाय । इतना ही नहीं, लेकिन वह आग लगती है दफ्तर के दराज़ में, मेज के दराज में केमिकल एक्शन के द्वारा और लाखों रुपयोंके वाऊचर खो जायं । अब यह मोटी सी अक़ल वाला आदमी भी समझ सकता है कि दफ्तर के दराज़ में अगर आग लगती है, केमिकल एक्शन के द्वारा लगती है तो किसी ने अपने काले कारनामे छिपाने केलिए जानबुझ कर आग लगाई है । लेकिन १९५१ में आग लगती है और १९५५ तक दो लाख रूपये के हिसाब के वाऊचर तो जाने दो, लेकिन मांग मांगने वाले लोगों की यह हालत है कि लाखों रुपये मांगने को तैयार हो गये, लेकिन जानबूझ कर आग लगाते हैं उन आदमियों को आज तक सजा नहीं दी गई, इसलिए एक पैसा भी नहीं दिया जा सकता है । कम से कम उन्हें इतना तो कहना चाहिए कि एक अफसर ने आग लगाई है,उसने हिसाब की चोरी की है । गलती हो गई है तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसको सजा दे दी गई है। उसकी आजतक इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है। उसको सजा नहीं दी गई है आज तक। वह खुशी मना रहा है और प्रोमोशन्स पा रहा है। ऐसी स्थिति इस राज्य के अन्दर होती है। मैं यह बात आपको अर्ज कर रहा हूँ और यह आपके जरिये सदन से अर्ज करता हूँ कि वह कोई मामूली बात होती तो वह छोड़ दें। लेकिन, माननीय चेयरमेन, ऑडिट रिपोर्ट की कुल तीन लाइनों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सन् १९५१-५२ की ऑडिट रिपोर्ट के पेज ३३ के बोटम पर आप देखिये कि हिसाब क्यों नहीं होता है; क्यों नहीं रुपया मिलता है? कुछ मकान बनाये, कुछ दुकानें बनाई उनको किराये पर दिया, उनको लीज पर दिया। अब उसमें क्या किया वह ऑडिट रिपोर्ट की जुबान से सुनिये

"No regular record of allotment orders was maintaiend. Only the date of occupation was noted on the applications under the signatures of a clerk."

ऑफिसर ने भी दस्तखत नहीं किये। और सुनियेगा?

"The agreement of hire-purchase obtained from the allottees was incomplete, in as much as the important Provisions regarding the cost of building, monthly instalments and signatures of any officer on behalf of Government, was wanting."

इधर एक कहावत है, माननीय चैयरमेन, हमारी तरफ एक कहावत है कि—

दो ईस घटे दो ऊप घटे और चार घटे छै पाया।
बिचलो भाबलभोल घटे छै ओ माचो लै रे भाया॥

एक माननीय सदस्य—तीन पाया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चारों के चारों घटते है इस राज्य में। तो हायर परचेज़ के एलोटमेंट करने चले। लिखा पढ़ी कर ली, मगर अब लिखा पढ़ी क्या की? मकान की कीमत गायब, मन्थली इन्स्टालमेंट गायब और ऑफिसर के दस्तखत गायब। हमारे यहां एग्रीमेंट मौजूद है। अब कुछ आदमियों को ऐसे २ एग्रीमेंट की मन्जूरी दी गई कि जिनमें इन्स्टालमेंट की कीमत नहीं है और यह रिपोर्ट आने के बाद भी अगर किसी एक भी अधिकारी पर एक्शन लिया जाता, सरकार और नहीं तो कम से कम माफी मांगती खुले आम यह कह कर कि ऐसी २ हमारे आदमियों के अन्दर हालत हो गई, अब क्या करें? वह नहीं। अब तक करोड़ों रुपया लेना बाकी है। ऐसी स्थिति में इस मांग को मन्जूर करने का तात्पर्य यह हुआ कि हर साल अफसर ५—१० लाख रुपये राजस्थान के खर्च करते रहें, हर साल हमारी बद इन्तजामी की वजह से हम सरकार का और दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। छोटी सी स्कीम को मंजूर करना हो तो फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय मंजूर नहीं करते।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मजदूरों को २०–२५ हजार रुपये तनख्वाह के देने हों तो वे कहते है कि फाइनेन्स में यह फिट नहीं बैठता है, इसलिये उसका ऑब्जेक्शन कर बैठते है। ये लाखों रुपये व्यर्थ खर्च किये जाते हैं; वे भी किसी की तो तनख्वाह में से सरकार काटे और किसी की तनख्वाह में से नहीं काटे, तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तनख्वाह में से तो काटे। यदि ऐसी बात नहीं है तो सालाना ५ लाख रुपयों का घाटा करने की स्वीकृति नहीं दे सकते। मुझे उम्मेद है कि इसका उत्तर सिवाय इसको वाइल आउट करने के और कुछ नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा वे यह कहेंगे कि इस फाइनेन्शियल इयर के अन्त तक यानि ३१ मार्च, १९५६ तक हम पूरा हिसाब करेंगे और जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा करेंगे तो शायद यह विचार किया जा सकता है कि एक मौका और दें और यदि ऐसा नहीं किया गया तो और कोई उम्मेद नहीं हो सकती। मुझे उम्मेद है कि इस मामले में उस ओर बैठे हुए लोग इस मांग को तो जरूर मंजूर कर लेंगे लेकिन वित मन्त्रीजी को मजबूर करेंगे कि ३१ मार्च; ५६ की गलती ठीक हो तब तो ठीक है वरना वे अपना अस्तीफा दें। इसके लिये उनको मजबूर किया जायगा।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मेरे लायक दोस्त ने बहुत जोरदार शब्दों में इन चीजों को कई बार सदन के सामने रखा। अब भी उन्होंने उन बातों को दोहराया। मैं सदन को पूरी परिस्थिति की जानकारी देना मुनासिब समझता हूँ। रिलीफ पर्पजेज़ के लिये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रुपये मिलते हैं उनकी पोजिशन इस तरह है। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि करोडों रुपयों का हिसाब नहीं पहुँचा और अब तक लेने बाकी है। मैं निवेदन करूंगा कि रिलीफ एक्सपेन्डिचर के लिये जो रुपये मिलते हैं उनका ५० प्रतिशत हमारा नहीं होता है, बल्कि जो खर्चा होता है उसका सौ प्रतिशत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। इसकी पोज़िशन इस तरह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ रुपये हमारे यहां से खर्च किये उनमें से १ करोड़ ३० लाख रुपयों का एडजस्टमेंट हो गया है और वे रुपये हमको मिल गये हैं और कुल रुपयों का हिसाब पेश कर दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिखा–पढ़ी चल रही है। अब केवल ४० लाख रुपये बकाया हैं जिसका एडजस्टमेंट बाकी है। मेरे लायक दोस्त ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउन्ट्स जल जाने का जिक्र किया है। मैं निवेदन करता हूँ कि भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिक्वीडेशन जरूर हुआ है। उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके लिक्विडेशन में लिया गया है।

अब जहां तक इस मांग का प्रश्न है अच्छा होता कि इस बारे में एक कट मोशन आता। एक तरह से रिपीटेशन किया गया। पी. ए. सी. ने जो रिमार्क्स दिये हैं उस बारे में इन्क्वायरी करने की कोशिश जारी है और रुपये वसूल करने की कोशिश की जा रही है। एडजस्टमेंट के लिये हम काफी प्रयत्नशील हैं। अभी तक अकाउन्ट क्लियर नहीं हुआ है। वे ४० लाख रुपये ....

कुं० श्री जसवन्त सिंह—बगैर वाउचर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दे, ऐसी भोली वह नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बिना वाउचर्स के देने का सवाल नहीं है। जो भी नतीजा निकलेगा उसके लिये लिखा-पढ़ी जारी है। जो रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने चाहिये थे उन्हें इस साल देने के बारे में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंक्शन आती है। हम रुपये उठाते हैं और उनसे वापिस ले लेते हैं। जो रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पर उठाये गये वे उस साल में एक्सेस हो गये, उनके लिये यह डिमान्ड है, जो रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पर हमने दिये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वे वापिस आये उनका एडजस्टमेंट हुआ और जितना बाकी है उसके एक्सेस डिमान्ड का सवाल है। लोन का जो सवाल है वह तो कर्जे की वसूली होने का सवाल है, लेकिन जितने एक्सेस रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पर दिये गये वे एक्सेस हैं। वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही दिये गये। रिहेबिलिटेशन पर्पज़ेज़ के लिए दिये गये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के मातहत उनकी मंजूरी से दिये गये। अब उसकी वसूली और हिसाब के लिए जो कुछ पी. ए. सी. ने सुझाव दिया है उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी। अकाउन्ट्स का जहां तक सवाल है, ४० लाख रुपयों का सवाल है; मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को सेटिस्फाइ कर दिया जायगा और रुपये हमको मिल जायेंगे।

श्री चेयरमेन—अब इस पर मत लिये जायेंगे। प्रश्न यह है, "कि अतिरिक्त अनुदान के लिए मांग संख्या ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९५२ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये गये व्यय के लिये श्रीमन् राजप्रमुख को १४, २३, ४२६ रु० की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

५८

अतिरिक्त मांग संख्या ५५—लेखन सामग्री व मुद्रण

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, कि अतिरिक्त अनुदान के लिये मांग संख्या ५६ लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये गये व्यय के लिये श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये १३, ४८, ३४५ के खर्च की राशि प्रदान की जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका कोई कारण बतावेंगे।

श्री कुंभाराम आर्य—सन् १९५१-५२ के वास्ते इस मद में २९ लाख १३ हजार का बजट बना था; उसमें से १९ लाख ८८ हजार की आमद कम करके ९ लाख २५ हजार की माँग ली गई थी। इससे खर्चा अधिक होने से १३, ४८, ३४५ रु० की मांग प्रस्तुत करनी पड़ी। एडजस्टमेंट नहीं होने से यह कमी हुई और आमदनी भी अनुमान से कम हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, फिर सदन के सामने मुगालता दिया जा रहा है। यह कहा गया कि पहले खर्च का अनुमान था, उससे खर्चा अधिक हुआ और आमदनी के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अनुमान से आमदनी कम हुई, इसलिए यह मांग रखी गई है। मैं आपका ध्यान ऑडिट रिपोर्ट के पेज १२१ की ओर दिलाना चाहता हूं और आपके जरिये सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह ग्रोस फाइनल ग्रांट २८ लाख १३ हजार की थी और फाइनल एक्च्युअल एक्सपेन्डीचर २६,१३,२५२ रु० का था। जहां पहले ग्रांट के मुकाबले में खर्चा हुआ था उसमें २ लाख से ज्यादा कम था। फिर हुआ यह कि कुल जमा मिलाकर एक्सेस कैसे हो गई ? वह इसलिये कि जो डिडक्शन की आशा थी वह १६ लाख ८८ हजार की आशा थी, उसमें से केवल ३ लाख ३८ हजार का डिडक्शन हुआ। इस तरह यहां साढ़ा पन्द्रह लाख रुपये बढ़े। अब यदि डिडक्शन जो होना था वैसा न हो पाया उसकी वजह से एक्सेस हुई तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार एक विभाग से दूसरे विभाग को स्टेशनरी देती है और वह विभाग उसको वापिस पैसे नहीं देता, और सरकार की इतनी बड़ी ताकत है कि उसको अप्रोच नहीं कर सकते।

हकीकत तो यह है, बल्कि इससे भी भयंकर हकीकत है। पहले इतनी ही बात होती थी लेकिन वहां पेज १२१ में देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के दूसरे विभागों से छपाई का काम आता था उसको नहीं करके अनुमानतः ५ लाख की कमाई करने का इस विभाग का इरादा था, पर कमाई कितनी की ? ६६५ रुपये की। ५ लाख रुपयों की कमाई करने के इरादे से चले थे, वहां ६६५ रुपयों की कमाई की, क्योंकि किसी का काम छाप भी नहीं सके।

पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनका तो यह हाल है कि एक घंटा पहले मेटर लाकर पेश करते हैं और कहते हैं कि क्या २४ घंटों में छाप देंगे ? २४ घंटों में छपाई की हामी भरते नहीं तो पब्लिसिटी विभाग से छपता है। पर दूसरे विभागों का काम नहीं छप सकता। भारत के जो मन्त्री महोदय जगजीवनरामजी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया कि जो छापें उसके लिए प्रेस देंगे, कोई नया प्रेस कायम करें और डायरेक्टर पब्लिसिटी ने तभी से छपाई शुरू कर दी।

राजस्थान में तो प्रेस भी सेट अप होते नहीं और प्रेस को भेजते हैं तो वहां भी छपाई नहीं की जाती। इस आदत को नहीं रोका गया तो और गंभीर बात हो जायगी। जो विभागों को चीजें सप्लाई करता है; उनके पैसे यह वसूल नहीं कर सकता; इसकी रोक थाम नहीं की गई तो दूसरा भी लेन देन शुरू हो जायगा। वह शुरु हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट प्रेस अपनी सीमा को पार कर चुका हैं, स्थानीय अखबार नवयुग है, उसको कागजों के रीम्स की कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट प्रेस कागजों के रीम भी उसको उधार दे देता है। मैं जानता हूं इस बात से इन्कार किया जायगा, पर यह जानते हुए भी कहता हूं कि रीम्स दी जाती हैं। नवयुग को रीमें दी जाने के लिये टेलीफोन से बातचीत होती है। हां हां, इन्कार करिये तसल्ली के साथ इन्कार करिये। बात होने पर फिर टेलीफोन जाता है, गवर्नमेंट प्रेस को कि मन्त्री महोदय का फोन तो आपको मिला होगा ही; हमारा आदमी आ रहा है २६,२४ के १० रीम इसको दे दीजिये। फोन करने वाले का नाम भी मौका में आने पर

Page No.78

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बता सकता हू । वह फोन खत्म हुआ । लाल रंग के लेटर हैंड पर एक पत्र लिखा, जिसको पत्र लिखा उसका असली नाम और है, पर पत्र में और नाम लिखा था, उनका जो पेट (Pet) नाम है, वह लिखा था । वह पेट नाम है श्री अरविंद उसमें "श्री अरविंदजी" यह पेट (Pet) नाम लिखा गया था । वह चिट्ठी जाती है और एक बेचारा गरीब रामसहाय चपरासी, जो अब भी नवयुग में नौकर है, उसको नौकरी की तसल्ली दी जाय तो वह न जाने क्या बयान देगा, वह जाता है और दस्तखत देकर कागज ले कर आता है । इन्कार करने से नतीजा क्या होगा, इसके बाद नतीजा क्या हुआ. नतीजा यह है कि अगर माननीय मन्त्री महोदय यहां इन्कार करेंगे तो मेरी सिर्फ आखिरी दरख्वास्त उनको यह रहेगी कि मैं एक तारीख और एक नंबर बताऊं, उस तारीख और नम्बर की चिट्ठी वे सदन की मेज पर रख दें, वह रख देते हैं और फिर अगर मेरी बात झूंठ निकलती है तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

यह तरीका अच्छा नहीं है । इसके अलावा, किस प्रकार की बदइन्तजामी वहां है, जहां पर ५ साल बाद स्टॉक एकाउन्ट पहली बार अब हुआ हैं, जहां पर दूसरों का काम करने की क्षमता नहीं, घर का काम करें, उसमें घाटे की स्थिति हो, सरकार के दूसरे विभागों को सामान देते हैं, उसके पैसे वसूल करने की क्षमता नहीं, इस सब में सुधार किया जाय । और कारणों से नहीं तो कम से कम इस कारण से कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा हैं, इसी कारण से इस मद में एक भी पैसा नहीं दिया जाना चाहिये । नवयुग को जो १० रीम कागज दिया गया था उनमे से जिस साइज़ के दिये थे उस साइज़ के न आ कर दूसरे साइज़ के रीम आये और वे भी ८ रीम ही आये, दो रीमें नहीं आई हैं । यह सब कार्यवाही बन्द करने का आश्वासन नहीं मिलता है तो एक भी पैसा इस मद में नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री)—माननीय चेअरमेन महोदय, यह मद ५१-५२ के सम्बन्धित है। मैं इस बात-चीत में नहीं पड़ना चाहता कि अब क्या हो रहा है। मेरे लायक दोस्त अकाउन्ट से ने जो इस बारे में भाषण दिया है उसका जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर ५१-५२ के अकाउन्ट में वे बहस कर रहे हैं, यह इर्रिलेवेन्ट चीज़ है । ५१-५२ में प्रेस अकाउन्ट का यह तरीका था कि जितना भी वहां खर्चा होता था, उसका और जो स्टेशनरी दूसरे डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करते थे और सप्लाई और डिमान्ड करने के बाद जो रकम ज्यादा खर्च होती थी उसकी मंजूरी ली जाती थी । ५१-५२ के लिये जो हमने डिमान्ड की है, जो डिपार्टमेंट्स डिमान्ड करते रहे और जो उनको सप्लाई करते रहे और इसके बाद डिपार्टमेंट् से रकम आई, उसका एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से, रीकॉन्सिलियेशन नहीं होने से देर में एडजस्टमेंट होता है। जो वसूल करना था, वह वसूल नही हुआ था, इस वजह से एक्सेस डिमान्ड ज्यादा बढ़ी । जितना खरीद कर सप्लाई करते थे, उसका आमद-खर्च का हिसाब लगा कर जो रकम रहती थी, उसकी मंजूरी लेते थे और वह ली गई । डिपार्टमेंट में वह एडजस्ट नहीं हुआ है इसलिये एक्सेस डिमान्ड की जरूरत रही । मेरे लायक दोस्त अगर इसमें कट मोशन रखते तो मुनासिब होता और मैं इसकी बहस

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

में पड़ता। पर मेरे लायक दोस्त का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उनकी कई बातें गलत होती हैं, जिनका जवाब सदन में देकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। अतः उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लायक दोस्त नेजो बातें कहीं हैं वे बिल्कुल गलत हैं और ५१-५२ के बजट का सवाल चल रहा है, उससें ये बिल्कुल इर्रिलेवेन्ट हैं। आगे जाकर इसकी बहस हो जावे। अगर कट मोशन होता तो इसका जवाब दे दिया जाता। यह तो ५१–५२ का अकाउन्ट है। माल ज्यादा मंगाया गया जो आमदनी डिपार्टमेंट से एस्टीमेंट की उसकी कमी पडी और रकम एडजस्ट नहीं हुई। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप स्पष्ट कहिये। आप वह लेटर पेश करने के लिये तैयार हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस वक्त के लिये यह इर्रिलेवेन्ट है।

श्री सभापति—I put this demand to vote.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में ३१ मार्च, १६५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १३,४८, १४५ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५५

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५५ को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति—The question is that leave be granted to introduce. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1955.

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, विचारार्थ लिया जावे, इसका तात्पर्य यह है कि जनरल डिस्कशन की स्टेज समाप्त हो गई। विचारार्थ लिये जाने से पहले जनरल डिस्कशन की स्टेज होती है। जनरल डिस्कशन की स्टेज है, इसलिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल आधा मिनट लूंगा।

अभी अभी बहस होते होते माननीय मंत्री महोदय बहुत धड़ाके से कह गये कि मैंने जो बात कही थी वह बिलकुल गलत है। अगर वे ऐसे धड़ाके से बात नहीं कहते तो मुझे और बोलने की आवश्यकता नही होती। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही अगर वह गलत है तो फिर ईमानदारी का परिचय देने के लिये माननीय मित्र सामने आवें, बिलकुल आमने-सामने मेरे चैलेंज को स्वीकार करें और अगर इस प्रकार का जोश हो तो मैं माननीय चेयरमेन, एक लेटर की तारीख और नम्बर बताऊंगा, अगर उसको कोई चैलेन्ज करने को तैयार हो...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१६५१-५२ के लिये यह इर्रिलेवेन्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह सही बात सामने आई ! जो यह कहते हैं कि गलत है, यह ठीक नहीं है।

माननीय चेअरमेन, बस मुझे इतना ही कहना है। अगर गलत है तो बतावें और जब जा कर अड़े तो फिर कदम पीछे नहीं हटावें। कानूनी तौर से मेरे मित्र को बहुत चालबाजियें आती हैं। मेरे बहुत लायक दोस्त ने यह कह दिया कि यह रिलेवेन्ट नहीं है और बात टाली। आयन्दा से जल्दी से दौड़ कर गलत-शलत नहीं कहें और कहें तो आगे के लिये तैयार हो जावें।

श्री सभापति—यह "चाल बाज" शब्द अच्छा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास — मैं "चालबाज" शब्द को वापिस लेता हूं। यह बहुत माहिर आदमी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेअरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Page No.81

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित हो।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि विनियोग विधेयक पारित हो ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ। The Bill is passed.

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) — चेअरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

(कुछ विराम के अनन्तर)

चेअरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विल को पारित किया जाए ।

श्री सभापति—Shri Damodar vyas (RevenueM inister) to move that the Rajasthan Bhoodan yagna (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास—Where is the amendment ? एमन्डमेंट कहां है ?

श्री सभापति—Are there any amendments ?

(परामर्श के पश्चात्)

Then it must be taken clause by clause, On the consideration stage no body spoke, and now there are amendments ...

(पुनः परामर्श के पश्चात्)

श्री भेरूसिंह (दांता रामगढ) — माननीय चेयरमेन, राजस्थान भू-दान विधेयक में मेरा संशोधन है। वह संशोधन, इस सदन द्वारा पारित विधेयक में जो भू-दान डिक्लेरेशन के बाद है कि यदि किसी को उस डिक्लेरेशन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह कितने समय में अपनी आपत्ति तहसील के समक्ष अधिकारी पेश करेगा, इसकी व्यवस्था करना है। माननीय चेयरमेन, जिस समय राजस्थान विधान सभा में इस विधेयक पर चर्चा की जा रही थी उस समय एक सदस्य

[श्री भेरूसिंह]

ने ही नहीं, बल्कि अनेक सदस्यों ने चर्चा की थी कि आजकल सरकार को खुश करने का वातावरण बना हुआ है, हर एक आदमी का यह तरीका बन गया है कि वह सरकार को किसी न किसी प्रकार खुश करके, उससे अपने स्वार्थों की पूर्ति की जावे और सरकार ने भी ऐसा तरीका अख्तियार कर रखा है कि जिसके कारण, लोगों को खुश करने के कारण किसी न किसी प्रकार से चुनाव की दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से उन लोगों को साथी बनाया जाय और इस प्रकार का प्रयन्न चलता रहे। राजस्थान भू-दान विधेयक और उसके अन्दर जितनी कार्यवाही हुई हैं वे साफ प्रदर्शित करती हैं कि राजस्थान में जिन जिन लोगों ने भू-दान के लिए जमीनें दी हे, उनमें बहुत कम लोग हैं जिन्होंने भू-दान यज्ञ की प्रेरणा से किसी न किसी प्रकार जमीन का त्याग किया हैं, बल्कि उसके पीछे भावना यह रहती है कि आज के अधिकारी वर्ग भूदान के नाम पर खुश रहते हैं और उनसे काम निकाला जा सकता है।

माननीय चेयरमेन, आज राजस्थान में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो लोग मुआवजे की तलाश में हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, जो लोग स्वार्थ से अभिभूत हैं, वे लोग अपने पक्ष को आगे प्रबल करने के बारे में सरकारी अधिकारियों को खुश करने की चेष्टा करते हैं कि इन्हें भू-दान की जमीन अवश्य देनी चाहिए। भू-दान के कार्यकर्ता पहुंच जाते है तो जनता सोचती है कि भू-दान के रचनात्मक कामों में यदि सहयोग है तो भू-दान के जितने रचनात्मक काम करने वाले है, जिनका सरकार पर अच्छा असर है, मंत्रियों पर अच्छा असर है उस असर से काम जल्दी निकल जाता है। भू-दान के विषय में आज यह भी चर्चा का विषय बन रहा है कि जागीरदार सरकार को खुश करने में लगे हुए है। वे भी भू-दान के कार्यकर्ताओं को जमीन देते हैं, चाहे वह जमीन आबादी की हो, या वह मोम की हो, या वह चरागाह की हो, यह सब टिनेन्ट्स को सब-लेट की हुई हो; यह चिन्ता वहां सताती नहीं है, उनको तो इस बात का फिक्र नहीं कि गरीब लोगों को इससे कितना नुक्सान हो जायगा, किन्तु वे तो सरकार को खुश करने के कारण भूमि को दान में दे देते हैं, भू-दान दे देते हैं, और भू-दान का डिक्लेरेशन भर देते हैं और भू-दान का डिक्लेरेशन भर दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्रीजी के यह बात ध्यान में होगी कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएन्सी के एक जागीरदार ने एक आबादी की जमीन भू-दान में दे दी है और अब तक लोगों को उसका पता नहीं था कि उक्त गांव की आबादी की जमीन भू-दान में दे दी गई है और भू-दान में दे दी गई जमीन को सब-लेट करने की योजना भी बन गई है। जब लोगों को पता चला कि यह तो आबादी की जमीन है, जब लोगों को पता चला कि यहां तो जानवर बैठा करते हैं, इसका विरोध करना चाहिए और परिणाम स्वरूप उन्होंने विरोध किया। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के अधिकारी आवेदन पत्र पाकर जांच करने के लिए गये, जांच करने के बाद उनका भी मत है कि वह आबादी की जमीन है और वह नहीं दी जानी चाहिए। यदि उसको अधिकार आबादी की जमीन भू-दान में देने का है यह मान भी लें, तब भी हम उन लोगों को वंचित नहीं कर सकते हैं जिसके कारण इस अधिकार द्वारा उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि उनको आवेदन का मौका पूरा नहीं देते

[श्री भैरूंसिंह]

हैं कि उक्त जमीन भू-दान में दे दी गई है, अगर कोई एतराज हो तो वह तहसीलदार के पास पेश कर सकता है, यदि इस प्रकार का मौका देने में कंजूसी करते हैं, यदि इस प्रकार का मौका देने में संकोच किया जाता है, निस्संदेह मैं यह बात कह सकता हूँ कि जिस प्रणाली से जमीन भू-दान से दी जा रही है, जिस काम के लिए दी जा रही है, जिस तरीके से दी जा रही है उससे उन गरीबों के हकों का दुरूपयोग हो रहा है क्योंकि लोग भू-दान के नाम पर फायदा उठाते रहते हैं। इस संशोधित विधेयक में जहां पर ६० दिन की अवधि नियत की हुई थी उसके स्थान पर ३० दिन कर दिया है । संशोधन विधेयक के उद्देश्य में सरकार ने लिखा है कि इस विधेयक द्वारा एक्ट के प्रांसंगिक प्रावधानों में ये 'क्षुद्र' परिवर्तन करना अभिप्रेत है । अंग्रेजी में तो माइनर चैन्जेज् कह सकते हैं। हिन्दी में 'क्षुद्र' संशोधन शब्दों का प्रयोग हुवा, है ६० दिन के बजाय ३० दिन करने के लिये वह वाकई ऐसा मालूम होता है जो क्षुद्र भावना का परिचायक है और उसी क्षुद्र भावना के जरिये से जनता की जो आवाज हैं, उसके ऑब्जेक्शन को पहुंचने की जो भू—दान विधेयक द्वारा अवधि पहले नियत की गई हैं, उसमें परिवर्तन करने में भी क्षुद्र भावना का परिचय दिया गया है। उससे सरकार को बचना चाहिए और जिसमें क्षुद्र भावना का समावेश है उसे सदन हरगिज मंजूर नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है । मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि निस्संदेह ऐसा दुस्साहस न करें क्योंकि यदि जो अवधि ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए निश्चत की गइ है उसमें यदि आप कोई ऐसी बात या कारण नहीं पाते हैं तो फिर उसको क्यों कम किया जाय, यह तो उन लोगों के हकों पर और कुठाराघात होगा । उन लोगों को उनकी आपत्तियों को रखने का यदि पूरा मौका नहीं देते है उन्हें, और यदि उस समय को कम करके जिसके अन्दर कि वे अपनी अपत्तियों को नहीं रख सकेंगे तो निस्संदेह उनके हक्कों पर कुठाराघात होगा । अतः मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी कोन्स्टियुएन्सी के एक जागीरदार ने भू-दान में जो आबादी की जमीन दी है उसको ध्यान में रखते हुए यदि ६० दिन के बजाय आपत्तियों को रखने की अवधि तीस दिन कर दी गई तो उससे लोगों को कितनी दिक्कतें हो जावेंगी, उसका ध्यान रखे । कोई व्यक्ति भू-दान में जितना बने स्वार्थ से या निस्वार्थ से, जमीन दे कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है । लेकिन जिस जगह डिस्प्यूट हैं वहां आकर दिक्कत पड़ती है । जिस जगह एतराज हैं वहां अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो भू-दान करके जो त्याग किया जाता है वह त्याग नहीं वह तो एक पाप है: त्याग करने के प्रति दुस्साहस करते हैं । यह एक पाप का कारण है । एक तरफ ढूंडी पीटते हैं कि त्याग किया है। बलिदान किया है लेकिन उस त्याग और बलिदान के विरुद्ध दुसरे आदमी हैं जो कि यह समझते हैं कि यह त्याग और बलिदान कैसे, जिसमें जबरदस्ती लोगों से जमीन छीन कर त्याग और बलिदान करवाया गया है । यदि इस तरह के पाप को रोकना है, तो आपको स्वतः ही इस बात को मंजूर कर लेना चाहिए कि साठ दिन की अवधि जो कानून द्वारा प्रदत्त की गई है, वह वैसी ही रहनी चाहिए; तीस दिन की अवधि से मतलब साफ नहीं होगा । और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जमीन जो इस प्रकार से दी जारही है वह स्वार्थ के वशीभूत होकर दी जारही है।

६० दिन के बजाय तीस दिन करने के लिए माननीय मंत्रीजी बतायें कि किस कारण से

[श्री भेरूसिंह]

ऐसा किया जा रहा है, क्या कोई दिक्कत ऐसी आई है ? मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और न हीं किसी तहसीलदार ने या एस. डी. एम. ने सरकार से निवेदन किया है कि ६० दिन की अवधि के रहने से काम में ये दिक्कतें पैदा होती हैं। केवल लोगों को ही इस बारे में एतराज है। कार्यकर्ता चाहे जैसी जमीन हो, दूसरों को जमीन से कब्जा छुड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उस पर उनका अधिकार हो जाय, लोगों को अलाँट करने का मौका मिल जाय। यह स्वार्थपरता की भावना उनके मस्तिष्क में है जिन्होंने कार्यान्वित कराने के लिए सरकार से ऐसा संशोधन कर देने के लिए निवेदन किया और मैं समझता हूँ कि राजस्व मंत्री यदि सरकारी काम में इतनी ही अवधि रहने में कोई दिक्कत आती हो और जिसके लिए किसी तहसीलदार या एस. डी. एम ने रिपोर्ट की हो तो बतला दें उस रिपोर्ट को कि जिसके आधार पर यह अवधि कम की जारही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ में नहीं आ सकता कि ऐसा क्यों किया जारहा है, इसके लिये ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता। यदि कोई कारण नहीं है और अवधि कम करना ही है तो जिस प्रकार इस विधेयक के उद्देश्य के अन्तिम लाइन में जो 'क्षुद्र' शब्द लिखा है और इसमें 'क्षुद्र' परिवर्तन करना ही अभिप्रेत है तो ऐसे क्षुद्र संशोधन को राजस्व मंत्री पास करवाना चाहते हैं जो सदन के देखने की चीज है कि ऐसी 'क्षुद्र' भावना को प्रोत्साहन देने चाहिए या नहीं। इतना ही मैं कहूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, यह एक बहुत साधारणसा, अमेन्डमेंट था। मैं तो यह सोच रहा था कि यह अनकॉन्टेस्टेड (uncontested) पास हो जायगा। मगर फिर भी माननीय सदस्य ने इस पर बहुत कुछ कह डाला। पहले जो हमारा भूदान एक्ट था उसमें एतराजात पेश करने की मयाद ६० दिन की थी। एक्सपीरियन्स से यह पता चला है कि यह साठ दिन की मयाद बहुत ज्यादा है। इससे भू-दान की प्रगति में बाधा पड़ती है। जितनी जमीन मिलती है उस जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटने के लिये यह साठ दिन की जो मयाद है वह बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने ३० दिन का अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मेरे ख्याल से तीन दिन का जो समय है वह काफी है या नहीं इसके लिए हमने इस एक्ट के अन्दर डिक्लेरेशन वगैरह के लिए जो मयाद रखी है वह काफी है। जिस लोकेलिटी की जमीन होगी उस लोकेलिटी को तीस दिन पहले सूचना दी जाती है। उसी प्रकार एतराज करने वाले को जो तीस दिन का समय है, उसमें वह तहसीलदार को समय पर एतराजात कर सकता है। आमतौर पर ऐसे कानूनों में एतराजात पेश करने की अवधि तीस दिन की रखी जाती है। इसमें जो ६० दिन की मियाद रखी गई है वह ज्यादा है, अतः मेरा यह संशोधन है कि इसके बजाय तीस दिन की मयाद कर दी जाय क्योंकि यह साठ दिन की मयाद भू-दान की प्रगति में बाधा उपस्थित करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री भैरूसिंहजी ने जो ६० दिन की मियाद रखने का संशोधन रखा है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री भेरूसिंह(वि.सं.१६)-माननीय चेयरमेन, राजस्व मंत्री ने मेरे संशोधन पर जो बातें बताई उनमें उन्होंने कहा कि मैं अपने एक्सपीरिएन्स के आधार पर इस संशोधन को जरूरी समझता हूँ। जिस समय

(श्री भरूंसिंह)

यह बिल मूल कानून बना। उस समय इस बात पर काफी विचार हुआ था। उस समय किसी ने इस बात के लिए नहीं सोचा था कि तीस दिन की अवधि काफी है। इसलिए उस समय यह किया कि दूसरे प्रान्तों के समान इस अवधि के बारे में निर्णय किया गया। उस समय यह कहा गया कि अन्य प्रान्तों ने जो ज्ञान हासिल किया उसी के आधार पर हम यहां ६० दिन की अवधि रखते हैं। इस अवधि में भूदान यज्ञ में जो भूमि दी गई है उसके लिए एतराजात कर सके।

अब माननीय राजस्व मन्त्री यह कह रहे हैं कि उनका यह निजी अनुभव है। हो सकता है कि यह उनका व्यक्तिगत अनुभव हो। क्या इस संबन्ध में उनके पास किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट है, क्या किसी तहसीलदार की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा हो कि यह साठ दिन की जो मियाद है उसमें उन्हें दिक्कत होती है, अत: तीस दिन की कर दी जाय या माननीय मन्त्री स्वयं ही इस प्रकार का संशोधन चाहते हैं। मुझे जहां तक मालूम है उनके पास किसी भी तहसीलदार की या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर वे यह कह सकें कि यह मियाद तीस दिन कर दी जाय। मेरा यह मानना है कि जब इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं तो फिर वे किस आधार पर कह रहे हैं कि तीस दिन की कर दी जाय। वे कहते हैं कि ६० दिन की मियाद में भू-दान में काफी बाधा पहुँचती है, हमारे कामकाज में रुकावट होती है, हमारा काम है कि भू-दान में जितनी भी जमीन मिले उसको लें और भूमिहीन किसानों में उसको बांटें। आज न्याय का तकाजा यह है कि जो भी भूमि आपको भूदान में मिल रही है उसको देखा जाय कि कहीं किसी ने अपनी नामवरी के लिए कोई गोचर भूमि तो भूदान में नहीं दे दी है, या जिसने भूदान में जमीन दी है और जो जमीन दी है वास्तव में उसका कब्जा उस जमीन पर है या नहीं। अगर हम इन दोनों चीजों को नहीं देखते हैं तो यह उन व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा जिनकी जमीन दूसरे लोगों द्वारा भूदान में दे दी गई है। अगर कोई व्यक्ति साठ बीघा जमीन भूदान में देता है; मान लीजिये सर्दी में किसी ने ६० बीघा जमीन भू-दान में दे दी। जिसकी जमीन दी गई है उसको एक महिने तक तो पता ही नहीं चलेगा। उसको तो पता तब चलेगा जब बरसात के दिन में वह खेती करने जायगा। गांवों के लोगों को अपनी जमीन का इन्टरेस्ट कब होता है जब कि बरसात के दिन होते हैं, जमीन में बीज बोने का होता है। उस समय अवधि निकल जायगी। आज भू-दान में जमीन देने का मतलब यह है कि भू-दान के लिए लोगों को प्रेरित किया जावे, यह नहीं कि दूसरे की जमीन को जबरदस्ती अपनी नामवरी कराने के लिए भू-दान में दे दिया जाय। अगर इस तरह से दूसरों की जमीन भू-दान में दे दी जाती है तो उस बिचारे को तीस दिन तक तो पता ही नहीं चलेगा और तीस दिन की मियाद के बाद वे किसी प्रकार का एतराज नहीं कर सकते। अगर हमें वास्तव में ऐसी भावना को प्रोत्साहन देना है तो हमें खुला दिल रखना है और न्याय के साथ कार्य करना है, दूसरे की जमीन देकर नहीं करना है।

मुझे बड़ा अफसोस है कि जब किसी भी अधिकारी ने उनको यह नहीं कहा कि तीस दिन की मियाद कर दी जाय तो फिर उनको कैसा अनुभव है कि जिसके आधार पर वे ये कहते हैं कि तीस दिन की अवधि कर दी जाय। आज तहसीलदार प्रशासनिक मामलों का अधिकारी है। अगर वह यह

[श्री भैंरूसिंह]

कहता है कि तीस दिन की ही होनी चाहिये तो यह माना जा सकता है। इससे सरकारी काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं रही तो मेरा यह निवेदन है कि जो मूल एक्ट में ६० दिन का समय है वही रहना चाहिये। मेरा तो यह भी ख्याल है कि यह ६० दिन की जो मयाद है वह भी कम है। हमें इसमें खुला दिल होना चाहिए, जब चाहे कोई भी व्यक्ति एतराज कर सकता है। आज जो यह संशोधन रखा गया है केवल मात्र प्रगति के नाम पर अपने अनुभवों के आधार पर रचनात्मक कार्यकर्ताओं के कहने पर यज्ञ की भावना के विपरित किया जा रहा है।

आज हम यह देखते है कि जो व्यक्ति यहां नहीं रहते; बम्बई, कलकत्ता में व्यापार करते हैं वे वहां से बैठे२ जमीन भू-दान में दे देते हैं। उसमें ऐसी जमीन भी होती है जो गोचर भूमि के लिए होती है या पड़त भूमि होती है। इस प्रकार जो भूमि भू-दान में देते हैं यह उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा, जिनकी जमीन भू-दान के नाम पर दे दी जाती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि तीस दिन का जो संशोधन है उसकी जगह ६० दिन ही रखा जाय, ताकि हरेक व्यक्ति को खुले दिल से एतराजात पेश करने का मौका मिल सके। इस अवधि में वह जांच-पडताल करके तहसीलदार को उजरदारी भी पेश कर सकता है और तसीलदार इस मयाद में पूरी तरह से जांच-पड़ताल भी कर सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह भू-दान के प्रति लोगों में अश्रद्धा पैदा होगी, आचार्य विनोवा भावे का जो मिशन है वह इस प्रकार सफल नहीं हो सकेगा, उनका जो यह सिद्धांत है कि भू-दान में मिलो जमीन को भूमिहीन किसानों में जल्दी बांट दी जाय; अगर इस प्रकार की बातें रही तो उनको उलझने पैदा होगी। इससे भू-दान से जो वास्तविक मूल भावना है उस भावना को ठेस पहुँचेगी।

इसलिए मैं दुबारा माननीय राजस्व मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव पर पुनः विचार करें। यह कोई खुशी की चीज नहीं कि जिनकी जमीन ही नहीं वे दूसरों की जमीन भू-दान में दे दें और उनको अपनी आवाज बुलन्द करने का मौका ही न दें। जनतंत्रीय सरकार को चाहिये कि वे पूरा मौका दे। आशा है माननीय मन्त्री दुबारा इस पर विचार करेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति— प्रश्न यह है कि क्लाज़ ३ पर श्री भैरोंसिंह का सब क्लाज़ (१) को डिलीट करने का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ तीन विधेयक का अंग बने।

Page No.87

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब क्लाज़ २ पर भी मत के लिये जाते हैं।

प्रश्न यह है कि क्लाज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ २ भी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ १ व टाइटल

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १ व टाइटल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाज १ व टाइटल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि भू-दान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक परित हुआ।

श्री सभापति— चुंकि आज का कार्य समाप्त होता है, अतः आज की बैठक स्थगित की जाती है। अब कल ८·३० बजे पुनः सदन की बैठक होगी।

(सदन की कार्यवाही १२-३० मध्यान्ह पर दिनांक २८ सितम्बर, ५५ के प्रातः ८.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक—२७ सितम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५८ का उत्तर देखिये)

२.. पक्की सडक टोंक से मालपुरा तक मील १ से २५ तक २६४०२६

३.. खजानों के कमरों में रद्दोबदल किया जाना

४.. सब डिविज़नल दफतर में रद्दो बदल किया जाना

५. भरना नल मील १६ टोंक देवली सडक पर पुल का बनाना ५६३६३ रु०

६.. कच्ची सडक का पक्का बनवाना, लाखेरी से टोंक तक इन्दरगढ खातोली उनियारा होती हुई । २०४६६७ रु०

७.. गलोड घाट टोंक पर नाव का बनाया जाना ११११२ रु०

८.. डाडोली नदी मील २० टोंक देवली सडक पर पुल का बनाया जाना १७६३० रु०

६.. जयपुर कोटा सडक पर बनी हुई मीलोंपर डामर किया जाना ११४१४४ रु०

१०.. सवाई माधोपुर से टोंक तक पक्की सड़क का बनाया जाना ४३५२१ रु०

११.. टोंक तहसील के दफतर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीछे के दफतरों में लगया जाना ३७४७ रु०

१२.. खजाने टोंक के दफतरों में रद्दोबदल किया जाना

१३.. नई पुलिस स्टेशन की इमारत पीपलू में बनाया जाना १८७५१ रु०

१४.. पुरानी हजूरी स्कूल की इमारत में मजिस्ट्रेट व एस. पी. के लिये रद्दो बदल किया जाना २२३२६ रु०

१५.. टोडारायसिंह सडक मील ७५ का पक्का किया जाना १६६६७ रु०

१६.. तहसील दफतर की कोटडी को खजाने के कमरे में तबदील किया जाना ७३० रु०

बी.. उपर्युक्त कार्यों में से सात सम्पूर्ण हो चुके हैं और जहां जहां जो हुये हैं वे यह हैं :

१.. मालपुरा गांव से रेलवे स्टेशन तक का पक्का टुकडा १६१६० रु० सम्पूर्ण

२.. गलोढ घाट टोंक पर नाव का बनाया जाना ११११२ रु० सम्पूर्ण

३.. डाडोली नदी मील २० टोंक देवली सडक पर पुल का बनाया जाना १७६३० रु० सम्पूर्ण

४.. जयपुर कोटा सडक पर बनी हुई मीलों पर डामर किया जाना ११४१४४ रु० सम्पूर्ण

५.. टोंक तहसील के दफतर को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पीछे के दफतरों में लगाया जाना ३७४६ रु० सम्पूर्ण

६.. टोडारायसिंह सडक मील ७५ का पक्का किया जाना १६६६७ रु० सम्पूर्ण

७.. तहसील दफतर की कोटडी को खजाने के कमरे में तबदील किया जाना ७३० रु० सम्पूर्ण

सी. जिनके और जहां जहां के कार्य चालू हैं वह यह हैं :

जो कार्य हुए हैं व बाकी हैं साथ लगे मान चित्र में दिखाये गये हैं।

१. पक्की सडक टोंक से मालपुरा तक मील १ से २५ तक

२. खजानों के कमरों में रद्दोबदल किया जाना।

३. सब डिविजनल दफतर में रद्दो बदल किया जाना।

४. भरना नल मील १६ टोंक देवली सडक पर पुल का बनाना।

५. कच्ची सडक का पक्का बनवाना खासैरी से टोंक तक इन्दरगढ़ खातोली उनियारा होती हुई।

६. सवाई माधोपुर से टोंक तक पक्की सडक का बनाया जाना।

७. खजाने टोंक के कमरों में रद्दोबदल किया जाना।

८. नई पुलिस स्टेशन की इमारत पीपलू में बनाया जाना

९. पुरानी हजूरी स्कूल की इमारत में मजिस्ट्रेट व एस. पी. के लिये रद्दोबदल किया जाना।

इनमें से सभी कार्य ३१ मार्च, ५६ तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है; सिर्फ एक कार्य सवाई माधोपुर से टोंक तक पक्की सडक का बनाया जाना अगले वर्ष अर्थात् ५६–५७ में होगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिए)

1954.

No.	Name.			Amount Rs.	As.	Ps.	Remarks.
1.	Shri Ramlal Bansiwal	...	...	235	8	0	
2.	,, Madholal Khanpuria	...	...	64	0	0	
3.	,, Ramjilal Yadav	...	...	18	0	0	
4.	,, Pirbhu Dayal	...	...	136	0	0	
5.	,, Bhagwan Singh Tarangi	...	...	164	8	0	
6.	,, Ram Chander Chawdhery	...	...	171	8	0	
7.	,, Ghasi Ram Yadav	...	...	136	0	0	
8.	,, Triveni Shyam Sharma	...	...	7	12	0	
9.	,, Jaichand Mohil	...	...	125	0	0	
10.	,, Soma Bhai	...	...	147	8	0	
11.	,, Sribhan Singh	...	...	12	0	0	
12.	,, Amar Singh	...	...	39	8	0	
13.	,, Badri Lal	...	...	5	0	0	
14.	,, Sampat Ram	...	...	97	0	0	

				Rs	As	Ps
15.	,, Bhopal Singh	...	...	15	8	0
16.	,, Chhunni Lal	...	...	2	0	0
17.	,, Balbir Singh	...	...	148	8	0
18.	,, Lal Bahadur	...	...	91	4	0
19.	,, Chanderkant Rao	...	...	4	8	0
20.	,, Mababhat Singh	...	...	23	8	0
21.	,, Chittar Lal Sharma	...	...	37	4	0
22.	,, Dharam Chand	...	...	83	12	0
23.	,, Moti Chand Khazanchi	...	...	26	0	0
24	,, Gurdayal Singh	...	...	4	0	0
25.	,, Ridhichand Paliwal	...	...	17	0	0
26.	,, Ganpat Singh	...	...	71	0	0
27.	,, Major Hanwat Singh	...	...	4	8	0
28.	,, Daulat Singh	...	...	43	12	0
29.	,, Srigopal Bhargav	...	...	66	4	0
30.	,, Manna Bhai	...	...	12	8	0
31.	,, Md. Hadi	...	...	12	0	0
33.	,, Moti Lal	...	...	32	0	0
			Total	2073	8	0

1952

1.	,, Madan Mohan Vyas	...	...	91	4	0
2.	,, Bhairav Lal Kalabadul	...	...	67	0	0
3.	,, Kesar Singh	...	...	68	0	0
4.	,, Belji Bhai	...	...	32	8	0
			Total	258	12	0

1953.

				Rs.	As.	Ps.
1.	Shri Madan Mohan Vyas.	...	...	1	8	0
2.	,, Bhairav Lal Kalabadal	...	...	32	0	0
3.	,, Keshri Singh.	...	...	9	8	0
4.	,, Madholal Khanpuria.	...	...	58	12	0
5.	,, Ramji Lal Yadave.	...	...	19	0	0
6.	,, Pirbhu Dayal	...	...	28	0	0
7.	,, Bharonsingh Kelwan	...	...	20	12	0

[redacted]

No.	Name			Rs.	As.	Ps.
8,	,, Udailal Verdia	...	...	11	0	0
9.	,, Dharampal	...	...	15	0	0
10.	,, Ghasi Ram Yadave	...	...	34	0	0
11.	,, Md. Ibrahim	...	...	14	0	0
12.	,, Somabhai	...	...	28	0	0
13.	,, Sampat Ram	...	...	30	0	0
14.	,, Laloo Ram	...	...	10	0	0
15.	,, Balbir Singh	...	...	69	0	0
16,	Jaiendra Singh	...	...	22	0	0
			Total	404	8	0
			Grand Total	2736	12	0

सूची बी

भोजन की पैन्डिग लिस्ट जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य में बकाया है।
तारीख ८ सितम्बर १९५१ ई० तक।

नं.	नाम	रु०	आ.	पाई.
१.	श्री भगवानसिंह जी तरंगीं	८७	८	०
२.	बलवीर सिंह जी	४३	२	०
३.	मन फूलसिंह जी	७२	३	०
४.	दुर्लभसिंह जी	६०	२	०
५.	राजा मानसिंह जी	१०३	७	०
६.	राजा मानसिंहजी के गैस्ट	३०	६	०
७.	कान सिंह जी	१२३	१४	०
८.	गुरू दयाल सिंह जी	६७	११	६
९.	रामलाल जी वंशीवाल	११८	१	९
१०.	घीसी सिंह जी	१४५	७	०
११.	प्रभू दयाल जी	२०	११	०
१२.	विजयसिंह जी रूपनगर	३३	१३	६
१३.	धर्मपाल जी	२३	७	०
१४.	हंसराज जी जटिया	२२	६	३
१५.	भोपाल सिंह जी	१८	१५	०

		रु.	आ.	पा.
१६.	भैरूसिंह जी खेजडला	१६	३	०
१७.	माधौसिंहजी भैसवाडा	२०	६	०
१८.	पं. भवानी सहाय जी	२५	१४	०
१६.	कस्तूर चन्द जी	६	१४	०
२०.	जय चन्द्र जी	६	१४	०
२१.	धूलजी भाई	१४	०	०
२२.	चुन्नीलाल जी बिरला	६	१३	०
२३.	मोतीलाल जी चौधरी	१२	१५	०
२४.	धर्म चन्द जी	३	८	६
२५.	गोपीलालजी यादव	४	१२	०
	योग	१०६२	६	६

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न समय में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गयें—)

प्रश्न

६१. (२२ पी. डब्ल्यू.एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७९:—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बाडमेर से चोहटन तक सड़क पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ और इस साल कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ख) क्या सरकार इस सड़क को डामर रोड बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

क. बाडमेर से चोहटन सड़क बनाने में कुल १५०००० रुपया खर्च हुआ है । इस साल मरम्मत पर करीब रुपया १००० अभी तक खर्च किया गया है ।

ख. अन्य जरूरी सड़कों को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को डामर रोड बनवाने की अभी योजना नहीं बनी है ।

७०. (२६ सी. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७— क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों के एस. डी. ओ. को एडीशनल कलेक्टर और किन किन को ए. डी. एम. के पॉवर हैं ?

(ख) उक्त पॉवर कब कब दिये गये हैं ?

(ग) किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को उक्त पॉवर कब से कब तक रहे ?

(घ) वर्तमान में किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को उक्त पॉवर नहीं देने के क्या कारण है ?

उत्तर

(क. ख) एडीशनल कलेक्टर के अधिकार जिन सब डिविजनल ऑफिसरों को हैं वे इस प्रकार हैं —

१. कोटा		जोलाई, ५५ से
२. करोली		११ मई, ५४ से
३. सीरोंज		१ मई, ५३ से
४. धोलपुर		२१ जौलाई, ५३ से
५. भरतपुर		२१ जौलाई, ५३ से
६. बयाना		२१ जौलाई, ५३ से
७. डीग		२१ जौलाई, ५३ से
८. बीकानेर	(उत्तर)	२५ जौलाई, से
९. गंगानगर		,, ,,
१०. शाहपुरा	(भीलवाडा)	,, ,,
११. कुशलगढ़		,, ,,
२२. जोधपुर		,, ,,
१३. पाली		,, ,,
१४. प्रतापगढ़		२१ अप्रेल, ५५ से

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार सब डिविज़नल ऑफिसर, सवाईमाधोपुर को ६ अक्टूबर, ५३ से, भरतपुर को १० दिसम्बर, ५३ से व प्रतापगढ़ को २८ जून, ५५ से नाम से हैं।

ग. किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार सन् ५३ से मार्च, ५५ तक रहे। यह अधिकार श्री बद्रीदास, भूतपूर्व एस. डी. ओ, किशनगढ़ के नाम से थे।

Page No.95

घ. विचाराधीन है।

प्रश्न

७१. (५३ सी. एम.) श्री मोहब्बतसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १०८— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) अध्यक्ष, शिक्षा विभाग तारीख १-१-५५ से १-९-५५ के बीच कितने दिनों तक जयपुर सरकारी काम से ठहरे व कितने दिनों तक उनके हैडक्वार्टर बीकानेर ठहरे? इस अरसे के बीच उन्होंने किन किन स्थानों का दौरा किया?

(ख) ता० १-१-५५ से ता०१-९-५५ तक शिक्षा अध्यक्ष की कितनी ट्रिप जयपुर व बीकानेर के बीच हुई व टी. ए. का कितना रुपया खर्च हुआ?

उत्तर

शिक्षा अध्यक्ष दिनांक १. १. ५५ से १-९-५५ के बीच १०५ रोज जयपुर सरकारी काम से ठहरे व १०० दिन अपने हैडक्वाटर बीकानेर ठहरे, और ३२ दिन तक अन्य स्थानों का दौरा किया, जो निम्न प्रकार है।

१. देहली	१२ दिन.
२. अलवर	३ दिन.
३. जोधपुर	५ दिन.
४. कोटा.	३ दिन.
५. उदयपुर.	६ दिन.
६. रतनगढ़ व सरदार शहर,	३ दिन.

ख. दिनांक १. १. ५५ से दिनांक १. ९. ५५ तक शिक्षा अध्यक्ष की १५ ट्रिप्स जयपुर व बीकानेर के बीच में हुई और १६६८।।।) रु० टी. ए. व डी. ए. पर खर्च हुआ।

प्रश्न

७२. (२१. आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७— क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ के श्री गोस्वामीजी के मंदिर के किन किन कर्मचारियों के कितने कितने रुपये के टी. ए. व डी. ए. बिल्स का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है?

(ख) उक्त पेमेन्ट के नहीं होने के क्या क्या कारण हैं?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ।)

प्रश्न

७३. (२३/पी. डब्ल्यू. एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७९.—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बाडमेर जिले में कुल कितनी सड़कें हैं और वे कौन कौन सी हैं और उन पर कितना खर्च हुआ ? -

(ख) क्या सरकार चोहटन से बाखासर तक सड़क बनवाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) इसकी सूची साथ में पेश की जाती है।

(ख) चोहटन से बाखासर तक सड़क बनाने की (योजना) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विचाराधीन है।

बाडमेर जिले के सड़कों की सूची

सड़क का नाम	विवरण	लम्बाई मील फर्लांङ्ग	बनाने की लागत
१. बाडमेर से जेसलमेर सरहद	ग्रेवल	५४.०	मालूम नहीं
२. शिव से फलसूंद	,,	४६.०	
३. बाडमेर से चोहटन	,,	३०.०	१५००००
४. बाडमेर से सिंदरी चहवा तक	,,	१७,०	
		७.०	१३२०००
५. गडरा रोड से गडरा शहर तक	,,	२.०	मालूम नहीं
६. बालोतरा से मोकलसर सिवाना होते हुऐ	,,	३०.०	
७. बालोतरा मील ८१ से सिंदरी मील १०८		२७.०	
८. सिंदरी से चीतलवाना	ग्रेवल	३३,०	
	फेयरवेदर	२२.०	२५६०००
९. बालोतरा से माडपुरा	ग्रेवल	३०.०	मालूम नहीं
१०. थानोलाई से शेरगढ	,,	३२.०	,, ,,
११. बालोतरा सिंदरी जंकशन से मेवानगर	,,	६.४	२६०००
१२. समदडी रेलवे स्टेशन से समदडी गांव तक	,,	२.०	६३००
१३. सड़क सिंदड़ी विश्रामगृह से मिलाती हुई	,,	०.६	४०००
१५. बालोतरा माडपुरा जंकशन से कल्याणपुरा	फेयरवेदर	२६.०	मालूम नहीं
बाडमेर शिव जंकशन से उतरालाई		६.	
		३६४-४	

Page No.97

१. बाडमेर से सिंदरी मील १८ से ४०	ग्रेवल	२३.०	१०००००
२. बाडमेर से चीतलवाना	,,	४०.०	२५००००
३. शिव से गडरा रोड	,,	५२.०	२०००००
४. कल्याणपुरा से समदडी	,,	१४.०	५२०००
५. बालोतरा से खेड मन्दिर	,,	५.०	२५०००
		१३४.०	

७४. [२४ पी. डब्ल्यू. एम.] **श्री अर्जन सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४**— क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जिला पाली में मारवाड़ जंकशन से जोजावर जाने वाली सड़क आड़ूता और मारवाड़ जंक्शन के दर्म्यान चार मील में अभी तक नामुकम्मिल क्यों पड़ी है ?

(ख) क्या पब्लिक ने कई मरतबा लिख कर सरकार से अब इस अधूरे चार मील के टुकड़े को बनवाने की प्रार्थना की ?

(ग) कब तक इस सड़क का काम हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(क) यह सड़क फैमिन वर्क्स में बनाई गई थी किन्तु फैमिन वर्क्स बन्द होने पर और फिर से इसके लिये मंजूरी नहीं होने से अधूरी पड़ी है ।

(ख) गौर किया, किन्तु फैमिन ग्रांट से मंजूरी अभी तक नहीं मिली ।

(ग) जी हां ।

(घ) इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है और मंजूरी होने पर कार्य शुरू होगा ।

प्रश्न

७५. (५४ सी. एम.) **श्री मोहब्बतसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १००**— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज सिरोही की ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षाओं में साइन्स व एग्रीकल्चर विषय खोलने की तरफ ध्यान देगी ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह है कि गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज सिरोही में कॉलेज कक्षाओं

Page No.98

के लिये लैक्चरार्स की वर्तमान संख्या आवश्यकता से बहुत कम है ? यदि हाँ, तो यह कमी कब तक पूरी की जावेगी ?

उत्तर

क. अभी तक हाई स्कूल की कक्षाओं में भी साइन्स व एग्रीकलचर के लिये विश्वविद्यालय से मान्यता स्थाई तौर पर प्राप्त नहीं हुई है। इन्टरमीजियेट में ये विषय चालू करने का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि विश्वविद्यालय स्थाई तौर पर मान्यता न दे दे।

ख. इस वर्ष लैक्चरार की कोई कमी नहीं है इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

७६. (५६/ सी. एम.) श्री धरमचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कन्या पाठशाला कस्बा सपोटरा किस तारीख से स्वीकृत हुई है ?

(ख) उसके अब तक चालू न होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार को यह बात विदित है कि जनता सपोटरा के इस पाठशाला के लिये स्वयं के खर्च पर किराये का मकान लेने के लिये तैयार है ?

(घ) भविष्य में सरकार का इस संबन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

क. कस्बा सपोटरा में कोई कन्या पाठशाला खोलने की स्वीकृति नहीं हुई है।

ख. प्रश्न नहीं उठता।

ग. सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

घ. वहां के लिये भवन, उपयुक्त महिला अध्यापिका व पर्याप्त कन्या छात्राओं की संख्या होने पर अवश्य पृथक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जायगा।

प्रश्न

७७. (२५ पी. डब्ल्यू. एम.) श्री मोहब्बतसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०० —क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सिरोही-बागरा सडक का काम सन् ५२ के बाद कौनसी तारीख से शुरू हुआ और आज तक कितने मील तक यह सड़क बनी है ?

(ख) इस सड़क की प्रगति इतनी धीमी होने के कारण हैं ?

(ग) वर्तमान पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक यह सड़क कितने मील तक बन जायगी ?

उत्तर

सिरोही बागरा नाम से कोई योजना मंजूर नहीं हुई है। सिरोही से कालन्दरी की योजना मंजूर हुई है। जिसका काम नवम्बर १९५३ से शुरू हुआ है। यह सड़क बरलूट हो कर जावेगी। बरलूट से बागरा की अभी तक योजना मंजूर नहीं हुई है।

ख. सड़क की लाइन alignment में बार बार रुकावट पडने से अथवा जमीन का कब्जा नहीं मिलने से काम को बार बार बंद करना पडा। अब जमीन का कब्जा मिल चुका है।

ग- यह सडक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति तक १० मील बरलूट तक बन जावेगी।

प्रश्न

७८. (२८ पी. डब्ल्यू.एम.) **श्री धरमचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६**— क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सपोटरा-कुरगांव रोड का कितने मील का हिस्सा कच्चा पड़ा है ?

(ख) क्या सरकार इसको पक्का करवाने का विचार रखती है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) ५ मील

(ख) हां

(ग) मार्च सन् ५६ तक सम्भावना है।

प्रश्न

७९. (५/सी. आई. एम.) **श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७**— क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में किन किन बड़े उद्योगों को खोलने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की गई है ?

(ख) इस संबन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है क्या मन्त्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

राजस्थान में निम्नलिखित बड़े उद्योग खोलने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की गई है।

१. मेसर्स सुन्दरलाल रानीवाला को उदयपुर में टेक्सटाइल मिल लगाने के लिये।

२. धोलपुर ग्लास वर्क्स को पेनीसीलीन वाइल्स बनाने के लिये वर्तमान कारखाने के एक्सटेन्सन के लिये।

३. श्री रामनिवास माछुर को कोटा में एक टेक्सटाइल मिल लगाने के लिये।

४. मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स को पिलानी में एक टेक्सटाइल (मिल) खोलने के लिये।

५. मेसर्स जयपुर टेक्सटाइल मिल्स, जयपुर को आर्टसिल्क व ऊनी कपड़े बनाने की।

६. मेसर्स जोराष्ट्र कं० जयपुर को हैट्स बनाने की।

७. मेसर्स नेशनल बॉल बियरिंग कं० लि० को स्टील बॉल्स, रोलरबियरिंग, टेपर रोलर आदि बनाने की.

८. मेसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर को सीमेंट बनाने की।

९. मेसर्स सुन्दरलाल रानीवाला को जयपुर में एक टेक्सटाइल मिल लगाने की।

१०. महाराजा उम्मेद मिल्स पाली को कॉटन वेस्ट बनाने की।

इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा निम्नलिखित उद्योगों के लिये प्रार्थना की गई।

११. एक सीमेन्ट फैक्ट्री चितौड, सिरोही, गोठन, या रामगंज मंडी में।

१२. दो टैक्सटाइल मिल, उदयपुर या जयपुर, भवानी मंडी में।

१३. तीन शकर मिल्स, अन्नता, हिन्डोन, कोटा, हनुमानगढ़, गगांनगर क्षेत्र या दक्षिण राजस्थान में।

१४. दो स्टील रिरोलिंग मिल्स जोधपुर बीकानेर, भरतपुर, या सवाईमाधोपुर में।

१५. एक हाइड्रोजनेशन प्लांट गंगानगर, कोटा में।

१६. विद्युत सामान बनाने का कारखाना.

१७. रेशम फैक्ट्री कोटा में.

१८. कोटा और उदयपुर में वुड सीजनिंग फैक्ट्री.

१९. पांच रिरोलिगं फैक्ट्री नोनफेरस मेटल के लिये.

२०. फैल्ट फैक्ट्री.

२१. पेपर एन्ड कारबोर्ड फैक्ट्री.

२२. तीन सीरेमिक फैक्ट्री.

२३. एक मारबल का सामान बनाने का कारखाना.

२४. पॉवर अल्कोहल और स्प्रिट.

२५. साईकिल पार्ट्स.

२६. बालोतरा में मीट हेगर और विस्ट्रल.

२७. बोलटो नट्स.

२८. पेन्ट एन्ड वार्निस.

२९. पीतल का सामान.

३०. कॉस्टिक सोड़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैक्ट्री, बीकानेर.

३१. जिप्सम सीमेन्ट सल्फर.

३२. एमोनियम सल्फेट इन्डस्ट्री.

३३. सोडा प्लांट.

३४. वेरिलियम एलायस.

उक्त संख्या ५ से १० तक की इन्डस्ट्रीज़ के लिये भारत सरकार की स्वीकृति आ चुकी है। अन्य की आना बकाया हैं।

प्रश्न

८०. (५७ / सी. एम.) श्री धरमचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि सपोटरा मिडिल स्कूल की पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा पांच हजार रुपये में मरम्मत किये जाने की मंजूरी हुई है? मंजूरी किस तारीख को हुई है?

(ख) क्या सरकार सपोटरा ग्राम पंचायत के द्वारा इस विल्डिंग की मरम्मत इस रुपये से कराने को तैयार है?

उत्तर

क. सपोटरा मिडिल स्कूल की बिल्डिंग की स्पेशल मरम्मत के लिये पी. डब्ल्यू. डी. से ता० १६-६-५३ को मंजूरी हुई थी जिसका कार्य समाप्त हो चुका है।

ख. जी नहीं, नियमानुसार पी. डब्लू. डी द्वारा ही सरकारी भवनों की मरम्मत होती है।

प्रश्न

८१. (५८ सी.एम.) श्री धरमचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६:- क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सपोटरा मिडिल स्कूल के छात्रों को ५ बीघा जमीन खेलने के मैदान के वास्ते दी जानी मंजूर हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को मंजूरी दी गई ?

(ग) अब तक जमीन न मिलने का क्या कारण है ?

(घ) कब तक यह जमीन इस स्कूल को दे दी जायगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंजूरी नहीं हुई।

(घ) मंजूरी होने पर।

प्रश्न

८२. (२९ पी.डब्ल्यू.एम.) श्री धरमचन्द एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६:— क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सपोटरा तहसील में अब तक कहां कहां कौन से भवनों को निर्माण विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है ?

(ख) जिन भवनों को इस विभाग ने अपने अधिकार में लिया है इनकी मरम्मत में इस वर्ष कितनी रकम किस प्रकार से व्यय की जावेगी ?

उत्तर

क.. सपोटरा तहसील की अब तक निम्नलिखित इमारतें निर्माण विभाग के अधिकार में आ गई हैं [redacted]

१.	तहसील बिल्डिंग सपोटरा	सपोटरा
२.	कस्टम आउट पोस्ट बिल्डिंग	,,
३.	डिस्पेन्सरी बिल्डिंग	,,
४.	पुलिस स्टेशन बिल्डिंग	,,
५.	मिडिल स्कूल बिल्डिंग	,,
६.	तहसीलदार क्वार्टर	,,
७.	तहसील बिल्डिंग	करनपुर

८.	डिसपेन्सरी बिल्डिंग	करनपुर
६.	पुलिस आउट पोस्ट बिल्डिंग	,,
१०.	पुलिस आउट पोस्ट बिल्डिंग	कुरगांव
११.	पुलिस आउट पोस्ट सलीमपुर	
१२.	कस्टम आउट पोस्ट नीमोदा	
१३	कस्टम आउट पोस्ट नारोली	

ख.. इन इमारतों के मरम्मत के हेतु इस वर्ष मूल लागत पर एक प्रतिशत के हिसाब से वार्षिक मरम्मत के लिये अनुमानिक व्यय निम्न प्रकार स्वीकृत किया गया है :

१.	तहसील बिल्डिंग	रु०	७५
२.	कस्टम आउट पोस्ट बिल्डिंग	रु०	२०
३.	डिस्पेन्सरी बिल्डिंग	रु०	२३४
४.	पुलिस स्टेशन बिल्डिंग	रु०	१६०
५.	मिडिल स्कूल बिल्डिंग	रु०	६०
६.	तहसीलदार क्वार्टर	रु०	२२
७.	सब तहसीलदार बिल्डिंग करनपुर	रु०	१०
८.	डिसपेन्सरी बिल्डिंग करनपुर	रु०	१२०
६.	पुलिस आउट पोस्ट बिल्डिंग	रु०	१२
१०.	पसिल आउट पोस्ट कुरगांव	रु०	२०
११.	पुलिस आउट पोस्ट सलीमपुर	रु०	३५
१२.	कस्टम आउट पोस्ट नीमोदा	रु०	२
१३.	कस्टम आउट पोस्ट नारोली	रु०	१७

प्रश्न

८३. (६१/सी.एम. श्री धरमचन्द एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील सपोटरा में इस वर्ष कितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें से कितने नये खोले गये हैं ?

(ख) अब तक कौन कौन से स्कूलों में अध्यापक पहुँच गये हैं और शेष में न पहुँचने का क्या कारण है ?

(ग) स्वीकृत हुए समस्त स्कूल कब तक चालू हो जावेंगे ?

उत्तर

(क) तहसील सपोटरा में इस समय २६ प्राइमरी स्कूल्स हैं और इस वर्ष ३ नये स्कूल खोले जावेगें ।

(ख) समस्त २६ स्कूलों में सत्र के प्रारम्भिक दिन से ही समस्त अध्यापक पहुँच चुके हैं । नये खुलने वाले स्कूलों में अभी तक किसी में भी अध्यापक नहीं भेजे गये क्योंकि यह स्कूल दिनांक २.१०. ५५ से चालू होगें ।

(ग) २. १०. ५५ से चालू हो जावेगें ।

प्रश्न

84. (26/PWM) Shri H. K. Vyas, M.L.A. (Division No. 160): Will the Minister for P.W.D. be pleased to answer :—

(i) Has the Government received any complaint that the P.W.D. authorities at Jodhpur have been issuing false certificates for wagon priority ?

(2) If so, has any enquiry been made in these allegation ?

(3) If so, what are the results of such an enquiry ?

(4) Has the relevant record etc. been taken in proper custody to prevent falsification of the records ?

उत्तर

१. ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री घासीराम द्वारा पी.डब्लू. सैक्टरी के नाम भेजे हुये एक तार की प्रतिलिपि मिली है, जिसमें निम्न लिखित ५ बातें प्रश्न के बारे में दी गई हैं :

(१) कि ४ रेल के डिब्बे फिंदूसर से बीकानेर को दिनांक ७.६.५५ को श्री उदयराम माली के लिये स्वयं के पते पर भेजे गये थे ।

(२) कि श्री उदयराम माली ने कपट से किसी सरकारी कार्य का प्रतिनिधित्व बताते हुये प्राथमिकता प्राप्त की ।

(३) कि श्री उदयराम के कोई ऐसा सरकारी कार्य का ठेका नहीं है ।

(४) कि उदयराम ने इन भरे हुये डब्बों को बीकानेर के व्यापारियों को बेचा ।

(५) कि यह एक गंभीर भ्रष्टाचार का उदाहरण है ।

२. डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट भ्रष्टाचार विरोधी विभाग जोधपुर इस शिकायत की जांच कर रहे हैं उन्होंने सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर जोधपुर के दफ्तर के रिकार्ड की जांच की और उन्होंने उस रिकार्ड को घटनास्थल पर जांच के लिये साथ ले लिया है।

३. अभी तक जांच का परिणाम (सुप्रिन्टेडिंग इन्जनियर को) नहीं बनाया गया है।

४. कागजात हमेशा ठीक प्रकार से संरक्षण में रखे गये हैं।

*85. (26/C-I.M.) Shri H. K. Vyas, M.L.A. (Division No. 160): Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) Has the lease agreement with the Bikaner Industrial Corporation in respect of the Ganganagar Sugar Mills been signed ?

(b) What is the lease money now settled ?

(c) Was it a condition of the original agreement that the lease money would include payment of dividend to the preferential share holders? Has this condition been now waived ? If so, why ?

उत्तर

हां। यह शर्त अब हटादी है। सरकार द्वारा तैयार किये प्रारम्भ के ड्राफ्ट एग्रीमेंट में यह रखा गया था कि एक लाख बीस हजार की लीज़ मनी में क्युमुलेटिव प्रिफरेन्स शेयर्स का व्याज भी सम्मिलित होगा। अन्तिम लीज़ एग्रीमेंट में इसे हटाना पड़ा क्योंकि लेसर्स ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया।